राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 69वां दिवस [संख्या 35

शनिवार

दिनांक 27 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, पंचायत, आयुर्वेदिक, सिंचाई, विधि, समाज कल्याण, परिवार नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुनर्वास विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्रीमती भगवती देवी ।

ग्राम बड़ली में आयुर्वेदिक औषधालय

840. **श्रीमती भगवती (भिनाय) :** क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि बड़ली ग्राम पंचायत समिति, भिनाय (जिला अजमेर) में आयुर्वेदिक अस्पताल है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उसमें कोटा के अनुसार पूरी पूरी दवाएं उपलब्ध नहीं है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि दवाओं के अभाव में कई मरीज निराश लौटते हैं और बीमारी के शिकार बने रहते हैं ?

(4) क्या सरकार बड़ली के अस्पताल में दवाओं की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) :

(1) जी हां।

(2) औषध उपलब्ध हैं।

(3) ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(4) अब जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती भगवती : वहां कोई दवाइयां नहीं हैं।

श्री चन्दनमल वैद : वैसे ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल होते हैं, इनमें दवाइयों का 1,200 रु० का बजट है। इस साल दवाइयों के लिए बजट में 20 लाख

Page No. 2

(श्री चन्दनमल वैद)

रुपया दिया गया है । मैं समझता हूं कि 1 200 रु० से ऊपर दवाई खर्च करेंगे तो वह अब दी जा सकेंगी । इसकी जानकारी करके शिकायत दूर की जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का कहना है कि बिना दवाई के रोगी मुश्किल उठा रहे हैं । उन वैद्यों से भी तो पूछिये जिन्होंने बिना दवाई के औषधालय चलाये हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : 1,200 रु० की दवाई का प्रावधान है । 800 रु० और रखा गया है । 2,300 की रोगियों की संख्या है । अगर संख्या बढ़ गई है तो उनके बारे में इन्तजाम किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु ।

फसल की क्षति

841. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर क्षेत्र जिला गंगानगर में रबी 1972 में चने की फसल नष्ट हो चुकी है और इससे किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, पदमपुर ने अपनी बैठक दिनांक 21-4-72 को एक प्रस्ताव द्वारा चने की फसल नष्ट हो जाने के कारण चने पर से सिंचाई की दरें माफ करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कब तक करेगी ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं । शीत लहर से नुकसान जरूर हुआ है । पर यह नहीं कहा जा सकता कि चने की फसल नष्ट हो चुकी है ।

(2) जिलाधीश, श्री गंगानगर को पंचायत समिति, पदमपुर का तारीख 21-4-72 का ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जब यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ तब चने की फसल कट चुकी थी । दरों में कुछ कूट (खराबा) के लिए काश्तकारों को फसल के समय में ही इत्तिला करनी पड़ती है । ताकि फसल का मुआयना करके कूट की प्रतिशत तय की जा सके । फसल कटने के पश्चात् कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : क्या यह सरकार की स्वयं जिम्मेदारी नहीं थी कि वह पहले फसल को देखे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि छूट का जो कायदा है, उसमें काश्तकार पहले जिस वक्त फसल खड़ी होती है, उसी वक्त दरख्वास्त देता है । उसका मुआयना करके छूट के लिए लिख देते हैं । यह दर्ज कर लेते हैं ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : ऐसा नहीं है । मैं अर्ज करूंगा, जो इण्डीविजुअल चाहते हैं, वह लिखते हैं । लेकिन जहां पर काफी तादाद में ऐसा हुआ हो तो वहां के अधिकारी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

जान सकते है । तो क्या सरकार के अधिकारियों ने शिकायत की या नहीं ?

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिन ग्रामों की रिपोर्ट आ गई है, उनकी घोषणा कर दी है ? नदवई, कामा से 56% की रिपोर्ट आ गई है । आज तक उन्हें अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची है । आ जायेगी तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप के यहां अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार 5% नुकसान हुआ है । उसके खिलाफ अब क्या करूंगा ।

प्रश्न संख्या 842

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती जमुना सोलंकी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : कलेक्टर की रिपोर्ट 10 दिन पहले आ गई है ।

प्रश्न संख्या 843

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य ।

नोटरीज की नियुक्ति

843. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राजस्थान के लिए नोटरीज की नियुक्ति का कोटा निर्धारित कर रखा है ? यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है ? और कहां कहां नोटरीज नियुक्त किए गए हैं ?

(2) क्या हाल ही में किसी व्यक्ति को अलवर में नोटरी नियुक्त किया है ? यदि हां, तो उस व्यक्ति की योग्यता क्या है ?

विधि मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित ।

श्री उम्मेदीलाल ।

ग्राम झारेड़ा में ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र का भवन

844. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या चिकित्सा (परिवार नियोजन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन परिवार नियोजन मंत्री द्वारा हिण्डौन तहसील के गांव झारेड़ा में शिलान्यास किये गये ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र के भवन का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (चिकित्सा मंत्री के स्थान पर) ग्राम झारेड़ा के लिए परिवार नियोजन केन्द्र की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी ।

नियमानुसार परिवार नियोजन केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही बनाये जाते हैं । चूंकि हिण्डौन पंचायत समिति का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन में है ।

(श्री चन्दनमल बैद)

अतः परिवार नियोजन केन्द्र, झारोड़ा में स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार को निवेदन किया गया है । उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही सम्भव होगी ।

श्री उम्मेदीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह काम कब पूरा होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है ।

श्री उम्मेदीलाल : शुरू कब तक होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : हमने भारत सरकार से मंजूरी की मांग की है । वह आने पर शुरू होगा ।

प्रश्न संख्या 845

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 846

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बृजेन्द्रपालसिंह ।

पांचना नदी पर पुल

847. **श्री बृजेन्द्रपालसिंह** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली-हिण्डौन सड़क पर पांचना नदी का पुल गत वर्ष भारी वर्षा के कारण टूट गया था ?

(2) इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस वर्ष बजट में इसके निर्माण के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया है ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के स्थान पर)

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां ।

(2) 3.40 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 1972-73 में किया गया है ।

श्री बृजेन्द्रपालसिंह : यह कब आरम्भ होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : आरम्भ हो चुका है ।

प्रश्न संख्या 848

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जगमोहनसिंह ।

छबड़ा-कुम्भराज सड़क

849. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छबड़ा (जिला कोटा) से कुम्भराज (एम० पी०) रोड जो आगरा-बम्बई रोड से कनेक्ट होगी का सर्वे राज्य सरकार द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो सर्वे के बाद अब क्या कार्यवाही की जा रही है और सड़क निर्माण की बाबत सरकार का क्या इरादा है ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): (सार्वजनिक मंत्री के स्थान पर) (1) जी नहीं। कुम्भराज (मध्य प्रदेश) रोड के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या 850

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलाल छंगाणी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न। श्री रघुनाथ विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(8-4-72)

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशार्थ प्री-मेडिकल टेस्ट

39. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1971 में प्रीमेडिकल टेस्ट में हायर सैकेण्डरी तथा प्रथम वर्ष टी०डी०सी० में प्रथम श्रेणी अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कितने उम्मीदवारों का चयन राज्य के मडिकल कॉलेजों में प्रवेशार्थ नहीं हुआ? उनके नाम बताने की भी कृपाकरें।

(2) उक्त टेस्ट में हायर सैकेण्डरी तथा प्रथम वर्ष टी०डी०सी० में निम्न द्वितीय अथवा तृतिय श्रेणी में उत्तीर्ण कितने उम्मीदवारों को मडिकल कॉलेजों में प्रवेशार्थ चुना गया? उनके नाम बताने की भी कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करने की जो सूची 28 अगस्त, 1971 को प्रकाशित की गई, उसमें राज्य के समस्त मेडिकल कालेजों के प्रिन्सिपलों को यह निर्देश दिये गये थे कि 1 सितम्बर, 1971 तक प्रवेश न लेने वाले समस्त प्रवेशार्थियों के नाम तार द्वारा एडमीशन बोर्ड के कन्वीनर को सूचित कर दिये जायें? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि 1-9-71 को तार द्वारा उपरोक्त सूचना भेजने की अन्तिम तिथि होने पर भी 9-9-71 तक सूचना की प्रतीक्षा की गई और आये उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया गया? यदि हां, तो ऐसी शिथिलता क्यों बरती गई?

(5) क्या यह सही है कि कई उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त दूसरे दिन बिना किसी कारण के प्रवेश रद्द कर दिया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों, और कितने उम्मीदवारों के साथ किया गया?

(6) क्या इस प्रकार कई उम्मीदवारों को प्रवेश देने व दूसरे ही दिन रद्द कर देने के पीछे किसी राज्य कर्मचारी की गलती या लापरवाही थी? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या सरकार पी० एम० टी० की वर्तमान प्रणाली से सन्तुष्ट है जिस के अन्तर्गत हायर सैकेण्डरी व प्रथम वर्ष टी० डी० सी० में उच्च प्रथम श्रेणी पाने वाले कई छात्र भी प्रवेश से वंचित रह गये और कई तृतीय श्रेणी या निम्न द्वितीय श्रेणी वाले उम्मीदवारों को प्रवेश मिल गया अथवा क्या सरकार इस टेस्ट की प्रणाली परिवर्तन के सुझाव पर पुनः विचार करेगी?

Page No. 6

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(8) क्या यह बात सही है कि पी०एम०टी इसलिए प्रारम्भ किया गया था कि जोधपुर व उदयपुर विश्वविद्यालयों के छात्रों को आन्तरिक टेस्टों में और प्रेक्टिकल्स में अनावश्यक रूप से अधिक नम्बर दे दिये गये थे ? यदि हां, तो इस कठिनाई का समाधान निम्न प्रकार से करने पर सरकार विचार करेगी:-

(क) उम्मीदवारों के लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंको को ही प्रवेश का आधार माना जाय, या-

(ख) हायर सैकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाये, या--

(ग) हायर सैकेण्डरी, प्रथम वर्ष टी० डी०सी० व पी०एम०टी० के अंकों को जोड़कर औसत अंकों को प्रवेश का आधार बनाया जाये ?

(9) इस वर्ष जिन उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया है उनमें राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष टी०डी०सी० परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार कितने हैं और उदयपुर तथा जोधपुर से पास करने वाले कितने हैं ?

(10) क्या यह सही है कि कई उम्मीदवारों के पी० एम० टी० में प्राप्त अंकों में केवल एक ही अंक की टोटल में गलती पाई गई और वह भी इण्टरव्यू के समय टेलीफोन द्वारा बताई गई जिसके कारण कई उम्मीदवारों का प्रवेश होते होते रोक देना पड़ा ?

(11) क्या इस प्रकार कई मामलों में केवल एक ही अंक की अशुद्धि पाया जाना सन्देहजनक बात नहीं है ? और ऐसी गलती छोड़ने वाले परीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) पी० एम० टी० का टेस्ट विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाता है और यह ही इसका रेकार्ड रखते हैं।

(2) इस प्रकार का रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

(3) जी हां, कुछ छात्रों का मेडिकल एग्जामिनेशन 1-9-71 के बाद उनकी परिस्थिति वश किया गया था। कुछ मेडिकल कॉलेजों म परीक्षा के दिन ही छात्रों से फीस ली गई थी।

(4) जी हां, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर से प्रथम सूचना क्रमशः दिनांक, 10-9-71, 6-9-71, 4-9-71 और 10-9-71 को प्राप्त हुई और जैसे जैसे प्रवेश के मामलों को अन्तिम रूप दिया गया, वैसे-वैसे ही छात्रों को प्रवेश दिया गया।

(5) जी हां, समय पर फीस जमा न कराने के कारण चार उम्मीदवारों का प्रवेश निरस्त कर दिया गया।

(6) जी हां, क्योंकि यह गलती भूल से टिक न लगाने के कारण हुई थी। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(7) जी हां, शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(8) जी नहीं

(श्री चन्दनमल बैद)

(9) राजस्थान विश्वविद्यालय 473
जोधपुर 57
उदयपुर 44
राजस्थान के अतिरिक्त अन्य
विश्वविद्यालयों व बोर्डों से 28

(10) जी हां।

(11) जी नहीं, गलती छोड़ने वाले परीक्षकों को नियमानुसार ही दण्डित किया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने जो सूचना मांगी है, प्रथम आये हुए कितने छात्रों को एडमिशन नहीं मिला—यह सूचना नहीं मिली ?

श्री चन्दनमल बैद : एक बार बता दिया है कि चूंकि पी० एम० टी० का एग्जामिनेशन राजस्थान विश्वविद्यालय लेता है, इसलिए हमारे पास सूचना है नहीं, उसके पास जानकारी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पहले इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कराया, यह जवाब तो उसी वक्त आ गया था। इतना लम्बा पोस्टपोन करा कर यह जवाब देंतो जवाब देने की आपको आवश्यकता नहीं थी। आपने पोस्टपोनमेंट क्यों लिया जब आप कितने प्रथम आये हुए छात्रों को एडमिशन नहीं मिला—यह सूचना नहीं दे सकते। यह आवश्यक प्रश्न है और यह इसलिए पूछा है कि फर्स्ट और सैकिण्ड क्लास रह जाते हैं और थर्ड क्लास को एडमिशन मिलता है, जिसका कोई आधार नहीं है। इसकी जानकारी दे दीजिये। यह ऐसा कोई सीक्रेट रिकॉर्ड नहीं है, जो आप नहीं मांग सकते या सरकार को मांगने की पावर नहीं है। इसलिए मैंने यह सवाल पूछा है, इसका पोस्टपोनमेंट आपने इसलिए किया था और मंत्रीजी ने कहा था, वांछित सूचना नहीं आई है इसलिए पोस्टपोनमेंट लेना चाहता हूं। अब आज भी जवाब नहीं दे रहे हैं और विश्वविद्यालय को शील्ड कर रहे हैं, जिसने गलती की है।

श्री चन्दनमल बैद : कोई गलती नहीं की। यह मान्यता के साथ कि केवल फर्स्ट डिवीजन लड़के, जिन्होंने हायर सैकेण्डरी या टी० डी० सी० में फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है वे ही पी० एम० टी० का इम्तिहान दे सकते हैं और उन्हें ही सफलता मिल सकती है—इसके लिए पचास पर्सेन्ट रखा था। अब वह पचास पर्सेन्ट घटा कर 36 पर्सेन्ट किया है, वह इस मान्यता के साथ किया है कि जिसे 36 पर्सेन्ट नम्बर मिले हों वह भी कम्प्लीट कर सकें और अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा जाता है कि आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के कई बार कम्पीटीशन होते हैं, उनमें फर्स्ट डिवीजन लोग सिलेक्शन से रह जाते हैं और थर्ड डिवीजन को ले लिया जाता है। तो यह देखने की बात है कि हायर सैकेण्डरी और टी० डी० सी० में प्रेक्टिकल होते हैं, हिन्दी होती है, अंग्रेजी होती है, लेकिन पी० एम० टी० में फिजिक्स का पेपर होता है, केमिस्ट्री का होता है, बायॉलोजी का होता है, तो उस एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशन में फर्क है। दूसरे हायर सैकेण्डरी और टी० डी० सी० में प्रेक्टिकल में बहुत ज्यादा नम्बर मिल जाते हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट डिवीजन वाला प्रेक्टिकल में अच्छा हो और थ्योरी में नहीं हो। यह भी हो

(श्री चन्दनमल बैद)

सकता है कि हायर सकेण्डरी का इम्तिहान दिया हो या फर्स्ट ईअर टी० डी० सी० का दिया हो, उस वक्त वह बीमार हो, उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं रही हो इसलिए थर्ड डिवीजन रह गया हो, और जिस समय पी० एम० टी० का इम्तिहान दिया हो उस वक्त ठीक रहा हो और हिम्मत से बैठा हो इसलिए वह निकल जाता है। इसलिए यह कहना कि थर्ड क्लास निकल गया तो गड़बड़ी हो गई, गलत है। पी० एम० टी० का इम्तिहान इस वास्ते रखा गया कि सब लड़के कम्पीटीशन में आवें, फर्स्ट क्लास, सैकिण्ड क्लास, थर्ड क्लास जिसने प्राप्त किया और यह इम्तिहान यूनिवर्सिटी लेती है, हमारा डिपार्टमेन्ट नहीं लेता है, कॉलेज नहीं लेता है, यूनिवर्सिटी लेती है। यूनिवर्सिटी के अधिकार में देकर इस बात की ही कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा न्याय प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने इतना सारा भाषण दे दिया। मैंने प्रश्न पूछा, फर्स्ट क्लास, सैकिण्ड क्लास के कितने लड़के रहे। आप यह बतायें, इसमें छिपाने की क्या आवश्यकता है। गलतियां आपने मानी हैं, टोटल की गलती हुई है, टोटल ठीक नहीं लगाया गया। ऐसे बहुत से मामले सामने आये हैं। फिर भी आप यह जवाब मंगा कर नहीं दे सकते कि फर्स्ट क्लास कितने रहे हैं, जिन्होंने हायर सैकेण्डरी में फर्स्ट क्लास लिया, टी० डी० सी० में फर्स्ट क्लास लिया, वह पी० एम० टी० में नहीं आ सके? आप इसको एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं समझते। हायर सैकेण्डरी में फर्स्ट क्लास, टी० डी० सी० में फर्स्ट क्लास, साल भर मेहनत करके आवे, फिर भी थर्ड क्लास आ जाय और वह रह जाय—यह समझ से विपरीत बात है।

श्री चन्दनमल बैद : जो भाषण दिया वह इसलिए क्योंकि उसकी आवश्यकता थी······

श्री रघुनाथ विश्नोई : आवश्यकता नहीं। आप ऐसे लड़कों की संख्या बता दीजिये, कितने ऐसे लड़के हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह चुका हूं कि इसका राजस्थान विश्वविद्यालय के पास रिकार्ड है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिकार्ड आप मंगा नहीं सकते हैं? फिर आपने पोस्टपोनमेंट क्यों लिया? यह क्या प्रिविलेज्ड डॉक्युमेंट है कि आप यह सूचना नहीं दें। हम और फेक्ट्स नहीं चाहते हैं, फर्स्ट क्लास कितने रह गये यह नम्बर चाहते हैं। आपने उपदेश तो पिला दिया, लेकिन आप नम्बर नहीं बता सकते। यह हमारा प्रिविलेज है, हमने पूछा है, ऐसे लड़कों की संख्या बतावें। इसके अलावा आप चाहें वह करें।

श्री चन्दनमल बैद : हम चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी लेती है एग्जामिनेशन उस पर कंट्रोल नहीं रखें। आप क्या यह चाहते हैं कि कंट्रोल रखें?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम तो यह सूचना मांगते हैं कि ····

श्री चन्दनमल बैद : हमने ऑटोनोमस बॉडी को अधिकार दिया है, एग्जामिनेशन

(श्री चन्दनमल बैद)

लेने का अधिकार दिया है। एक्चुअल जानकारी ले कर रिप्लाई दे दिया है। मान लीजिये कि टोटल में गलती हुई हो····

श्री केदारनाथ : टोटल की बात नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : टोटल की बात मानी गई, कुछ लड़के थे उनके टोटल में गलती पाई गई। वह सूचित कर दिया, उसको मान लिया कि टोटल में गलती हुई है, वह मान लिया। तो जब सारा अधिकार यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है, तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के काम में हस्तक्षेप करें और कहें कि गलती हो गई है इसलिए हम उसमें हस्तक्षेप करें? कोई माननीय सदस्य नहीं चाहेंगे और मैं भी नहीं चाहूंगा कि ऑटोनोमस बॉडी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार करे। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि हस्तक्षेप करे सरकार तो मेरा मानना है कि यह गलत है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सत्य है कि कितने फर्स्ट क्लास रह गये हैं इसका रिकार्ड प्रिविलेज्ड रिकार्ड नहीं है और उसे मंगा सकते हैं? आप हां या ना में जवाब दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न यह नहीं है कि सरकार मंगा सकती है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या सरकार एग्जामिनेशन जैसे मामले में हस्तक्षेप करें। मंगा सकने को तो मैं खुद मंगा सकता हूं, किसने कापी जांची, किसने चैक की, किसने टोटलिंग किया, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है—यह सारी बातें मंगवा सकता हूं और जांच कर सकता हूं। लेकिन मैं मानता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : फर्स्ट सैकिण्ड का बेसिस है, यह बेसिस ठीक है या नहीं—इसलिए जानकारी हासिल करना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिए ही मन पूछा है कि कितने फर्स्ट क्लास आने से रह गये।

श्री केदारनाथ : यह बेसिस इसलिए रखा गया कि जोधपुर में, उदयपुर में इन्टरनल मार्क्स का पर्सेन्टेज ज्यादा था और राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं था, इसलिए यह नया मैथड इन्ट्रोड्यूस किया गया। यह बेसिस एलीजिबिलिटी के लिये सही है या नहीं, ट्रू क्राइटेरिया है या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा, यह सही है कि जितनी भी राजस्थान में यूनिवर्सिटीज हैं उनके लड़के एक जगह आकर इम्तिहान दें। उसमें यह भेदभाव नहीं रखा है कि फर्स्ट क्लास दें, सैकिण्ड क्लास दें और थर्ड क्लास नहीं दें कौन कम्पीट करे, कौन नहीं। फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड क्लास, फर्स्ट ईअर, सैकिण्ड ईअर, थर्ड ईअर टी० डी० सी० या एम० एससी०, जो आयु लिमिट में होते हैं—सब लड़के कम्पीट करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे, उसको मानलें और छान बीन नहीं करें। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट ठीक किया या नहीं, फर्स्ट सैकिण्ड रह गये, थर्ड आ गया, एम० एससी० क्यों आ गया, बी० एससी०,

Page No. 10

(श्री चन्दनमल बैद)

क्यों आ गया–इस छान बीन में जायें तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी की आॅटोनोमी है और जो परीक्षा के अन्दर सच्चाई रखना चाहते हैं, निष्पक्षता रखना चाहते हैं, उसमें आंच आयेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आयेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने फेक्ट पूछा है कि पर्टीक्यूलर एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास कितने रह गये? थर्ड क्लास आये, फोर्थ क्लास आये–उसमें ऐतराज नहीं है। हम तो यह इन्फोर्मेशन लेना चाहते हैं, यह फेक्ट हाउस के सामने लाना चाहते हैं। आपने कह दिया, यह रिकार्ड यूनिवर्सिटी में रहता है तो आपने दूसरे फेक्ट कैसे बता दिये, जब आपको कोई इन्फार्मेशन नहीं देता है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने जो बताया वह यूनिवर्सिटी ने कन्वे किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह नहीं पूछ सकते कि कितने फर्स्ट क्लास आने से रह गये?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे यह प्राप्त करने में दिक्कत नहीं है। मैं हाउस से यह चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी की आॅटोनामी की सुरक्षा रखने के लिए क्या करना चाहिए। यह फेक्ट प्राप्त करना चाहें तो आज हम प्राप्त कर सकते हैं, हम यह पूछ सकते हैं कि एग्जामिनर कौन है और किस किस कापी में कितने कितने नम्बर दिये हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की सुरक्षा और परीक्षा की सेंक्टिटी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसा रिकार्ड प्राप्त नहीं करना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह कहना चाहूंगा, हम यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सिस्टम में इन्टरफिअर नहीं करना चाहते। लेकिन यह सही है कि यूनिवर्सिटी के ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष आये हैं। एक छात्र उदयपुर यूनिवर्सिटी से बी० एससी० से एपीयर हुआ। उसका रिजल्ट डिक्लेअर किया गया तो यूनिवर्सिटी ने लिख कर दे दिया कि रिजल्ट विदहेल्ड। उसने कहा, किस कारण से? फिर लिख कर दिया, एपीयर नहीं हुआ। उसने कहा, मैं एपीयर हुआ हूं। यह लिख कर दे दिया तो फिर कहा कि फेल हो गया। दुबारा उसने मांग की कि पहले आपने कहा कि एपीयर नहीं हुआ तो फेल कैसे हो गया। तो चौथी चिट्ठी में लिख कर दे दिया गया, गुड सैकिण्ड डिवीजन में पास हो गया। तो यदि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो जायगा। हम नहीं चाहते कि एग्जामिनेशन की प्रणाली में आप जायं, लेकिन जो मार्क्स दिये जाते हैं, उसमें अव्यवस्था फैली हुई है। और अगर आपके सामने जेनुइन कैसेज आ जायं तो आपको जांच करनी चाहिए और जांच करके यह व्यवस्था करनी चाहिए कि भविष्य में अव्यवस्था नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : No discussion.

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने यह भी पूछा, पहले एडमिशन कर दिया, फिर कैंसिल कर दिया, टेलीफोन पर इत्तला देते हैं कि उसका नाम काट दिया गया है। यह अच्छा मानते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है एग्जामिनेशन फीस, जो

(श्री चन्दनमल बैद)

अि एडमिशन फीस थी, वह लड़कों ने जमा करा दी। उस पर टिक करना चाहिए था नाम के समक्ष, जो एरर स्वाभाविक किसी से हो सकती है, आपसे हो सकती है, मेरे से हो सकती है–वह टिक नहीं किया। जब यह ध्यान में लाया गया तो कह दिया, एडमिशन फीस जमा नहीं की है इसलिए निरस्त किया गया। जब मालूम हुआ कि जमा करा दी गई है, तो आदेश वापिस लिया गया। जो गलती है, जो गलती के उदाहरण बताये, आपने बताये, उसके लिए मैंने बताया कि टिक करने में गलती हुई, वह हर एक से हो सकती है। हजारों का इम्तिहान होता है, ऐसी स्थिति में यह नहीं मानना चाहिए कि मेलाफाइडली से [illegible] या गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने एक सवाल यह पूछा है, लगातार हायर सैकेण्डरी और फर्स्ट ईअर टी० डी० सी० में फर्स्ट क्लास आने वाले कितने लड़के एपीयर हुए, और टेस्ट में नहीं आये। यह मैंने पूछा है। दो ईअर फर्स्ट क्लास आवे वह इसमें नहीं आये, लेकिन कई लड़के दस साल तक फर्स्ट आते हैं वह भी रह जायं और थर्ड क्लास आ जायं–यह उचित मानते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : इसमें उचित अनुचित का सवाल नहीं है। यह हो सकता है, यह मेरे लड़के के साथ ही हुआ है। हायर सैकेण्डरी में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, टी० डी० सी० में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ लेकिन पी० एम० टी० में नहीं आया। मैंने पूछा तो कहा, पिताजी, पेपर खराब हो गया था, इसलिए नहीं आया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूची क्यों नहीं देते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : उसमें उचित अनुचित का सवाल नहीं है, यह सम्भव हो सकता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए, सम्भव नहीं हो सकता। सम्भव हो सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फर्स्ट एण्ड सैकण्ड क्लास लड़के जो हायर सैकण्डरी और टी० डी० सी० प्रथम वर्ष दोनों में लगातार प्रथम श्रेणी में आए हैं लेकिन पी० एम० टी० में नहीं आए तो बताने की तकलीफ करेंगे · · · · · ·

श्री शिवचरण माथुर : पी० एम० टी० में जो छात्र आए हैं उनमें फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड क्लास के कितने कितने हैं, उस मामले में जानकारी चाहते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमी का कोई सवाल नहीं। आपको बताने में ऐतराज क्या है? टी० डी० सी० फर्स्ट ईयर की परीक्षा लेने वाली भी यूनिवर्सिटी हो है, पी० एम० टी० की परीक्षा की स्कीम के लिए भी सरकार ने यूनिवर्सिटी से कहा। अगर सदन के माननीय सदस्य जानकारी मांगते हैं कि पी० एम० टी० में बैठने वाले छात्र कौन से फर्स्ट क्लास, सैकण्ड और थर्ड क्लास में हैं, तो फिर तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न यह है कि उन्होंने जो परीक्षा दी है, उसकी छानबीन कर, सरकार का दृढ़ निश्चय है कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा में छानबीन नहीं करनी चाहिए।

Page No. 12

श्री रघुनाथ विश्नोई : नम्बर चाहते हैं इसलिए एडजर्नमेंट दिया है। एडजर्नमेंट के दो महिने बाद वही सवाल किया, यूनिवर्सिटी आपको नहीं देना चाहती तो इसमें संदेह की बात हो सकती है !

श्री केदारनाथ : यूनिवर्सिटी पी० एम० टी० परीक्षाएं कन्डक्ट करती है, उनकी निष्पक्षता को कोई चैलेंज नहीं करता, मगर कितने थर्ड डिवीजन में पास हुए, कितने सैकण्ड डिविजन में पास हुए......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह पब्लिक डोक्यूमेन्ट है। अगर कोई चाहे तो नकल ले सकता है, अगर राज्य सरकार यह सूचना विश्वविद्यालय से मांगती है तो किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी पर।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें फिर दूसरा सवाल आएगा फर्स्ट डिवीजन वाले क्यों पी० एम० टी० में फैल हो गया उत्तर-पत्र कैसे जांचे गए, सारी बाते इसमें हैं।

(शोरगुल)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम एनेलाइज कर सकते हैं दोनों को नापतोल में क्या फर्क है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That will only justify our system of P. M. T. Examination. We want to know after three years what were the results?

और तीन साल के बाद वास्तव में फर्स्ट क्लास फेल होते हैं जो यूनिवर्सिटी से फर्स्ट और सैकंड क्लास में पास होते हैं, तो पी० एम० टी० में कौनसा सिस्टम जारी करने का जस्टीफिकेशन है, वरना नहीं है......

(शोरगुल)

श्री चंदनमल बैद : जो मुझे खतरा था वही आ रहा है। आगे जाकर हम छानबीन करेंगे, कहेंगे कि सदन की समिति बनाये जो देखें कि कापियां अच्छी तरह से जांची गई हैं या नहीं इसलिए...—

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री मोहनलाल छंगाणी : पी० एम० टी० के सवाल को लेकर विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच काफी टेन्शन है। इसके अन्दर सुधार होना चाहिए, एलिजिबिलिटी में कोई परिवर्तन होना चाहिए, इस तरह की बातें चल रही हैं इसलिए हमें इसके लिए मापदंड तय करना चाहिए। अतः मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कितने फर्स्ट क्लास बैठते हैं, कितने फेल होते हैं, कितने थर्ड क्लास बैठते हैं वे किस तरह से आ जाते हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय के इतने आते हैं, राजस्थान और जोधपुर के इतने आते हैं। लिस्ट हमें मिले तो नए सिरे से विचार कर सकते हैं और पी० एम० टी० की पद्धति में हम डिबेट के जरिए योगदान कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस जानकारी के आधार पर कोई सुझाव अगर माननीय सदस्य दें जिससे कुछ परिवर्तन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हो सके तो आप उनको मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : जो सुझाव अच्छे होते हैं, हमेशा मानते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दोनों भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्री शिवचरण माथुर और श्री पूनमचन्द विश्नोई यहां बैठे हैं उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, आप रेकार्ड की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं । आप वित मंत्री हैं, दो भूतपूर्व शिक्षा मंत्रियों ने आपको सुझाव दिए हैं, रेकार्ड की जानकारी कर सकते हैं····

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिए कई बार प्रश्न स्थगित किया था कि जानकारी अपूर्ण थी, अब भी वैसे की वैसी जानकारी दे दी ।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस तरह तो भोलेभाले बच्चों का जीवन खराब होता है । पहले भी चिरंजीलाल अग्रवाल वकील के लड़के को फेल कर दिया, उसने आत्महत्या कर ली, उसके बाद फर्स्ट क्लास घोषित किया गया । यह अच्छी परम्परा नहीं है । पर्चा आउट करने वाले एग्जामिनर कौन हैं? मेहरबानी करके रेकार्ड की जानकारी कराय ।

श्री चन्दनमल बैद : बात फिर वही आ रही है; कह रहे हैं कि टी०डी०सी० फर्स्ट इयर में फर्स्ट डिवीजन था वह क्यों फेल हो गया, जो परीक्षा ली है उसकी छानबीन कराना चाहते हैं जिसको मैं उचित नहीं समझता हूं । इस तरह की जानकारी प्राप्त करना कि इस बात की छानबीन की जाए कि टी०डी०सी० में फर्स्ट डिवीजन वाला क्यों फेल हुआ, सेकण्ड डिवीजन वाला कैसे पास हो गया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई व श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नहीं पूछा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब प्रश्न इस सीमा में रहता है कि हम मंत्री महोदय को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें कि यह पब्लिक डाक्यूमेंट है, जानकारी की जानी चाहिए इसलिए आप इस पर क्या निष्कर्ष देते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि पब्लिक डाक्यूमेंट होने के कारण आप उनको डाइरेक्शन दें, इतना रिजिड इस मामले में न रहें ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विश्वविद्यालय की ऑटोनोमी का जो प्रश्न है, उसको मंत्री महोदय बहुत आगे ले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं । विश्वविद्यालय को जो अधिकार मिलते हैं, राज्य सरकार देती है । वहां पढने वाले विद्यार्थी भविष्य के नागरिक हैं और समाज का नेतृत्व करने वाले हैं, सीधा सादा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय की जो मार्कशीट है लेकर पब्लिकली डिस्कस करें, आप संतुष्ट हो जाएं जो एंगल हमने बताया उससे तो ठीक है । क्या प्रशासनिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय की नहीं आती है ? ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती है ? विश्वविद्यालय में गड़बड़ होती है····

Page No. 14

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने तो विश्वविद्यालय के गड़बड़ घोटाले को भी डिस्कस किया है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : स्वायत्तता की बात सदन में कहते हैं । हमने उनको आंतरिक प्रशासन के मामले में, एकेडेमिक मामलों में स्वायत्तता दे दी है लेकिन स्वायत्तता को कोई एबसोल्यूट सावरेन्टी से कन्फयूज करे, ऐसी बात नहीं है । जब सदस्य असंतुष्ट हैं तथा प्रर्याप्त कारण है, तो मार्कशीट्स मंगाकर मंत्री महोदय देखें । जांच नहीं करा सकते तो आप देखें ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई व वित मंत्री साथ साथ बोलने लगे)

स्वायत्तता में हम कोई दखल नहीं देना चाहते । हम नहीं कहते कि मार्किंग का यह स्टैंडर्ड होना चाहिये, इतने मार्क्स देने पर ऐसा रिजल्ट होना चाहिए । लेकिन जो चीज बोर्ड पर छापी जाती है तो उसको सदन को देने से क्यों इंकार करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रिविलेज ऑफ दी हाउस ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बजट में छपता है, अखबार में छपता है । हम उसको कहां कहां ढूंढेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब बिल्कुल अपूर्ण देते हैं । आपने प्रश्न 11 के उत्तर में कहा कि ऐसे परीक्षकों को दंड देते हैं, क्या दंड दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : जिस एग्जामिनर की गल्ती होती है उसे दण्ड देते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या दंड दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : इस सवाल को कन्फ्यूज किया गया है ।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस दिन आप शिक्षा मंत्री के पद पर डेप्यूटेशन पर थे, कल गृह मंत्री के और आज चिकित्सा मंत्री के पद पर डेप्यूटेशन पर हैं । आप तो एज ए वित्त मंत्री बढ़िया काम करते हैं, आप यह डेप्यूटेशन वाला काम न करें तो अच्छा है ।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्री की मौजूदगी में यह बात कहिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैक आफ ऑल मास्टर आफ नन ।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने उत्तर में कहा है "गल्ती छोड़ने वाले परीक्षकों को नियमानुसार ही दंडित किया था" । विश्वविद्यालय ने किया था, उनके नियम हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप विश्वविद्यालय से पूछ नहीं सकते ? क्या आप जानकारी नहीं ले सकते ?

श्री चन्दनमल बैद : जो विश्वविद्यालय के नियम हैं, यूनिवर्सिटी के किसी डाक्यूमेंट में गल्ती कर दी .....

श्री रघुनाथ विश्नोई : हालात को देखते हुए सवाल स्थगित किया जाए । पहले भी स्थगित कराया गया क्योंकि जवाब अपूर्ण था ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालयों की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ऑटोनोमी है पर वे स्टेट विद इन दी स्टेट नहीं हैं। जहां तक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों का सवाल है राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन अन्य मामलों में राज्य सरकार को अधिकार है कि वह हस्तक्षेप कर सकती है। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बोडी होते हुए भी उसे सार्वभोम अधिकार प्राप्त नहीं हैं। और जो विश्वविद्यालय के कार्य होते हैं वह सभी कार्य राज्यपाल महोदय की सलाह से सरकार द्वारा किये जाते हैं। इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसमें दखल नहीं कर सकते। राज्य सरकार उसमें दखल कर सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूचना चाही थी उसकी कोई मुझे सूचना नहीं दी गयी है।

श्री चन्दनमल बैद : आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैंने दे दिया है। लेकिन राज्य सरकार की नीति विश्वविद्यालय के आंतरिक कार्य में हस्तक्षेप करने की नहीं है। It is an internal question. It is not a question concerned with the finances of the State.

श्री शिवचरण माथुर : सवाल यह नहीं है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन की नीतियों के बारे में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन अगर एक लड़का टी०डी०सी० में फर्स्ट क्लास पास होता है या सैकिन्ड क्लास पास होता है और वह लड़का जाकर पी० एम टी० में फेल हो जाता है क्योंकि वही यूनिवर्सिटी उस एग्जामिनेशन को कन्डक्ट करती है और परीक्षा भी वही है इसका क्या कारण है इसके लिये तो राज्य सरकार को जांच करवानी चाहिये। यह जांच करवाने का अधिकार राज्य सरकार को है। एन्क्वायरी कन्डक्ट अगर ऐसे मामलों की करवायी जाय तो मैं समझता हूं कि सही स्थिति का पता लग सकता है, सारे फेक्ट्स भी सामने आ जायेंगे। इसमें राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे तो कुछ लाभ ही मिलेगा। राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त करने में क्या नुकसान होगा और अभी जानकारी आपके पास नहीं है तो आप बाद म जानकारी प्राप्त करके बाद में सूचना दे दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या राज्य सरकार इन परीक्षाओं में, और दूसरी जो अनियमिततायें आज इन विश्वविद्यालयों में हो रही है उसकी जांच कराने की स्थिति में नहीं है? मैं समझता हूं राज्य सरकार सक्षम है उसके लिये। वह कुलपति को सलाह दे सकती है कि इसकी जांच करायी जाय।

श्री चन्दनमल बैद : मेरा निवेदन है कि, उपाध्यक्ष महोदय कि स्टुडेन्ट्स के फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। आज जो पी०एम० टी० के टस्ट होते हैं वे एक ही यूनिवर्सिटी के लड़कों के बीच में नहीं होते हैं। उनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र भी परीक्षा में बैठते हैं, इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज के लड़के

(श्री चन्दनमल बैद)

भी उन परीक्षाओं में बैठते हैं हो सकता है इन यूनिवर्सिटीज के स्टेण्डर्ड में फर्क हो उसके कारण फेल हो गये हैं। यह कहना कि एक लड़का यूनिवर्सिटी के टेस्ट में फर्स्ट डिवीजन या सेकन्ड डिवीजन आया वह पी० एम० टी० के लिये जो इम्तिहान हुए उनमें सलेक्ट क्यों नहीं हुआ, यह अलग बात है। हो सकता है उसके दूसरे लड़कों के मुकाबले में नम्बर कम आये होंगे। ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार विश्वविद्यालयों की आटोनोमी में दखल करना वाजिब नहीं समझती।

श्री उपाध्यक्ष : आगे का प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मामला है। इसमें तो राज्य सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिलना चाहिये कि इसकी जांच करायी जायेगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट मामला है इसका तो कुछ न कुछ फैसला होना चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की सूचना चाही गयी थी उस तरह का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मन्त्री महोदय, बार बार यह कह रहे हैं कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। राजस्थान के भूतपूर्व तीन शिक्षा मन्त्री ने श्री शिवचरण माथुर, श्री पूनमचन्द विश्नोई, श्री निरन्जननाथ आचार्य तीनों ही कह रहे हैं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवा सकती है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं दूसरा भूत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री भानु-कुमार शास्त्री।

स्थगित प्रश्न

(29-4-72)

भारत-पाक युद्ध और सैनिकों को सुविधाएं

116. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाल ही के भारत-पाक युद्ध में राजस्थान के कितने सैनिक, अर्ध सैनिक, सीमा सुरक्षा दल, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी एवं अन्य नागरिक मारे गये एवं अपाहिज हो गये? इनके मरने व अपाहिज होने की सूचना राज्य सरकार को कब-कब प्राप्त हुई। इनको और इनके परिवार के लोगों को कब-कब कितनी-कितनी नकद सहायता दी गयी?

(2) क्या ऐसे परिवार को कृषि-भूमि या मकान बनाने के लिए भूमि आवन्टित की गई है? यदि हों, तो किन-किन को, कितनी-कितनी और कब-कब? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में उपलब्ध है।
(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गई है वह अधूरी सूची है। मैंने प्रश्न पूछा था कि "हाल ही में भारत-पाक युद्ध में राजस्थान के कितने सैनिक, अर्द्ध सैनिक, सीमा सुरक्षा दल, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी एवं अन्य नागरिक मारे गये एवं अपाहिज हो गये इनके मरने एवं अपाहिज होने की सूचना राज्य सरकार को कब-कब प्राप्त हुई ? इनको और इनके परिवार के लोगों को कब-कब कितनी-कितनी नकद सहायता दी गई है ?" इसमें जो आपने सूची दी है इसमें गंगानगर के क्षेत्र में कितने मारे गये उनके बारे में सूची में कुछ भी नहीं बताया गया है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : वो तो स्वर्ग में पहुंच गये हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : वो तो गये, पर उनके परिवार वालों को क्या सहायता दी गयी व कब-कब दी गयी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : गंगानगर के कई नागरिक मारे गये हैं।

एक माननीय सदस्य : कई मारे गये हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : एक लड़का अमृतसर में पढ़ता था बी० ए० में, वह खड़ा-खड़ा ही मर गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो अमृतसर के इलाके की बात हो गयी यहां तो नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : वह तो अमर हो गया।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अमृतसर में जब बम्बार्डमेन्ट हुआ, और तोपें चलने लगीं तब हार्ट फेल हो गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सूचना मंत्री महोदय ने मुझे दी उसमें इन लोगों के परिवार वालों को चाहे उसकी पत्नी हो या उसका कोई उत्तराधिकारी हो उनको आपने कोई जमीन वगैरह दी है क्या? तो 131 सैनिकों की सूची दी है। इसके अलावा 27 व्यक्तियों की सूची है। इनमें आपने पहले दस व्यक्तियों को ही भूमि आवन्टित की है। बाकी जो बच गये हैं उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों ने अपने देश की आजादी के लिये जान, अपने प्राणों की आहूति दी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लिये सोलजर्स बोर्ड बने हुए हैं, राजस्थान के हरएक जिले में हैं। उनको चाहिए कि वो वहां से फार्म भर कर जिलाधीश के मारफत दरख्वास्त दें

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

तो कार्यवाही हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारियों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी होगी, या हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारियों ने अपने शहर या गांव के पास ही जमीन मांगी होगी, और अगर वहां पर कोई जमीन नहीं हो तो राज्य सरकार कहां से जमीन देगी। राज्य सरकार उनको दूसरी जगह जमीन अलॉट कर सकती है। जहां राज्य सरकार जमीन अलॉट करती होगी वहां पर वह लोग जमीन लेने को तैयार नहीं होते होंगे। वैसे मैं आपसे निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार उनको हर प्रकार से फेसीलिटीज देने को तैयार है। इसके अलावा राज्य सरकार नकद सहायता भी देती है। वह एक हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक होती है। इसके अलावा राज्य सरकार तो ऐसे मामलों को हमेशा प्राथमिकता देती है।

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा। जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि जो लोग मारे गये हैं उनके उत्तराधिकारियों को चाहिए कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें जिलाधीश के मारफत। और जिन्होंने आवेदन पेश नहीं किया है उन्हें जमीन कैसे मिल सकती है। मेरा इसके बारे में यह निदवेन है कि ज्यादातर सैनिक लोग देहात के क्षेत्र के होते हैं और उनकी पत्नियां पढी लिखी नहीं होती हैं वो इस प्रकार के कानून कायदों में समझती नहीं हैं तो क्या राज्य सरकार खुद ही उन्हें बिना आवेदन-पत्र पेश किये ही भूमि आवन्टित नहीं कर सकती है? या कोई दूसरी सहायता नहीं दे सकती है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया है कि इसके लिये सोलजर्स बोर्ड बने हुए हैं जो कि हर एक जिले में हैं। वही इनके बारे में कार्यवाही करते हैं। वहां पर उन्हें सभी प्रकार की सूचनायें मिल सकती हैं। उनको चाहिये कि वहां से फार्म लेकर जिलाधीश महोदय के मारफत राज्य सरकार को अपने आवेदन पेश करें। लेकिन अगर राज्य सरकार के पास आवेदन-पत्र ही नहीं आये तो राज्य सरकार को क्या पता लगेगा कि कौन मरा और उसका उत्तराधिकारी कौन है। वह मदद लेना चाहता है राज्य सरकार से या नहीं।

श्री सज्जनसिंह : मैं मन्त्री महोदय का निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई सैनिक मरता है तो उसकी इत्तिला आती है उसका रेकार्ड भी राज्य सरकार के पास रहता होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिये क्या राज्य सरकार या सोलजर्स बोर्ड, जिनके पास कि इत्तिला आती है उन मरे हुए सैनिकों की विधवाओं के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसे आदेश राज्य सरकार को समय-समय पर निकालने चाहिये कि उनके केसेज शीघ्रातिशीघ्र डिस्पोज ऑफ करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर दरख्वास्त मिलेगी तो शीघ्रातिशीघ्र फैसला राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार तो इसके बारे में काफी जागरूक है, और इसके लिये प्रयत्नशील रहती है कि जल्दी से जल्दी उन्हें जितनी

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

भी सहायता, कायदे के अनुसार मिल सकती है वह दी जाय। लेकिन एप्लीकेशन नहीं आती है तब तक राज्य सरकार क्या करे? क्योंकि यह राज्य सरकार के पास खबर नहीं होती है कि उसका उत्तराधिकारी कहां-कहां रह रहा है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा?

श्री सज्जनसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने गलत सूचना देने का प्रयत्न किया है। यह गवर्नमेंट के रिकार्ड पर होता है कि उत्तराधिकारी कौन है, मेरे मरने पर मेरा उत्तराधिकारी फलां इस प्रकार नॉमिनी को नियुक्त किया जाता है और आप उस नॉमिनी को मालूम कर सकते हैं। जो वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गये हैं उनके परिवार के लिये कब तक आप भूमि के मामले डिस्पोज ऑफ करने का इरादा रखते हैं? How much time do you think you are taking in this?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी से जल्दी। एक दिन की भी देरी हम नहीं करना चाहते हैं हमारी ओर से।

श्री सज्जनसिंह : इस खरीफ के पहले पहले?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी से जल्दी कर देंगे हमारे पास दरख्वास्त देते ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 131 जवानों ने वीरगति पायी है उनमें से कितनों की दरख्वास्तें आयी हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिनको भूमि अलॉट की है उन सब के नाम सूची में दर्ज हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाकी कितने हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 121 की एप्लीकेशन नहीं आयी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसे-जैसे एप्लीकेशन्स आ रही हैं हम फैसला कर रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह गलत है। 31 अगस्त और 27 अगस्त, केवल दस को दी है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि दरख्वास्तें आ रही हैं यह गलत है। कलेक्टर के पास पेन्डिंग हैं। कलेक्टर के पास पेन्डिंग हैं। कलेक्टर ए० डी० ओ० को भेजता है, एस० डी० ओ० तहसीलदार को और तहसीलदार सरपंच को और फिर घूमकर कलेक्टर के पास आती है। फिर हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई होगी और फिर इस प्रकार की बात करेंगे क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेड टेपिज्म को समाप्त करने के लिये सीधी दरख्वास्त तहसीलदार के माध्यम से लेना चाहते हैं या नहीं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमारा यह प्रोसीजर है कि सोल्जर्स बोर्ड को दरख्वास्त भेज दें और छांट कर जमीन न लें तो हम कल ही कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर मगर को हटा कर विधवाओं के प्रश्न पर समहत हों तो दरख्वास्त तहसीलदार से सीधी काल कर लें और यहां डिस्पोजल जल्दी हो जाय इस स्थिति में हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनकी सुविधा के अनुसार किया है । डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड हैं। रिजर्व है उसमें से कभी भी ले सकते हैं । मर्जी से छांटना चाहें तो दिक्कत पैदा होती है। क्योंकि वहां जमीन उपलब्ध नहीं है। हमारी तरफ से देरी नहीं करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उन विधवाओं की जानकारी आप स्वयं करेंगे या नहीं ? लालफीताशाही फौरन खत्म हो सकती है जब मिनिस्टर एफिशियेन्ट हो जायें । एफिशियेन्ट न हों तो वहां यह चलती है ।

श्री मोहनराज (बाली) : दूसरे माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है......

श्री उपाध्यक्ष : हाइपोथेटिकल नहीं ।

श्री मोहनराज : प्रश्न के रूप में ही रख रहा हूं । ऐसी विधवा बहिनों की दिक्कत मिटाने के लिये सोल्जर्स बोर्ड बने हुए हैं । उनके किसी कर्मचारी को भेजें अपने अपने जिले में जिनके घरों से सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन माता और बहिनों के पास वे पहुंचें और मालूम करें और फार्म भरवा कर एक निश्चित अवधि में पेश करने के लिये इन्स्ट्रक्शन्स देने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सेक्रेटरी सोल्जर्स बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में हैं । वे जाकर पता लगा कर दरख्वास्त भरवा कर लावें ऐसा कर सकते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : करंगे या नहीं ?

श्री सज्जनसिंह : यह आपने स्पष्ट नहीं फरमाया कि इस साल के खरीफ के सीजन से पहले-पहले, वर्षा होने से पहले-पहले उन वीर गति प्राप्त सैनिकों को, उनके परिवार और विधवाओं को जमीन अलॉट करने का इरादा है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज ही एलॉट करने का इरादा है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि में उस सैनिक की, जो वीरगति प्राप्त हो गया हो, विधवा को जमीन न मिली हो और दूसरे व्यक्ति ने उसके नाम से ले ली हो और बेच कर पैसा खा गया हो तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप जानकारी देंगे उसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 246.

स्थगित प्रश्न

(3-5-72 व 17-5-72)

भारत-पाक युद्ध और काश्तकारों को हानि

246. **श्री केदारनाथ (गंगानगर)** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत भारत-पाक युद्ध (दिसम्बर, 1971) में गंगानगर के सीमावर्ती गांवों में काश्तकारों को खेत व गांव छोड़ने से कहां और कितनी-कितनी हानि हुई ?

Page No. 21

(श्री केदार नाथ)

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त नुकसान का क्लेम केन्द्रीय सरकार से किया है ? यदि हां, तो कितना और आज तक कितना मुआवजा राज्य सरकार ने काश्तकारों को चुकाया है ? गांववार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती गांवों में रहने वालों को और क्या सुविधायें देने की घोषणा की गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार काश्तकारों से खरीफ व रबी की फसलों का लैण्ड रेवेन्यू व इर्रिगेशन चार्जेज वसूल न कर उसे माफ करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के काश्तकारों से बकाया रकम की वसूली को एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र के उप-खण्ड गंगानगर, रायसिंहनगर एवं करणपुर में काश्तकारों को गांव व खेत छोड़ने से निम्न प्रकार की क्षति हुई है :—

क्र० सं०	उप-खण्ड का नाम	फसलों की क्षति — क्षेत्रफल बीघा में — खरीफ	रबी	अनुमानित हानि रुपये में — खरीफ	रबी
1.	गंगानगर	35200.16	4274.01	7040200	641100
2.	करणपुर	35333	22548	7066600	3382200
3.	रायसिंहनगर	12669	32905	2533800	4935760

पशुधन एवं औजार इत्यादि की क्षति

1. गंगानगर
2. करणपुर
3. रायसिंहनगर

} लगभग 3,03,000 रु० की क्षति का अनुमान है मूल्यांकन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

मकानों की क्षति

1.	गंगानगर	11 मकान	40,000 रु०
2.	करणपुर	8 मकान	4,900 रु०
3.	रायसिंहनगर	..	..
	कुल	..	44,900 रु०

रोजगार आदि की क्षति

1. गंगानगर 215
2. करणपुर 200
3. रायसिंहनगर 596

} क्षति का मूल्यांकन पूर्ण नहीं हुआ है। जिला स्तर पर अनुमानित हानि 6,53,050 रु० आंकी गई है।

(2) भारत सरकार को फसलों की क्षति के लिये 2,60,66,100 रु० की राशि का क्लेम दिनांक 18-5-72 को भेज दिया गया है। कोई मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है अतः सूची का प्रश्न ही नहीं है।

(3) सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को तदर्थ निर्वाह भत्ता क्षतिग्रस्त मकानों के लिये अनुदान तथा ऋण, व्यापार करने के लिये ऋण व सहायता, पशुधन व कृषि सम्बन्धी यंत्रों तथा फसलों की हानि के लिये सहायता देने की केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है।

(श्री औंकारलाल)

(4) लैण्ड रेवेन्यू का मामला विचाराधीन है इरिगेशन चार्जेज के बारे में इरिगेशन व ड्रेनेज एक्ट, 1954 के अनुसार रियायत की जायगी।

(5) जी नहीं।

श्री केदारनाथ : यह टोटल जो बताया, डिले का क्या कारण है ?

श्री औंकारलाल : उस समय तक पूरी सूचना उपलब्ध नहीं थी। बराबर गंगानगर में इस बात की जानकारी की जा रही थी। ज्योंही जानकारी प्राप्त हुई इसकी सूचना दे दी गई।

श्री केदारनाथ : क्लेम के लिये पत्र भेजा तो उसको परस्यू किस प्रकार किया जायगा।

श्री औंकारलाल : क्लेम किया गया है और कोशिश की जा रही है कि इसकी स्वीकृति होते ही यह पैसा बांट दिया जावेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्मरण-पत्र भेज रहे हैं या स्वयम् जाकर सम्पर्क साध रहे हैं ?

श्री औंकारलाल : 18-5-72 को पत्र भेजा गया है। इसमें गति लाने के लिये और पत्र भेजे जा सकते हैं और स्वयम् भी जा सकता हूं।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट आँथोरिटीज ने जितना नुकसान हुआ है उसका क्लेम बनाकर आपको भेज दिया या सेक्रेटेरियट से डिले हुई है, या केबिनेट लेवल पर परस्यू नहीं किया गया, क्या यह सही है ?

श्री औंकारलाल : मैं समझा नहीं।

श्री केदारनाथ : जितना नुकसान हुआ है डिस्ट्रिक्ट आँथोरिटीज ने आपको भेज दिया तो क्या केबिनेट लेवल पर इस केस को तैयार नहीं किया गया इसलिए सेन्टर को नहीं भेजा ?

श्री औंकारलाल : ऐसी बात नहीं है डिस्ट्रिक्ट आँथोरिटीज ने सूचना भेजी उसी के आधार पर भारत सरकार को क्लेम के लिए लिख दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आँथोरिटीज ने कितना समय लिया और केबिनेट लेवल पर या उस लेवल के आस-पास आने पर कितना समय लिया गया ?

श्री औंकारलाल : यह बताना मुश्किल है कि कितना समय लिया। लेकिन मैं निवेदन कर चुका हूं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कि चूंकि गंगानगर जिले से जहां इसकी पूरी जानकारी की गयी और छानबीन की गयी उसमें विलम्ब अवश्य हुआ है लेकिन ज्योंही पूरे आंकड़े प्राप्त हुए उसके आधार पर भारत सरकार को क्लेम प्रस्तुत कर दिये गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके पास गंगानगर जिले से इत्तिला यहां सेक्रेटेरियट में कब आई ?

श्री औंकारलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह तो प्रश्न पैदा नहीं होता कि कब आई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तब ही तो बता सकेंगे कि डिले कहां हुई।

श्री ओंकारलाल : गंगानगर में कलेक्टर के यहां से उत्तर आने में देरी हुई है और उसके आंकड़ों में फर्क लगता था और उन आंकड़ों को वेरीफाई करना था और जब वेरीफिकेशन हो गया उसके बाद में जो सूचना प्राप्त हुई, भारत सरकार को भेज दी गई।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नीचे के स्तर पर डिले हुई और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिले हुई उसको आप उचित मानते हैं क्या ?

श्री ओंकारलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मसले बहुत नाजुक होते हैं। जब ऐसी सूचना चाही जाती है और जो कि तहसील और गांवों से लाई जाती है क्योंकि यह क्षति का मामला है इसलिए इस प्रक्रिया के अन्दर तो समय लग ही सकता है। देरी अवश्य हुई है। मैं समझता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के भी ध्यान में ला रहा हूं और चाहता हूं कि इस प्रकार के काम में जो क्षति का काम है और युद्ध के समय इस प्रकार की बात हो उसमें देरी हुई है तो इसमें आवश्यक कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए और अगर किसी स्तर पर देरी हुई है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी कह रहे हैं कि देरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुई है और सेक्रेटेरियट लेवल पर नहीं तो आपने इसकी जांच कर ली है तो कृपया बता दें कि आपके सेक्रेटेरियट में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज से यह इन्फोर्मेशन कब आ गई थी ताकि हम अन्दाजा लगा सकें कि देरी कहां हुई ?

श्री ओंकारलाल : किस बात की इन्फोर्मेशन ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक स्तर पर तो आपने मान लिया कि देरी हुई है तो फिर उसके लिए भी कह दें कि देरी हुई है और एक्शन लेंगे।

श्री ओंकारलाल : मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां ऐसा हुआ है उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है और केबिनेट स्तर पर या यहां देरी नहीं हुई। आते ही क्लेम भेज दिये गये।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जो हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है......

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री केदारनाथ : प्रश्न के पार्ट 4 में मैंने कहा कि उनसे इरिगेशन चार्जेज वसूल नहीं करना और लैण्ड रेवेन्यू वसूल नहीं करना तो आपके ही हाथ में है। पंजाब में भी लैण्ड रेवेन्यू और इरिगेशन चार्जेज माफ हुए हैं, तो इसमें तो सेन्टर की मन्जूरी आपको नहीं लेनी है।

श्री ओंकारलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न 4 के उत्तर में कहा है कि लैण्ड रेवेन्यू का मामला विचाराधीन है और इरिगशन चार्जेज के बारे में भी नियमों के तहत उनको रियायत दी जायेगी। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य मानेंगे कि लैण्ड रेवेन्यू का मामला मंत्री महोदय के पास है वह मामला चल रहा है और मैंने

(श्री ओंकारलाल)

भी जानकारी की है वह इस पर सतर्क हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस कार्य में गति लाई जा सकती है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : दोनों ही मन्त्री एक प्रांगण पर बैठे हैं। आप उपाध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्रियों को एक मिनट दे दें और इस पर तसफिया कर के निर्णय वह दे दें।

श्री ओंकारलाल : ऐसा तो मसला नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आपस में सलाह कर के जल्दी से जल्दी इसको निपटाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है······

श्री उपाध्यक्ष : आगामी प्रश्न।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जो क्षेत्र अब भी पाकिस्तान के कब्जे में है उनको क्या रियायत देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आगामी प्रश्न।

श्री राजेन्द्रसिंह।

स्थगित प्रश्न

(4-5-72)

डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट

285. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की सीनियोरिटी निश्चित की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का फिक्सेशन भी उपरोक्त सीनियोरिटी लिस्ट में किया गया है ? यदि नहीं, तो इनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किन्हीं डॉक्टर्स द्वारा इस बारे में अपील की गई है ? यदि हां, तो किन किन द्वारा और कब कब ? उन पर क्या निर्णय लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) (चिकित्सा मंत्री की ओर से) :

(1) जी हां, प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां, सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री राजेन्द्रसिंह : किस आधार पर यह सीनियोरिटी की लिस्ट तैयार की गई ?

श्री चन्दनमल बैद : जो नियम बने हुए हैं उसी के आधार पर।

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या जूनियर स्पेशलिस्ट जिन्होंने 4 वर्ष अपनी स्पेशलिटी में पूरे कर लिये हैं उन्हें सीनियर स्पेशलिस्ट की सूची में शामिल किया जा सकता है ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातें तो मैं यहां नहीं बता सकता लेकिन नियमों के अनुसार ही सूची तैयार

(श्री चन्दनमल बैद)

की गयी है। नियमों का उल्लंघन यदि हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या आप बता सकते हैं कि पेथोलोजिस्ट को सीनियर स्पेशलिस्ट माना जाता है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : यदि नियमों में माना जाता होगा तो माना जाता है और यदि नहीं, तो नहीं।

श्री राजेन्द्रसिंह : माना जाता है या नहीं माना जाता है ? यह नियमों का सवाल नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर सेवा नियमों में लिखा है तो माना जाता है और नहीं लिखा गया है तो नहीं माना जाता है।

श्री राजेन्द्रसिंह : मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बताइये ना ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस विभाग में भी आप डेपुटेशन पर ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आगामी प्रश्न, श्री नाथूराम।

स्थगित प्रश्न

(18-5-72)

समाज कल्याण विभाग में नियोजन एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना

597. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण निदेशालय में वर्तमान में किस किस वर्ग में कितने कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? उनमें से कितने कितने हरिजन व भील आदिवासी हैं ?

(2) समाज कल्याण विभाग में नियोजन एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई ? इस प्रकोष्ठ की स्थापना के पश्चात कितने कर्मचारियों को आरक्षित रिक्तियों पर किस किस वर्ष में नियोजित कराया गया ? इनमें कितने मेहतर और भील थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने आरक्षित रिक्तियों की देखरेख का दायित्व इस प्रकोष्ठ पर रखा है ? यदि हां, तो राज्य में कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्ति किस किस शैक्षणिक स्तर के बेरोजगार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। राज्य में किस किस विभाग में किस किस वर्ग में कितनी कितनी आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिये अवशिष्ठ हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) आरक्षित अवशिष्ट रिक्तियों की आपूर्ति के लिये क्या राज्य सरकार अनु-सूचित जाति और जन-जाति के निमित्त बेन उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) समाज कल्याण निदेशालय में वर्तमान में अधिकारी वर्ग में 12, अधीनस्थ वर्ग में 22, मंत्रालिपिक में 86, एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 36 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनमें अधीनस्थ वर्ग में 1 मेहतर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 2 मेहतर निदेशालय में कार्य कर रहे हैं।

(श्री औंकारलाल)

(2) समाज कल्याण विभाग में नियोजन एवं प्रकोष्ठ की स्थापना 1-4-1970 में हुई है। इस प्रकोष्ठ की स्थापना के पश्चात् विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 30-9-1971 तक 1,147 अनुसूचित जाति एवं 564 अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं। मेहतर और भीलों की अलग से सूचना प्राप्त नहीं की जाती बल्कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की सूचना प्राप्त की जाती है। मेहतरों और भीलों की सूचना प्राप्त करने के लिये अलग से विभागों को लिख दिया गया।

(3) यह सत्य है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की देख-रेख का दायित्व इस प्रकोष्ठ का है। उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों की शैक्षणिक स्तर के आधार पर बेरोजगारी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य में किस किस विभागों में किस किस वर्ष में कितनी कितनी आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिये अवशिष्ट है उसकी सूचना विभागों से प्राप्त की जा रही है।

(4) इस प्रश्न का सम्बन्ध सामान्य प्रशासन विभाग से है जिसके लिये इस मामले पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सूची दी गई है वह संतोषजनक नहीं है। वैसे मैं सिर्फ मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हाई पॉवर कमेटी बनी हुई थी उसकी मीटिंग कब हुई थी।

श्री औंकारलाल : इस सम्बन्ध में हाई पॉवर कमेटी कब हुई, मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,.........

श्री औंकारलाल : वैसे मैं जानना चाहूंगा कि हाई पॉवर कमेटी का जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कौनसी है ?

श्री नाथूराम : केबिनेट में जो निर्णय लिया था उस पर सरकार ने क्या विचार किया ?

श्री औंकारलाल : इसमें निर्णय करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है कि इसमें कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, हाई पॉवर कमेटी की मीटिंग हुई नहीं है, मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है। समाज कल्याण विभाग के अन्दर भी इसके आदमी नहीं हैं.....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री औंकारलाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। कहीं पर एक को रखा है और कहीं पर दो का रखा है किस विभाग में कितने रखे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

Page No. 27

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में आपने समाज कल्याण विभाग में केवल एक हरिजन और दो भील हैं यह बताया है····

श्री ओंकारलाल : दो मेहतर हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न तो पूछा है हरिजन का । प्रश्न यह है कि कितने हरिजन और कितने भील आदिवासी हैं । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग हैं? जिस डिपार्टमेन्ट पर यह जिम्मेदारी है कि उनके रिजर्वेशन्स की रक्षा करें उस खुद डिपार्टमेन्ट के अन्दर ही यह हालत हो कि उसमें एक हरिजन और दो आदिवासी केवल हों तो क्या रक्षा कर सकेंगे?

श्री ओंकारलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक प्रश्न लगता है कि जिसकी भावना को मैं समझ रहा हूं लेकिन नियमों के अन्तर्गत रोस्टर प्रणाली के आधार पर ही नियुक्तियां होती हैं और उन्हीं के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं ।

श्री विट्ठल : जो आपने जानकारी दी है कि समाज कल्याण विभाग में जितने कर्मचारी रख छोड़े गये हैं वे क्या सब हरिजन और आदिवासी हैं या और जाति के हैं ?

श्री ओंकारलाल : मैंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री नाथूराम : जैसा कि अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया है मेरी सूचना के अनुसार मैट्रिक 682 और हायर सैकेण्ड्री 477 हैं । ग्रेज्यूएट 119 और एम० ए० 36 हैं जो अनुसूचित जन-जाति के हैं । कुल इनकी संख्या 1,314 हैं । इसी तरह से अनुसूचित जाति की संख्या में बता देना चाहता हूं । मैट्रिक 1,797, हायर सैकेण्ड्री 1,429 और बी० ए० 326 और एम० ए० 81 कुल 3,633 का रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन विभाग की तरफ से जो नियुक्तियां की गई हैं उनके अन्दर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है । मेरे प्रश्न पूछने का मतलब यही था कि भील और हरिजन कितने हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है ।

श्री ओंकारलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है कि कितने भील हैं, कितने हरिजन हैं और कितने मेहतर हैं । यह सूचना विभाग के पास रहती है । मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि इसकी सूचना मंगवाई जा रही है और जल्दी ही आ जाएगी ।

श्री देवीलाल : यह जानकारी कब तक मंगाई जाएगी ?

श्री ओंकारलाल : सारे डिपार्टमेंटों से कब तक सूचना प्राप्त हो सकेगी यह तो आप भी समझ सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,·······

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सारड़िया : मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि सूचना मंगा रहे हैं । तो जब तक सूचना प्राप्त नहीं हो तब तक के लिए प्रश्न को स्थगित फरमा दिया जावे ।

श्री ओंकारलाल : प्रश्न को स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री देवीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग के पास जब यही संख्या नहीं है कि कितने हरिजन और कितने भील हैं, उनकी असली संख्या क्या है तो फिर वह विभाग किस प्रकार काम कर सकता है ? राज्य सरकार फिर इस विभाग को किस काम के लिए रखती है ?

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यहां पर भी दो चार को रख दिया है, नहीं तो इनका इरादा तो वह भी रखने का नहीं था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्रीजी स्वयं हैं ना।

श्री लूणाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ......

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे — अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीलाल : भील और आदिवासियों को रखने के लिए यह विभाग है और चूंकि विभाग इस बारे में कार्य नहीं करता है इसलिए दूसरे लोगों को लगा दिया जाता है।

श्री नाथूराम : मेरे पास सूची है, हरिजन पढ़े-लिखे मौजूद हैं उनको नहीं लगाया जा रहा है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये तो ढोल बजा बजा कर दूसरे लोगों को रखते हैं और ढोल बजा बजा कर ही नहीं रखते हैं ....

श्री विट्ठल : जो छोटे 2 लोग हैं, चपरासी वगैरा उनको तो रखते है लेकिन बड़ी 2 जगहों पर नहीं लगाते है ....

(अश्रव्य — शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री विट्ठल : आई० ए० एस० और दूसरे बड़े 2 अफसरों की जगह हैं वहां पर नहीं रखते हैं। आदिवासियों और हरिजनों को वहां पर नौकरी नहीं देते हैं। 28 परसेन्ट का जो कोटा निर्धारित है उसमें भी नहीं रखते हैं। जो लिस्ट दी जाती है वह भी छोटे 2 लोगों को दी जाती है। यहां तक कि इण्टरव्यू के अन्दर भी नहीं लिया जाता है। सभी जगह यही हाल हो रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गत दो वर्षों में कितनी नियुक्तियां हुई और उन नियुक्तियों में कितने हरिजन और आदिवासी, कितने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रखा गया है, कृपया बतादें ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जैसा यहां बताया गया कि समाज-कल्याण विभाग में केवल एक हरिजन और दो आदिवासी हैं, यह आपने पहले प्रश्न के उत्तर में दिया है, तो क्या इससे सरकार यह महसूस नहीं करती कि यह गैर आदिवासी और गैर हरिजनों से भेद है।

Page No. 29

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो क्या स्टेट गवर्नमेंन्ट एज ए पॉलिसी यह जरूरत नहीं महसूस कर सकती कि उसका हैड आफ दी डिपार्टमेंट आवश्यक रूप से शिड्यूल्ड कास्टया शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो ताकि वह इनके इण्ट्रेस्ट का ठीक तरह से संरक्षण कर सके और डिपार्टमेंट भी मेजोरिटी में ऐसे लोगों से मेंड हो कि जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों। क्या इस सम्बन्ध में यह नीति परिवर्तन करने का सरकार विचार करने का इरादा रखती है ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)
(व्यवधान — शोरगुल — अश्रव्य)

श्री ओंकारलाल : माननीय सदस्य का सुझाव तो उत्तम है और आगे विचार भी किया जा सकता है लेकिन अभी कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे ? आप इसको दुरुस्त मानते हैं तब ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : समाज-कल्याण मंत्री आपके पूर्व अधिकतर पंडित ही रहे हैं तो कृपया बतावें कि उन्होंने पंडितों का कल्याण ही किया या और भी कुछ किया ?

श्री नाथूराम : पंडितों को ही ज्यादा रखा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करता हूं माननीय सदस्य को कि ये तो पंडित वण्डित ही करते रहेंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ कराना है तो मेरी विनती है कि लंगोट कस लो, झण्डा पकड़ो और हरिजन मिनिस्टर का घेराव कर लो, निकलने मत दो जब तक कोई पूरा आश्वासन न दे कि आदिवासी सदस्यों को लगाया जायगा ।

(व्यवधान — अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आगामी आने वाले चुनावों में कांग्रेस के साथ मत रहना ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे — अश्रव्य)

माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री फूलचन्द सामरिया : आज तक हरिजनों का और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, मुख्य मंत्रीजी भी राजनीति में भी कुछ नहीं कर रहे हैं और यह डिपार्टमेन्ट भी इन-इफेक्टिव है

(शोरगुल — अश्रव्य)

श्री नाथूराम : मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या भविष्य में हरिजनों की नियुक्ति नियमानुसार की जावेगी, ऐसा माननीय मंत्री महोदय एलान करें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दो प्रश्न रह गए हैं ।

श्री भरथीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब चाहता हूं कि आयन्दा सरकार में जो नियुक्तियां होंगी वह सारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की ही होगी ।

श्री नाथूराम : विभाग पालन नहीं करते है। उनको 28 पर्सेन्ट का पालन करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री विट्ठल भाई : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

श्री नत्थीसिंह : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री विट्ठल भाई : हरिजनों के स्थान दूसरे लोग खा जाते हैं। इस कोटे से आदिवासी और हरिजन लोगों को कोई फायदा नहीं है। जितना भी समाज कल्याण का पैसा है वह दूसरे लोग खा जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों..

श्री विट्ठल भाई : उनकी कोई जांच नहीं होती है·········

श्री नत्थीसिंह : समाज कल्याण डिपार्टमेन्ट में ही नहीं दिया जा रहा है।

श्री विट्ठल भाई: उपाध्यक्ष महोदय कम से कम इसका उत्तर तो आ जाय। समाजकल्याण विभाग में जो स्थान हैं वह भी नहीं मिलते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या वह जरूरी समझते हैं कि यह जो रिजर्वेशन किया गया है वह सही मायने में उनको गुलामों की सी स्थिति में रखने के लिए है। वह नहीं हो सके इसके लिए जरूरी है कि जो उद्योगों के लाइसेन्स हैं, कोटा व परमिट हैं वह उनको दिये जांय ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह भाषण का समय नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब तो कमेटी बन गई है।

श्री मूलचन्द सामरिया :क्या उद्योगों में····

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी तो नियमों का पालन करें। आपसे निवेदन है कि नियमों को कृपया पालन करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, रात-दिन कांग्रेस समाजवाद और गरीबी दूर करने का नारा लगाती है तो कोटा, परमिट व लाईसेन्स उद्योगों के लिए देने में उनको रिजर्वेशन देने का स्वीकार करती है या नहीं सरकार ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनको अपने दल से निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं······

(श्री विट्ठलभाई के खड़ होने पर) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय सदस्यों से निवदेन करना चाहता हूं।

श्री माथूराम : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं……

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो प्रश्न-काल है उसको बढ़ा दिया जाय क्योंकि एक स्थगन प्रश्न और भी है माननीय यशवन्त सिंह जी नाहर का है। यह बड़ा इम्पार्टेन्ट है। हरिजन भाइयों के बारे में एक प्रश्न चल रहा है उसका माननीय मंत्रीजी को उत्तर देना चाहिए और इसके बारे में जो प्रश्न नाहर साहब का है, मेरा यह निवेदन है कि 10-15 मिनिट प्रश्न-काल का समय बढ़ा दिया जाय तो हरिजन भाइयों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है और जो डॉक्टर्स के बारे में प्रश्न है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी उत्तर मिल जायगा।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : स्थगित प्रश्न को पहले लिया जाना चाहिए।

श्री मस्तीसिंह : टाइम बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

स्थगित प्रश्न

18-5-72

बेरोजगार डॉक्टरों को सुविधायें

624. **श्री यशवन्तसिंह नाहर (वनेड़ा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में आज तक कितने डॉक्टर बेरोजगार हैं ?

(2) कितने डाक्टरों ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए सरकार से सुविधा मांगी है ?

(3) ऐसी सुविधा कब कब मांगी गई और उनको सुविधा कब कब दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) (श्री हरिदेव जोशी के स्थान पर) : (1) लगभग 625 डाक्टरों ने सी० ए० एस० के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ?

(2) 80 डॉक्टरों ने।

(3) सविधा मांगे जाने एवं स्वीकृति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

मांगी गई सुविधा के माह:
प्रदत्त स्वीकृति दिनांक:
संख्या:

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं समझता नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : (1) राज्य में आज तक कितने डाक्टर बेरोजगार हैं ? 625।

(2) कितने डाक्टरों ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए सरकार से सुविधा मांगी है ? 80 डॉक्टरों ने।

(3) ऐसी सुविधा कब कब मांगी गई, और उनको सुविधा कब कब दी गई ? इसके बारे में अर्ज कर रहा हूं कि 2 डॉक्टरों ने माह सितम्बर, 1971 में, 16 ने माह अक्टूबर, 1971 में, 10 ने माह नवम्बर, 71 में, दो ने दिसम्बर 1971 में, 3 ने माह जनवरी 1972 में, 4 ने फरवरी 1972 में, 31 ने मार्च 1972 में और

Page No. 32

(श्री चन्दनमल वैद)

12 ने अप्रेल 1972 में। इस तरीके से कुल 80 डॉक्टरों ने सुविधाएं मांगी हैं। इनमें से 40 डॉक्टरों को 15 मार्च 1972 को सुविधाएं दी गई, 32 को 5 अप्रेल, 1972 को सुविधाएं दी गई और 8 डॉक्टरों को 15 अप्रेल 1972 को सुविधा दी गई हैं। यानी 80 डॉक्टरों ने सुविधाएं मांगी थीं जिनको 15 अप्रेल 1972 तक 80 डॉक्टरों को सुविधा प्रदान कर दी गई।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 80 को दे दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कहां कहां के लिए दी गई है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह सूची तो इस समय मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो पत्र लिखकर सूची सप्लाई कर दूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अब प्रश्न यह रहता है कि क्या यह सुविधाएं जो उनको दी गई हैं वह जिस गांव के लिए सुविधा के लिए एप्लाई करते हैं उसकी च्वाईस पर नहीं सरकार की च्वाइस पर देते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार ने कुछ स्थान निश्चित कर रखें हैं उन स्थानों के लिए ही सुविधाएं दी जा सकती हैं। अब सरकार यह विचार कर रही है कि उस लिस्ट को रिवाइज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री यशवन्तसिंह नाहर के उत्तर सुनते समय खड़े रहने पर) आप तशरीफ रखिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, खड़ा रहना तो कोई अपराध नहीं है, बोलना अपराध है।

श्री उपाध्यक्ष : अपराध तो बोलने में भी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो संख्या आपने बताई है 80 की तो जो 625 डॉक्टर बेरोजगार हैं उस संख्या में यह 20 भी इन्क्लूडेड हैं या एक्स्ट्रा हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा मानता हूं कि उसमें इन्क्लूडेड हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्क्लूडेड नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : इन्क्लूडेड हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या जिनको सुविधाएं दी गई हैं वे एलिजिबल हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए ? जिनको सुविधाएं दे दी गई हैं, जिन्होंने 5 हजार का कर्जा ले लिया और स्टिपेण्ड ले लिया वह एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : या अगर जिनको सुविधाएं दे दी गई हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या नहीं ? मानें कि 5 हजार का कर्जा ले लिया और नौकरी पर चला जाय और 5 हजार का कर्जा नहीं चुकाये तो मैं समझता हूं कि बुरा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : साइमलटेनियसली दोनों सुविधाएं ले ले।

श्री चन्दनमल बैद : एम्प्लायमेंट पाने का तो हक है लेकिन जो सुविधाएं दी गई हैं उनको उसको वापिस लौटाना पड़ेगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 750 बेरोजगार डॉक्टर्स हैं मार्च 71 तक और एक को भी बेरोजगार डॉक्टर्स को काम नहीं दिया गया है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने संख्या बताई है 625 ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सप्लीमेंट्री पूछने का मेरा पहला अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) आप तशरीफ रखिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सप्लीमेंटरी का अधिकारी प्रश्नकर्ता का है। आई विल नाट टेक मच टाइम ऑफ दी हाउस।

आपकी च्वाइस पर आप गांव देते हैं पर जहां पर प्राइवेट प्रेक्टिस चलने की संभावना न हो वहां पर भेज दिया तो 5 हजार रुपया जो आप उसको दे रहे हैं वह वसूल नहीं हो सकेगा । इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह देहातों में जहां पर चिकित्सा सुविधा का अभाव है इस तरह के गांव जो हैं उनके लिए यह किया गया है, लेकिन सरकार इस प्रश्न को गम्भीरता से विचार कर रही है कि जो लिस्ट बनी है जगहों की उन जगहों में परिवर्तन किया जाय और उसमें कुछ शहर भी शामिल किये जायं ऐसा हम सोच रहे हैं ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लैप्स धनराशि

842. **श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी)**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

31 मार्च, 72 को समाप्त होने वाले वर्ष में किस-किस मद में कितना-कितना रुपया लेप्स हुआ ? कृपया इसकी तालिका सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

31 मार्च, 72 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इस विभाग में कोई राशि लेप्स नहीं हुई है ।

रोजगार एवं तकनीकी निदेशालय

845. **श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रोजगार निदेशालय व तकनीकी निदेशालय के समन्वय/विलय के सम्बन्ध में राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा 2 वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय का क्या हुआ ?

(2) उक्त निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) यह निर्णय बाद में बदल दिया गया।

(2) निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

सूरतगढ़ मुख्य नहर की शाखा से पानी

846. **श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (सूरतगढ़):** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ मुख्य नहर की शाखा नहर पी० टी० डी० से एक नहर गंग केनाल के छः मासी गांव 75 एन० पी० वगैरा को पानी देने के लिये चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नहर के कारण पी० टी० डी० के 18 नम्बर मोगे से टेल तक के सभी चकों में पानी में भारी कमी आ गई है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, गंग केनाल से 75 एन० पी० से 79 एन० पी० के चकों को सूरतगढ़ शाखा का पानी उपलब्ध है ।

(2) जी हां, कुछ कमी आ गई है। इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है ।

बीकानेर को लिफ्ट केनाल से पानी

848. **श्री गोपाल जोशी (बीकानेर):** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर लिफ्ट केनाल का निर्माण कितना हो चुका है ?

(2) शुरू में बीकानेर पानी पहुंचाने का कब तक का प्रोग्राम था ?

(3) अब इस केनाल के जरिये बीकानेर पानी कब तक पहुंच जायगा ? इससे कौन कौन से क्षेत्र में कितनी जमीन सिंचित होगी ? इस नहर पर कुल कितना व्यय होगा ।

उत्तर

(1) बीकानेर लिफ्ट केनाल पर 81% मिट्टी का कार्य व 31% लाइनिंग का कार्य पूरा हो चुका है ।

(2) शुरू में बीकानेर तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम वर्ष 1972–73 तक का था।

(3) समुचित धनराशि के उपलब्ध होने पर ही वर्ष 1973–74 तक बीकानेर पानी पहुंचाना संभव हो सकेगा । सिंचित होने वाले क्षेत्र की नहरवार सूची संलग्न है । इस योजना पर 11.50 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

जागीरदारों को मुआवजे का भुगतान

850. **श्री मोहन लाल छंगाणी (फलोदी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऐसे जागीरदारों की संख्या कितनी है जिनको मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है परन्तु बकाया की वसूली नहीं की गई ?

(2) प्रत्येक जागीरदार की ओर कितनी कितनी राशि कब कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

Page No. 35

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(3) जागीरदारों को मुआवजे का भुगतान कब किया तथा बकाया को वसूल क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बकाया की वसूली न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कब व कब तक कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) यह सूचना सदन की मेज पर रखी सूची में उपलब्ध है।

(3) यह सूचना सदन की मेज पर रखी सूची में उपलब्ध है।

(4) राज्य सरकार ने बकाया की वसूली न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बारे में जो निर्णय लिया उसके अनुसार अब तक जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री माणकचन्द सोगानी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 29 अप्रेल, 1972 को अजमेर के दो नवयुवकों, अविनाशकुमार दुबे तथा अखिलेशकुमार दुबे की नृशंस हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और यह घटना हाल की भी नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा, ने अमेरीका और सोवियत रूस के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की इस समय हो रही बैठक से वियतनाम समस्या पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि यह प्रस्ताव राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है और वियतनाम के प्रश्न पर सदन में चर्चा भी हो चुकी है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा, ने जयपुर शहर में वितरित होने वाले पेय पदार्थ जैसे कोका कोला, फण्टा आदि में मिलावट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। चूंकि इन स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध किसी घटना विशेष से नहीं है और इसमें कही गई बात अस्पष्ट है, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

(4) श्री टी० के० चौधरी सदस्य, विधान सभा, ने राजस्थान में मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन के ज्वाइण्ट सेक्टर में स्थापित होने और उसमें राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी केवल 26 प्रतिशत होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय में सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रकाश डाल चुके हैं और यह अविलम्बनीय लोकमहत्व की घटना नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गुमानमल लोढा और श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा, ने गंगानगर व अन्य जिलों में भवन व पथ-निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से सांठगांठ करके 35 लाख रुपये राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह स्थगन प्रस्ताव अस्पष्ट आरोपों पर आधारित होने के कारण तथा अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं होने के कारण मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री गुमानमल लोढा और श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा, ने परिवार नियोजन कार्यालय में छंटनी के कारण एक लिपिक के कुएं में कूदकर आत्महत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस स्ताव में घटना की निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है और इसी विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, ने जोधपुर सेण्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक में चेक और ड्राफ्ट के क्लियरेन्स न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने म असमर्थ हूं।

(8) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा, ने रामबाग पैलेस होटल के कर्मचारियों के आन्दोलन के सिलसिले में दिनांक 26 मई, 1972 को रात को 12.00 बजे इसी पैलेस होटल के 15 साल पुराने मिस्त्री श्री गफूर की मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। रामबाग पैलेस होटल की तालाबन्दी से उत्पन्न प्रश्न पर सदन में आज श्रम मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। फिर भी इस प्रस्ताव में उल्लिखित घटना पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव जयपुर शहर में......

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोगानी जी।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने उठाया है वह बहुत महत्व का है। यहां पर एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की हत्या का प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं। अजमेर के एक परिवार के वह लड़के थे। जिनके पिता की उम्र 76 साल है।

(श्री माणकचन्द सोगानी)

29 अप्रेल को वह लड़के अपनी टैक्सी में कुछ यात्रियों को बैठा कर ले गये। तारीख 30 को सुमेरपुर के पास उनकी लाशें मिली हैं। वहां के फोरेस्ट रेंजर ने पुलिस में उनकी इनफोर्मेशन दी। उनकी लाशों को वहीं दफना दिया गया। उनकी जो कमीजें थीं, उन पर अजमेर के पूरनसिंह दर्जी का नाम पड़ा हुआ था। उन कमीजों के अजमेर आने पर पता चला। इसकी वजह से अजमेर में आंतक छा गया है। कल भी यहां पर जो बहस चली, उसमें पुलिस की ओर से बहुत उपेक्षा दिखाई गई थी। अगर पुलिस की उपेक्षा इसी प्रकार की रही तो जो लोग भयभीत हो रहे हैं, उसके कारण बहुत ही चिन्तनीय वातावरण बन रहा है। रात को मैंने देखा है, कोई टैक्सी वाला टैक्सी लेकर जाने को तैयार नहीं है। इस तरह तो कोई भी आदमी मारा जायेगा, इतना भय छाया हुआ है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्दी से अपनी रिपोर्ट पेश करें। ताकि जो सन्तप्त परिवार हैं, उनको सांत्वना मिले। इसीलिए मैंने आपके सामने ये तथ्य रखे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,…………

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है…………

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह एक काफी अहम मसला है। जयपुर शहर में आज गन्दगी काफी चरम सीमा पर पहुंच गई है। जयपुर शहर में जो पीने के लिए कुछ चीजें बिकती हैं, उनमें भी कीड़े निकलते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए दो बोतलें यहां पर लाया हूं। गवर्नमेन्ट इनका एनेलेसिस करे। कुछ कम्पनियां यहां पर यह कार्य कर रही हैं। मैं उनको हाउस की टेबिल पर रखता हूं। इनका एनेलेसिस होना चाहिए। इस तरह से तो शहर के अन्दर कॉलेरा फैल जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर ख्याल किया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये कीड़ों वाली बोतलें हैं। (बोतल थैले से निकाल कर दिखाते हुये) इसमें जिन्दा कीड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : तब तो पियेंगे, लॉबी में रखकर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं काफी लाया था। लाबी में लोग पी गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप कितने अच्छे लग रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कोकोकोला से वैसे ही लोगों की आदतें खराब हो रही हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोतलें वापिस लौटाई जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, शास्त्रीजी को रोकिये। ये पीने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये दूसरी बोतलें नहीं समझी जायें।

जयपुर शहर में गटर का पानी, जिसमें मल-मूत्र मिला हुआ है, सप्लाई किया जा रहा है। यह पानी है, जिसमें कीड़ा है। जयपुर शहर में 183 एम० एल०ए० रहते हैं। सभी कीड़ों वाला पानी पीते हैं। जयपुर शहर में सब के पेट में कीड़े मिलेंगे। यहां जो बैठे हैं, उनके पेट में भी कीड़े होंगे।

एक माननीय सदस्य : मैं तो वह पानी नहीं पीता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो आप गांव से लाते होंगे। 183 एम०एल०ए० हैं, उनके पेट में कीड़े निकलेंगे। जयपुर शहर के पानी में बड़े बड़े कीड़े हैं। इस पानी में कीड़े मौजूद हैं। मैं इसको सदन की टेबल पर रखता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये कीड़े कहां से प्राप्त किये गये हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में कीड़े ही रह गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये जादू कहां का है? जादूगर कहां का रहने वाला है !?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जादू का पिटारा है।

जयपुर के लोगों को पीने का पानी मिलता नहीं है। गटर लाइन का गन्दा पानी मिलता है। जयपुर के जन जन के पेट में कीड़े हो जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर शहर में अस्सी प्रतिशत लोगों के पेट में कीड़े हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर मिल्क सप्लाई योजना द्वारा जो दूध सप्लाई किया जाता है उसमें भी मक्खियां पाई जाती हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बोतल लाओ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महोदय ने स्वयं माना है। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने भाषण के दौरान आरोप लगाये कि समाज कल्याण के छात्रावासों में जो छात्रों को दूध बांटा जाता है, उसको छात्र पीते हैं उसमें मक्खियां मिलती हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं ने माना है कि जयपुर डेअरी के द्वारा जो दूध सप्लाई किया जाता है उसके अन्दर मक्खियां मिलती हैं। इसके अलावा एक कोका कोला की बोतल गफ्फार अलीजी ने आपको भेंट की है उसमें कीड़े छोटे हैं, लेकिन मेरी बोतल में कीड़े बहुत बड़े मौजूद हैं। आप इसकी जांच कीजिये। तीसरी जो बोतल है, वह फंटा की मौजूद है, इसमें भी यह कीड़ा या मकड़ी चल रही है, लाल रंग की। यह भी देखने को मौजूद है। इसकी जांच कराइये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दिल्ली के अन्दर दूध में चूहा निकला था।

एक माननीय सदस्य : और क्या दूध की बोतल में हाथी निकलता।

Page No. 39

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप इन सारी बोतलों की रासायनिक जांच कराइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह पोर्टफोलियो आपके पास है और जिन विभागों के प्रश्नों का आपने जवाब दिया, उन सब विभागों में डेपूटेशन में थे। लेकिन किस्मत से आज आप मौजूद हैं, इसलिए मैं यह आपके सामने रखना चाहता हूं ····

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो बोतल सप्लाई करने वाला हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जन स्वास्थ्य में डेपूटेशन पर नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूं, जन स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि आप इसका इन्तजाम करिये। यह तीनों बोतलें मैं आपको भेंट कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो यह वापिस कर दें, नहीं तो दुकानदार को मैं पैसे चुका दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पैसे बोतलों के दे दिये होंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है। मैं पोस्ट ऑफिस से दो लिफाफे लाया तो एक लिफाफा है, वह बढ़िया है लेकिन दूसरे लिफाफे की हालत यह है (लिफाफा दिखाया) यहां पर लिखा हुआ है इधर से मोड़िये। यह यहां छपा हुआ है। यह लिफाफा इस तरह का है······

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह माननीय सदस्य के साथ पक्षपात हो रहा है, कोका कोला और फंटा में कीड़े निकल रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस ने भी इनके साथ गड़बड़ी कर दी।

श्री चन्दन मल बैद : किस्मत की बदकिस्मती का संवाद क्या करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर के लोगों को पानी शुद्ध मिलता नहीं है······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब आप मुंह से गोला निकालिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फंटा बढ़िया मिलता नहीं है, कोका कोला की बोतल बढ़िया मिलती नहीं है, दूध बढ़िया मिलता नहीं है। पोस्ट ऑफिस से लिफाफे लेने जायें तो उसमें भी गड़बड़ी। मैं यह सब मंत्री महोदय को भेंट कर देता हूं। लिफाफे भी दोनों भेज रहा हूं, एक असली है और एक नकली।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भेंट करने का यह अच्छा तरीका निकाला आपने ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार जन जीवन के साथ इस प्रकार खिलवाड़ न करे।

श्री गोपाल जोशी : गोल्ड स्पोट का नाम नहीं आया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ओन पोइन्ट ऑफ ऑर्डर·······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जमूरे की वकालत आपको करनी पड़ रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करायें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह जमूरे हैं दर जमूरे और इधर हैं। मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में दो बातें सम्मिलित हैं। जहां तक

Page No. 40

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

माननीय सदस्य इन बोतलों को सदन में ले आये, मैं उस पर आपत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति नहीं है । यदि ये बोतलें कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ले आते तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप उस स्थिति को समझिये, सदन में पम्फलेट डालने की घटना तो हो चुकी है । लेकिन कोई दर्शक बोतल लेकर चला आये, जो और यदि, वह उद्विग्न हों तो उनकी उद्विग्नता के कारण क्या स्थिति हो सकती है ? एक तो यह प्रश्न है जो मैं आसन के सम्मुख रखना चाहता हूं.....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य लाये हैं ।

श्री मोहरसिंह : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि कोई बम ले आये, एटम बम ले आये ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप इस पर व्यवस्था कर दीजिये । दूसरे जांच के लिए कहा गया है, तो बोतल में कीड़े जिन्दा हैं या कीड़े मर गये हैं और अगर जिन्दा नहीं हैं तो उनकी जांच का क्या प्रश्न है......

श्री चन्दनमल बैद : 302 का प्रश्न बन जायगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: अगर जिन्दा हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

श्री चन्दनमल बैद : 302 का केस बन जायगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: तीसरा बोतलों को टेबल ऑफ हाउस पर रखने का प्रश्न है, तो इस पर व्यवस्था होनी चाहिए कि टेबल ऑफ दी हाउस पर रखा जाना चाहिए या नहीं इन आर्टिकल्स को । आसन की आज्ञा होने पर टेबल ऑफ दी हाउस पर चीजें रखी जा सकती हैं ।

चौथा प्रश्न है कि बोतल मे कीड़े हैं या नहीं—इसकी जांच करने के बाद यह बोतल वापिस करदी जायगी या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं दें, मंत्री महोदय ले जायं, नहीं दें वापिस ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके संबंध में मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है, इसकी जांच करवाने के बाद में विचार किया जा सकता है । मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्व का है और जन-जीवन के साथ यह बंधा हुआ है । माननीय मंत्री कम से कम इस बात को स्वीकार करेंगे कि माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं और जो बोतल लेकर आये हैं, यह कोका कोला की बोतल और दूसरी फंटा की-यह प्राइवेट कम्पनी की है, इसका सम्बन्ध सरकार से नहीं है, सरकार का इतना सम्बन्ध है कि उसको इन कम्पनियों पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि जनता के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं हो । मैं समझता हूं कि इसकी जांच करावें और उचित कार्यवाही करने में माननीय मंत्रीजी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी इन्हें अपनी कस्टेडी मे ले लें और सेफ कस्टेडी में रख ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां आकर ले जायें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : और कीड़ों को सेफ रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के प्रश्न सदन में उठे हैं और इस तरह से पेय पदार्थ की बोतल पेश की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी। यह जन स्वास्थ्य का मामला है, आप जानते हैं कि सामान्य आदमी इन दोनों पदार्थों को पीता है, फंटा पीता है या कोका कोला पीता है तो सामान्य-तौर पर बोतल से पीता है, बहुत कम गिलास में डाल कर पीते हैं.....

श्रीमती सुमित्रासिंह : बोतल मुंह में मत लगाया करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए बाजार में जाने से पहले इनका चेकिंग हो फेक्ट्री में, ऑन दी स्पॉट ऑफ प्रोडक्शन किसी तरह से चेकिंग होना चाहिए वरना जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को भयंकर खतरा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे भी एक मिनिट निवेदन करना है। यह जो बोतल प्रस्तुत की गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी से कि रेजगारी का प्रश्न काफी जोर से चलरहा था और कल आपने छापा मरवा कर बरामद की और साढ़े चार क्विन्टल रेजगारी बरामद की गई........

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं धन्यवाद देता हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भी अच्छा काम करेंगे तो धन्यवाद दूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि यह जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध की बात है। इसमें नगर परिषद् का प्रश्न है और राज्य सरकार का जन स्वास्थ्य विभाग है उसका भी प्रश्न है। आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं निवेदन करता हूं वह अव्यवहारिक है। आज बोतल जिन बड़ी फेक्ट्री में बन्द की जाती है, वहां पर जांच करवाने की व्यवस्था करें क्योंकि यह बोतल सब पीते हैं, जो बोतल पीते हैं वह छिप कर पीते हैं वह बात दूसरी है, ओपन के अन्दर जो पीने की बात है, वैसे पीने वाले तो क्या क्या पीते हैं, लेकिन इससे पीने वालों को चिन्ता होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि तुरन्त आप व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

इसके साथ पेयजल के लिये कहा, कीड़ों के सम्बन्ध में कहा। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई जगह पानी में मिट्टी आरही है, आपने ट्यूबवेल द्वारा पानी सप्लाई करवाने की व्यवस्था की है, उससे पानी का लेवल नीचे चला गया है और शहर में काफी परेशानी है, शहर में पानी पीने को मिलता नहीं है। इससे जयपुर के लोग परेशान हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई अच्छा काम करके आप मुबारक बाद ले सकते हैं, तो वह केवल लोगों को पानी पिला कर ले सकते हैं। आप जनता की आशीष लें। आप फर्ज भूल जाते हैं तो विधान सभा के सदस्य......

श्री चन्दनमल बैद : मुझे नहीं पिलानी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विधान सभा के सदस्यों को लोग जलील करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा, छापा मरवाकर, यह न कह कर यह कहें, छापा मार कर......

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको तजुर्बा है, न जाने क्या क्या करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोका कोला एक अमेरिकन फार्मूले के तहत बनता है तो अमेरिकन फार्मूले में कीड़े पड़ रहे हैं। जे० एण्ड के० फूड प्रोडक्ट करता है, वह प्रभावशाली लोगों की कन्सर्न है। मैं समझता हूं, जो साहू जैन ब्रदर्स के सम्बन्ध में तथ्य आये हैं, जे० एण्ड के० के सम्बन्ध में भी जब कभी मौका आयेगा, और मौका मिला तो मैं ही प्रस्तुत करूंगा। आज रामप्रसाद लड्ढा ने जे० एण्ड के० की बहुत बड़े रीजन की एजेन्सी ली हुई है, बहुत बड़े मंत्री के सुपुत्र और पत्नी ने एजेन्सी ली हुई है......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यह इनकी आदत है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं समझता हूं, आपकी परीक्षा यह होगी, सारे राजस्थान में यह जो प्रभावशाली लोग हैं। जे० एण्ड के० हैं, कीड़े वाली बोतल के मामले को लेकर उन पर छापा मारते हैं या नहीं मारते हैं? मैंने ठीक कहा शब्द....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां।

श्री चन्दनमल बैद : कम्युनिस्ट पार्टी की हालत यह हो गई है कि जनसंघ वालों से पूछकर बोलते हैं, बड़ा अफसोस हुआ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : जहां तक संस्कृति का प्रश्न है, शब्दों के चुनाव का प्रश्न है, मैं इन्हीं को ऑथोरिटी मानता हूं। इनके एक माननीय सदस्य ने तो शपथ ही संस्कृत में ली थी, मैं आपको ऑथोरिटी नहीं मानता। तो यह गंभीर बात है। पानी में इस प्रकार मिट्टी और कीड़ों का आना, इसके लिए स्वास्थ्य मन्त्री को चिन्ता होनी चाहिए और आशा है, इस सम्बन्ध में प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री केदारनाथ : इसका जवाब आना चाहिए, आश्वासन आना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा एक सवाल था कि जॉइन्ट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में क्या यूनिट्स होंगे? सरकार ने जवाब दिया था कि इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन के 26 परसेंट शेयर्स रहेंगे और बाकी 24 प्रतिशत प्राइवेट बनाना चाहते हैं।

(श्री पी० के० चौधरी)

50 प्रतिशत ओपन मार्केट में जाएगा। सवाल पैदा होता है कि जैसे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था राजस्थान में 6 जोइन्ट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स स्थापित किये जायगे इनके लिए लेटर ऑफ इन्टेन्ट प्राप्त हो चुके हैं और इस साल में ही स्थापित होने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 24.21 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। सरकार के करीब 1/6 याने 4 करोड़ लगेंगे लेकिन सिर्फ 26 परसंट पब्लिक सेक्टर का उसमें इक्विटी केपिटल रहेगा। इसका मतलब सरकार का 4 करोड़ लगेगा और कन्ट्रोल प्राइवेट पार्टनर्स का होगा। जॉइन्ट सेक्टर में सोडा एश भी रखा है। तारीख 19 मई को मैंने एक सवाल किया था। सरकार ने जवाब दिया कि हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड ने सांभर में सोडा एश फैक्ट्री लगाने के लाइसेंस के लिए भारत सरकार को आवेदन-पत्र दिया था। राज्य सरकार ने उसको फारवर्ड किया। साथ साथ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट पार्टीज से मिलकर सोडा एश फैक्ट्री लगाना चाहती है। आज के जमाने में जब हम पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और जब हिन्दुस्तान सॉल्ट्स तैयार है पूरा पैसा लगाने के लिए तो राज्य सरकार को क्या ऐतराज है कि हिन्दुस्तान साल्ट्स को लाइसेन्स न देकर सिर्फ 26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी लगाकर प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। इसलिए यह नीति का सवाल है और जॉइन्ट सेक्टर को प्रोत्साहन इस बात के लिए देते हैं कि उस पर पब्लिक सेक्टर का कन्ट्रोल होगा। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में जॉइन्ट सेक्टर को इसलिए देते हैं कि जॉइन्ट सेक्टर में सरकार का कन्ट्रोलिंग वॉइस रहेगा, लेकिन जहां सरकार के सिर्फ 26 प्रतिशत शेयर्स होते हैं तो कन्ट्रोलिंग वॉइस.........

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव के लिये मैंने व्यवस्था दी है।

श्री पी० के० चौधरी : मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि राज्य के हित में होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्य के हित में यही होगा कि कन्ट्रोलिंग वॉइस पब्लिक सेक्टर का होगा और कम से कम सरकार इस बात का आश्वासन दे कि जॉइन्ट सेक्टर में 51 प्रतिशत इक्विटी कैपीटल राज्य सरकार और फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स इन दोनों की होगी। इस प्रकार का आश्वासन सदन में आना चाहिए क्योंकि जैसे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया, इसी साल ये स्थापित होने जा रहे हैं, लेटर ऑफ इन्टेन्ट मिल चुके हैं। 24 करोड़ की 6 इण्डस्ट्रीज लगानी हैं। 26 प्रतिशत का मतलब करीब 4 करोड़ सरकार के लगेंगे। जहां इतनी बड़ी राशि लगाते हैं वहां हमारा कन्ट्रोलिंग वॉइस होना चाहिए। कम से कम जॉइन्ट सेक्टर में 51 प्रतिशत इक्विटी कैपीटल शेयर्स राज्य सरकार और फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स के होने चाहिएं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने भी परिवार नियोजन से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

21-4-72 को बांसवाड़ा के अन्दर श्री आनन्द शर्मा, जो राजस्थान परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारी थे, उन्होंने छंटनी के कारण कुए में कूदकर अपने आपको समाप्त कर दिया, आत्महत्या कर दी। इस विभाग में 200 कर्मचारियों की छंटनी के कारण से अप्रेल महीने में उसको नौकरी से हटाया गया। हमने जहां एक ओर बेरोजगारी की समस्या समाप्त करने का संकल्प लिया है, वहां पर हमारे कर्मचारी जो पहले ही नौकरी में हैं, उनको इस प्रकार से हटाया जाए। उनमें जो जूनियर व्यक्ति थे उनको तो रखा गया और सीनियर आदमी को निकाला गया। मैं सरकार के अन्याय का ज्वलंत उदाहरण रखूंगा—श्री जुगलकिशोर जोशी। जो माननीय मंत्री महोदय श्री हरिदेव जोशी के रिश्तेदार थे, वह जूनियर था.........

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव इन तथ्यों पर नहीं है, जिन पर बोलना चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप थोड़ा पढ़ने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के तथ्य नहीं हैं जो नाम आप देना चाहते हैं। आपने लिखा है कि राजस्थान परिवार नियोजन की अनावश्यक छंटनी से लगभग 200 व्यक्ति बेरोजगार होंगे। एक व्यक्ति ने कुए में कूद कर आत्महत्या की, इस छंटनी में आए हुए मंत्री महोदय के निकट सम्बन्धी की छंटनी के आदेश वापस ले लिए गए। आपने यह नहीं लिखा है सीनियोरिटी या जूनियोरिटी....

श्री गुमानमल लोढ़ा : हरिदेव जोशी के रिश्तेदार जुगलकिशोर जोशी जूनियर थे, उसको रिटेन किया गया और जो रिट्रेंचमेन्ट ऑर्डर के पश्चात् उसको वापस विद्ड्रा किया :

फ्रॉम दी स्टेट फेमिली प्लॉनिंग ब्यूरिओ, जयपुर, 19-4-72 को ऑर्डर किया रिगार्डिंग Shri Jugal Kishore Joshi. Ref. This Office Order No...... dated......Shri Jugal Kishore, Joshi may be allowed to continue for three months और इसी के साथ में सीनियर व्यक्ति था आनन्द शर्मा, उसको उसी दिन छंटनी का ऑर्डर दिया गया और उसने ऑर्डर लेकर कुए में कूद कर अपने को समाप्त किया। जहां इस प्रकार का अन्याय है, पक्षपात है, भाई-भतीजावाद है, एक तरफ बेरोजगारी के कारण लोग मर रहे हैं, सीनियर व्यक्तियों की छंटनी की जा रही है, जिससे उसने कुए में कूद कर आत्महत्या कर दी। उपाध्यक्षजी, मैंने इस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उसी समय दिया। राज्य में इन आत्महत्याओं की बाढ़ आ रही है। डॉक्टर खूंटेटा ने आत्महत्या की, जोधपुर में एक आदमी ने गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या की......

श्री उपाध्यक्ष : आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी चाही गई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जानते हैं कि इस सरकार का आज अंतिम दिन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कहने का पर्याप्त मौका दिया है। नियमों में प्रावधान न होते हुए भी आपको बोलने दिया..

श्री गुमानमल लोढा : सत्र का अंतिम दिन है इस कारण से...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सत्र का अंतिम दिन है, आपका तो नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : उस विधवा का खयाल करें आनंद शर्मा की विधवा का, उसकी बात आप सुनने को तैयार नहीं, उसकी चीत्कार को आप सुनते नहीं । उसके भोले-भाले बच्चों का ख्याल करें। बेरोजगारी के कारण से कर्मचारी मरते जा रहे हैं, डॉक्टर खूटेटा ने आत्महत्या की, जोधपुर में एक व्यक्ति मर गया और आपका ध्यान इस ओर 20 दिन से लगातार कर रहा हूं । मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। हरिदेव जोशी ने उत्तर नहीं दिया । अपने रिश्तेदार को जो जूनियर था, उसका छंटनी का ऑर्डर विथड्रा करा लिया, सीनियर आदमी की छटनी कर दी, उसने कुएं में कूदकर अपने को समाप्त किया । दिल्ली में डॉ० शाह ने आत्महत्या की, उसकी जांच की जा रही है और राजस्थान में कोई विचार करने को तैयार नहीं। यदि यह प्रश्न लोकमहत्व का नहीं है तो इससे अधिक कौनसा प्रश्न लोक महत्व का हो सकता है ? आप पर है कि आप किस प्रकार विचार करें और मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए जिसके विभाग में छंटनी के कारण जिसके खुद के पक्षपात, भाई-भतीजावाद के कारण हमारे कर्मचारी ने आत्महत्या की और हम केवल घोषणा करते रहे कि बेरोजगारी समाप्त कर रहे हैं, प्रशासन को टोन अप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को 6 महीने में समाप्त कर रहे हैं । आप विचार कीजिए। मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को आज लें तो उनके अधिकार की बात है लेकिन मानवता का तकाजा है कि राजस्थान की 2।। करोड़ जनता की मांग है, उस विधवा की जिसका सिंदूर मिट गया, वह माता जिसकी गोद का लाल लुट गया, गोद सूनी हो गई, उसकी आवाज है । आप फैसला करें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है । एक आयोग का गठन किया जाए । मुख्य मंत्री कमिटमेंट पर स्टैंड करें, आप मखौल करना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री विट्ठलभाई : उपाध्यक्ष महोदय, आत्महत्या का मामला है । इसके बारे में राज्य सरकार को चाहिये कि सारी स्थिति से सदन को अवगत कराया जाय । चूंकि मेडिकल डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर जो हरिदेव जोशी हैं उनके किसी रिश्तेदार को तो नौकरी में रख लिया लेकिन जो व्यक्ति उनसे सीनियर था उसे नहीं रखा गया। इससे वो व्यक्ति दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर बैठा । इसके बारे में राज्य सरकार को चाहिये कि एक स्टेटमेन्ट दे . .

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । जो तथ्य श्री गिरधारीलाल भार्गव ने इस सदन में रखे हैं वे अगर सही हैं तो काफी सीरियस मामला है और इसके लिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरफ से एक स्टेटमेन्ट आ जाना चाहिये ताकि सारी स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाये। ताकि माननीय सदस्यों में जो व्याकुलता है वह समाप्त हो जाय। क्योंकि आत्महत्या का मामला है इसलिए सारी स्थिति का पता लगाना जरूरी है कि ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गयी थी जिससे कि आत्महत्या की गयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को आप द्वारा आदेश दिये जायं कि इसके बारे में एक स्टेटमेन्ट दिया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बोतलें मावली से आने वाले सदस्य की टेबल पर रखी थी और बाद में वह बोतलें उठाकर हाउस की टेबल पर रखी गयीं। और अब मैं देख रहा हूं कि जो बोतलें रखी गयी थीं वह वहां पर नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह बोतलें कहां गयीं, और किसके आदेश से वहां से हटायी गयी हैं? जो चीज सदन की टेबल पर रखी जाती है वह सदन की प्रापर्टी हो जाती है।

उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा, आसन से कि कोई निर्णय इस पर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, पहले उसके ऊपर निर्णय लिया जाय बाद में कोई आगे कार्यवाही की जाय। क्योंकि कोई भी चीज अगर किसी माननीय सदस्य द्वारा सदन मे रखी जाती है तो वह हाउस की प्रोपर्टी हो जाती है, देट बिकम्स दी प्रोपर्टी ऑफ दी हाउस।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : मैंने स्वयं ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सदन को यह जानकारी होनी चाहिये कि आखिर वह बोतलें कहां गयीं? उनका क्या हुआ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने तो सदन के सामने पेश की थीं। यह तो उपाध्यक्ष महोदय पर है कि वो इस पर क्या निर्णय लें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई बार मौके इस सदन में आये तब विभागीय मन्त्री द्वारा उसके लिये आश्वासन दिये गये कि उसको जांच करवा ली जायेगी। वह प्रोपर्टी आफ दी हाउस होती है और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। इसके लिये आसन को चाहिये कि वह इस पर अपनी रूलिंग दे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो अभी सदन में कहा गया है उसके संबंध में यही बात मैं निवेदन करूंगा कि आसन द्वारा कोई निर्णय दिया गया और उनको सदन में रखने की स्वीकृति भी आसन द्वारा नहीं दी गयी और न ही उसे उठाने की स्वीकृति आसन द्वारा दी गयी।

(एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम इसकी जांच करने के आदेश तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह व्यवस्था नहीं दी है (कई सदस्य बोलने लगे)

Page No. 47

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो जयपुर शहर की जनता के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है । एक तो पीने के पानी की समस्या है और दूसरे इस प्रकार से कीड़े मकोड़े इन बोतलों में मैंने आपको बताये ही हैं । इसलिये मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इसकी जांच करवायी जाय ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था वह प्रश्न व्यवस्था का सबसे पहले मैंने उठाया था । मैंने यह निवेदन किया था कि वह बोतले कहां गयीं? किसको पूछ कर वह यहां से हटाई गई है जबकि इस प्रश्न पर सदन में आसन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी गयी । और जब हाउस की टेबल से बोतलें उठायी गयी तो मैं इसका मतलब माननीय सदस्य यही समझते हैं कि आसन से व्यवस्था इस संबंध में देने की उम्मीद है । इसलिये माननीय सदस्य ने उसे हाउस की टेबल पर रखवाया । और जो चीज हाउस की टेबल पर रखदी जाती है वह प्रोपर्टी आफ दी हाऊस हो जाती है। इसके लिये आसन को व्यवस्था देनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष ; अभी मैंने व्यवस्था दी है.........

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यवस्था का प्रश्न तो मेरे द्वारा उठाया गया है ।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि मैंने उन बोतलों को सदन की टेबल पर रख दिया है आप को चाहिये कि आप राज्य सरकार के मन्त्री महोदय को आदेश दें कि जो कोका कोला कम्पनी, व जो गोल्ड स्पॉट कम्पनी की बोतलें हैं उसकी जांच करवायी जाय । और उसकी जांच होने पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । इसके अलावा जो मैंने सदन के सामने पानी की बोतल रखी उसमें भी कीड़े मकोड़े हैं । मैं तो उन बोतलों को वापिस नहीं ले जाऊंगा और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसकी जांच करे और कम से कम जो जयपुर शहर को पीने का पानी दे वह शुद्ध दिया करें । इसके लिये व्यवस्था की जाय । आप इन बोतलों की जांच करवाइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था, का प्रश्न है । और सदन के अन्दर जब कभी ऐसी चीजें टेबल ऑफ दी हाउस पर रखी जाती हैं तो आसन द्वारा आदेश दिये जाते हैं। पहले मैंने भी सन् 1964-65 में सदन की टेबल पर एक केचुआ रखा था । और उसके लिये बाद मे आसन द्वारा जांच करने के आदेश दिये गये थे । उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके इस सदन को रिपोर्ट दी गयी । इसके लिये भी मेरा निवेदन है कि इन बोतलों का केमीकल एनेलेसिस कराया जाय और उसके बाद में सदन को रिपोर्ट दी जाये । यह सदन की परम्परा रही है । यह कोई नयी चीज नहीं है । और न ही कोई आश्चर्यजनक मांग की गयी है । ठीक है बोतले आयी हैं माननीय सदस्य ने हाउस की टेबल पर रखी है आप उनका लेबोरेट्री में ले जाकर केमीकल एनेलेसिस करवाये । और इसे सदन की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सम्पति बनाये। इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरह से अगर पानी में खराबी है तो फिर इससे तो जनस्वास्थ्य को खतरा है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि केमीकल एनेलेसिस कराने के बाद संबंधित कम्पनीज के खिलाफ कड़े कदम उठाये जाने चाहिये। आप राज्य सरकार को आदेश दे सकते हैं आपको अधिकार है। आप आदेश दे सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार पार्लियामेन्ट में किसी माननीय सदस्य ने दूध की बोतल हाउस की टेबल पर रखी जिसमें एक चुहिया का बच्चा था उसके लिये मिनिस्टर द्वारा जांच कराने के आदेश दे दिये गये। जब पार्लियामेंट की यह परम्परा है तो यहां पर भी अगर उसकी जांच करवा ली जाय तो क्या हर्ज है। आज इससे कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा है क्योंकि यहां जो पीने का पानी बाहर से आता है उसमें काफी खराबी है। इसे कन्ट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस बड़े अफसोस की बात है कि राज्य सरकार इस बारे में तवज्जह नहीं दे रही है। और दूसरी तरह से सोचे तो कोई बात नहीं इसमें अफसोस की क्या बात है। पार्लियामेन्ट बड़ी है इसलिये वहां पर दूध की बोतल में चुहिया का बच्चा निकला और विधान सभा उससे छोटी है इसलिये यहां पर पानी की बोतल में कीड़े मकोड़े निकले।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मसला है और जिससे कि जनस्वास्थ्य को खतरा हो सकता है लेकिन आसन द्वारा इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। आसन को चाहिये कि सरकार को आदेश दे कि इसकी जांच करायी जाय। यह जनस्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात बढ़ाने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन जब माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उन बोतलों में कीड़े मकोड़े हैं तो मैं राज्य सरकार को आप द्वारा यही आदेश दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाय। यह बहुत आवश्यक है। और जब तक आप आदेश नहीं दे तब तक जो बोतलें यहां रखी थी वह हाउस की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में जांच करने के आदेश दें।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : अगर यह सदन की प्रॉपर्टी नहीं होते हुए भी आप राज्य सरकार को डाइरेक्शन दे सकते हैं कि एन्क्वायरी की जाय और बाद में उसकी जानकारी सदन को दी जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यो ठीक है। इस सदन के अन्दर एक स्थगन प्रस्ताव के सन्दर्भ में बोतलें हाउस में प्राप्त हुई।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण की स्थिति उपस्थित नहीं होती है।

श्री समानमल लोढ़ा : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इन बोतलों का केस मान कर माननीय मंत्री महोदय ने उसकी जांच करने की मौन स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद दूसरा तीसरा और चौथा प्रश्न आ गया। तीन चार विषयों के बाद उसी पर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वापिस जांय और माननीय मंत्री महोदय अभी तक यह नहीं स्वीकार करना चाहते है, वे नहीं चाहेंगे कि जयपुर के लोग कीड़ों का पानी पीयें......

श्री उपाध्यक्ष : आपके लम्बे भाषण के लिये समय नहीं है। जितना समय दिया है उसी सीमा में रहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। यह जानने के लिये यह प्रश्न उठाया है कि कीडे मकोड़ों का पानी जयपुर की जनता नहीं पीये इसके लिये व्यवस्था की जाय।

श्री केदारनाथ : जो रूलिंग आपने दी है, टेक्निकली तो ठीक है कि किसी चीज को हाउस की प्रॉपर्टी मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते। मैं मानता हूं यह आपके अधिकार की बात है। सरकार बिलकुल चुपचाप बैठी सुनती रहे। एडजोर्नमेन्ट मोशन रिजेक्ट कर लिया और यह भी कह दिया कि यह सोसाइटी की हैल्थ के लिये उपयुक्त नहीं है। हां या ना का तो जबाव दीजिये कि जांच करायेंगे या नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : हां ना का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि एडजोर्नमेन्ट मोशन तो रिजेक्ट कर दिया। कुछ माननीय सदस्यों को नियमों में ढिलायी देकर बोलने दिया। मैं क्या जबाब दूं? जबाव तो तब देता कि आसन की ओर से व्यवस्था होती कि स्टेटमेन्ट देना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : टू टेक्निकल मत बनिये।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे कोई ऐतराज नहीं है। माननीय सदस्य यह बता दें कि बोतलें कहां से लाये हैं? दूकानदार का ठिकाना बता दें तो जांच करवा लूंगा। दूकानों के ठिकाने का पता लगना जरूरी है यह भी शिकायत आती है कि जो प्रतिद्वन्दी हैं वे एक दूसरे के पेय जल में कीड़े डाल देते हैं एक माननीय सदस्य ने कहा कि गोल्ड स्पॉट की बोतलें चोरी गयी हैं। वे कहते हैं कि कोका कोला वाले यह कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि कोको कोला को डाउन करने के लिये दूसरे गोल्ड स्पॉट वाले ऐसा कर देते हैं। इसलिये माननीय सदस्य बता दें कि किस दूकान से बोतलें लेकर आये हैं तो केमिकल जांच करवा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मल मूत्र का जल वितरण हो रहा है। लक्ष्मण डूंगरी से.........

श्री चन्दनमल बैद : बोतलें कहां से लाये। यह बतला दीजिये?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बोतलें लाया हूं उसका स्थान तो बतला दूंगा। जलेबी चौक में केन्टीन है म्युनिसिपेलिटी के दफ्तर के सामने और जयलाल मुंशी के रास्ते में इसकी दुकान है वहां से लाया हूं।

श्री चन्दनमल बैद : दुकानदारों का नाम बता दीजिये?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जलेबी चौक में केन्टीन है म्युनिसिपेलिटी के दफ्तर के सामने......

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : दुकानें बता रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जलेबी चौक में म्युनिसिपेलिटी के दफ्तर के सामने जो केन्टीन है वहां से लेकर आया हूं और दूसरी जयलाल मुंशी के रास्ते पर घोले टीबे पर दुकान है वहां से लाया हूं । यह रामगढ़ के बन्दे से पानी आता है लक्ष्मण डूंगरी में और वहां से पानी सप्लाई होता है मेरे मकान के नल से पानी लाया हूं······

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे क्षेत्र में यह घटना होती है । होता क्या है कि नगर-पालिका की ओर से नालियां साफ होती नहीं, नल टूटे हुए हैं और वहां पर ये चीजें हो जाती हैं । पानी में मिट्टी की भी शिकायत की है । कीडों का सवाल है जहां तक, पानी में कीड़े आ रहे हैं क्योंकि उसी नाली में से गटर जा रहा है और वह एक इंच आधा इंची पाइप लाइन है । भार्गव साहब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कीड़े पेट में फैल जांय । वे दूसरे कीड़े होते हैं, उससे दिमाग में भी खराबी हो सकती है । जबरदस्ती का आरोप लगा कर इस प्रकार का वातावरण पैदा न करें जिससे ये लोग कुछ कर रहे हैं वह भी न करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जबरदस्ती का आरोप नहीं है । मेरी बस्ती में यह पानी मिला है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके घर में मिला है, नाली में से कनेक्शन होगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उमरावसिंहजी सी स्कीम में हैं । अध्यक्ष है उन्होंने भी एक बोतल लाकर दी है वहां भी कीड़े हैं टंकी की सफाई न होने कारण ही यह स्थिति पैदा हो रही है । लक्ष्मण डूंगरी और भवानी शाह की टंकी की सफाई नहीं हुई है । मल मूत्र का पानी, टट्टी के टुकड़े उस पानी में मिले हैं । नाली मिली जुली होती है और नल के फट जाने के कारण वह पानी प्रेशर से उसमें प्रवेश होकर आ जाता है । जयपुर शहर के लोगों को दिया जाता है तो उसमें मल मूत्र के टुकड़े और कीड़े मिले हुए होते हैं । आप भी जयपुर में रहते हैं और मैं भी जयपुर में रहता हूं । आप जबरदस्ती वकालत कर रहे हैं इनकी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर म्युनिसि-पेलिटी के चेयरमेन से मैंने जांच करवाई है और उन्होंने यह कहा कि डबल लाइन है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वाटर वर्क्स की लाइन गटर में से होकर गयी है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह घर की लाइन है :

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पुरानी लाइनें हैं और टूट गयी हैं जगह जगह और उनको रिप्लेस नहीं किया है और इसी कारण से यह पानी मिल रहा है । वे रिप्लेस की जानी चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जहां तक इन बोतलों का सवाल है मुझे इन बोतलों की दुकानों का नाम बता देना और आप लिख कर दे दें मैं जांच कर लूंगा । जहां तक पानी की गन्दगी का सवाल है···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपको लिखकर दे दूंगा और दुकानों पर भी खड़ा करने को मैं तैयार हूं ।

श्री चन्दनमल बैद : जहां तक गन्दे पानी का सवाल है मुझे बता दें कि किस मकान के नल से आया है तो उस कन्ज्यूमर को और मेरे दोनों नलों की जांच करवा लूंगा कि किस की लाइन टूटी हुई है और किस की गलती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उमरावसिंह जी का 'सी' स्कीम का बता दिया।

श्री चन्दनमल बैद : आपके मकान की लाइन की भी जांच करवा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जयपुर शहर के नागरिकों का सवाल है, मेरा नहीं है। मुझे तो मकान की लाइन ठीक कराने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं करा लूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

प्रतिवेदन

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री-गृह) : उपाध्यक्ष महोदय मैं संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के उन्नीसवें वार्षिक प्रतिवेदन (1-4-68 से 31-3-69) को, आयोग के परामर्श की अस्वीकृति से सम्बन्धित कारणों की व्याख्या के ज्ञापन सहित, सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1968 से 1969 के प्रतिवेदन 1972 में सदन की मेज पर रखे जायें और जो नियुक्तियां अवैधानिक तरीके से की गयी जिनके सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग ने अपनी असहमति दी, उनमें पक्षपात हुआ—मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 3 साल के बाद प्रतिवेदन रखा जाता है तो वह केवल औपचारिकता हो जायेगी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र उसी वर्ष में रखा जाना चाहिए ताकि उनको पढ़कर बाद में माननीय सदस्य उस पर विचार कर सकें और जनता को भी पता लग सके।

अधिसूचनाएं

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री-यातायात मंत्री की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सं० एफ 1 (3) 17 एच/डी-ग्रुप-1/62 दिनांक 26 अप्रेल, 1972 को सदन की मेज पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 71 (3) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व एवं लेखा-1) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4 (2) एफ डी। एक्स। 71 दिनांक 11 मई, 1972 को सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मुझे माननीय सदस्य श्री भीमसेन जी ने अधिकृत किया है और मैंने उनका ऑथारिटी लेटर भी दे दिया है।

(क) उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव छतरगढ़ जिला बीकानेर की आबादी भूमि के विस्तार से सम्बन्धित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(ख) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर में विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध

(श्री गोपाल जोशी)

म 12 आवेदन देने वालों की हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री केदारनाथ: पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, याचिका के सम्बन्ध में आँथोरिटी दे दी तो क्वेश्चन के सम्बन्ध म दे सकते हैं लेकिन याचिका के सम्बन्ध में कैसे? वैसे इजाजत दे सकते हैं लेकिन आँथोरिटी के ऊपर नहीं दे सकते ।

श्री गोपाल जोशी उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव डाडसर, तहसील बीकानेर के बीकानेर भटिंडा रेल्वे लाइन के पश्चिम की तरफ बसी हुई आबादी को गांव जामसर की आबादी में सम्मिलित करने से सम्बन्धित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकायें उपस्थापित की गयीं ।

कार्यसंचालन की प्रक्रिया पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्राईवेट मेम्बर्स डे है और प्राईवेट मेम्बर्स डे के दिन कोई सरकारी कार्य, विधायी कार्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं आपका ध्यान नियम 23 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा :

"Allotment of time for private member's business—The Speaker may, after considering the state of business of the House, allot as many days as may be possible for private member's business, and may allot different days for the disposal of different classes of such business, and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence : "

' Provided that two days in a month shall be allotted for the transaction of private member's business, subject to such variations as the Speaker may consider necessary or convenient.'

तो स रूल के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय गवर्नमेन्ट बिजनेस डे और प्राईवेट मेम्बर्स डे अलग अलग एलाटड होते हैं । गवर्नमेन्ट बिजनेस डे पर प्राईवेट मेम्बर्स ड का बिजनस चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे रेज्योल्यूशन हो वह केरी आउट नहीं हो सकता और उसी प्रकार से जो हमारी लिस्ट आफ बिजनेस है चेप्टर 6 है। उसके अनुसार प्राईवेट मेम्बर्स डे के रोज कोई भी गवर्नमेन्ट का लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं लिया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इन्ट्रोडक्शन का बिल भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है जसा आप इसमें देखेंगे रूल 24 को—

"Precedence of private member's bills-On a day allotted for the disposal of private member's Bills, such Bills shall have relative precedence in the following order, namely—

Bills in respect of which the motion is that leave be granted to introduce the Bill."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो इतना कार्य भी केवल उस कार्य में से है जो कि प्राईवेट मेम्बर्स का होगा। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, प्राईवेट मेम्बर्स का भी इन्ट्रोडक्शन का बिल दूसरे दिनों में नहीं हो सकता। सिर्फ प्राईवेट मेम्बर्स ड वाले रोज ही हो सकता है। इसलिए इस दिन वह लेजिस्लेटिव बिजनस या रेज्योल्यूशन बिजनेस जो कि रेज्योल्यूशन का है, वही हो सकता है। इसलिए जो आज इसमें लिया जा रहा है यह नियमों के खिलाफ है और यह इन्ट्रोडयूज नहीं किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि पार्लियामेन्ट में भी प्रेक्टिस है कि प्राईवेट मेम्बर्स डे में इन्ट्रोडक्शन किसी बिल का राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार करना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा प्रिसिडेन्स वहां भी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। सिर्फ इन्ट्रोडक्शन है। ज्यादा समय प्राईवेट मेम्बर्स का संकल्प उसी पर देना चाहिए लेकिन इन्ट्रोडक्शन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और मैं समझता हूं कि आपने जो नियम पढ़ा है उसमें ऐसी बात नहीं है कि आप किसी बिल का इन्ट्रोडक्शन नहीं कर सकते।

श्री शिवचरण माथुर : नियम में साफ है : Such Bills shall have relative precedence, and he is simply introducing the Bill.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मार्जिनल हैडिंग देखिये Precedence of private Member's Bill—This is the marginal heading.

तो प्राईवेट मेम्बर्स के बिल कई स्टेज में हो सकते हैं। कुछ इन्ट्रोडक्शन की स्टेज में हो सकते हैं........

श्री शिवचरण माथुर : प्राईवेट मेम्बर्स बिल तो आज यहां डिसकस होगा लेकिन इन्ट्रोडक्शन ऑफ दी बिल गवर्नमेन्ट का ही हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज तो इन्ट्रोडक्शन वाला ही हो रहा है आज के बिजनेस में। सवाल यह है कि प्राईवेट मेम्बर्स डे पर किसी गवर्नमेन्ट बिजनेस का लिया जा सकता है क्या? टाईम थोड़ा लगता है। गौर गवर्नमेन्ट यह कन्सीडे्शन करने के लिए तैयार है कि प्राईवेट मेम्बर्स बिल भी इन्ट्रोड्यूज हो सकें गवर्नमेन्ट डेज पर तो ऐसा रिलेक्सेशन करें तो मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन उसमें तो आप स्ट्रिक्ट हो जायें, टेक्निकल हो जायें और फिर आप रूल्स के अलावा जाकर प्राईवेट मेम्बर्स के राइट्स पर इनफ्रिंजमेन्ट करना चाहें वह दुरुस्त नहीं होगा। माननीय खेतसिंह जी ने कहा तो लोकसभा के रूल्स अलग हैं, उसके रूल्स म प्रावधान होगा लेकिन यहां न तो प्रावधान है और न ही ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन्ट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक को पुरः स्थापित करने के संबंध में मैं यह व्यवस्था देता हूं कि चूंकि यह गवर्नमेन्ट बिजनेस है और इसके लिये विशेष समय की इतनी आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इसको पुरः स्थापित करने की सहमति देता हूं।

विधायी कार्य

सिविल विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 का पुरःस्थापन

श्री रामचन्द्र चौधरी (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिविल विधियां (राजस्थान संशोधन) विधयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सिविल विधियां (राजस्थान संशोधन) विधयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

स्वीकृत

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य । श्री राजस्व मन्त्री जी ।

होम्योपेथिक बोर्ड में अमेरिकन्स के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची के अनुसार तीन वक्तव्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले हैं । कल जहां तक मुझे जानकारी है होम्योपेथिक बोर्ड के बारे में जो 17 अमेरिकन्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है और मेरे पास जानकारी है, सारे डाक्यूमेन्ट्स भी मौजूद हैं कि एक अफ्रीकन का भी रजिस्ट्रेशन किया गया है । इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर एक देश का प्रश्न है, गतिविधि का प्रश्न है अमेरिकन मिशनरीज का । इस प्रकार का गम्भीर प्रश्न है । मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि सदन की ओर से आज नहीं तो कल इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दिया जावेगा । इसमें तीन वक्तव्य तो मौजद हैं लेकिन चौथे वक्तव्य के बारें में, अमेरिकन लोगों के बारे में जो वक्तव्य आज देना था उसके बारे में जिक्र नहीं है । इसलिए मैं आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही मुख्य मंत्री महोदय वक्तव्य दें क्योंकि आज सदन का सत्यावसान हो जाएगा, छः महीने तक सदन मिलेगा नहीं और इस बीच उनकी गतिविधियां और बढ़ेंगी, उन गतिविधियों से देश का अहित होगा, इसलिए आज ही इस सम्बन्ध म मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कल जब इस प्रश्न को रेज किया गया था तो मख्य मंत्री जी ने जरूर यह बात कही थी कि यह गम्भीर मामला है । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी यहां पर आज मौजूद नहीं हैं, वित्त मंत्री जी यहां हैं, तो कल यह बात उनके नोटिस म लाई गई थी कि होम्योपेथिक बोर्ड की तरफ से 25 अमेरिकन्स का जिनका वेहर एकाउन्ट्स का पता नहीं, उनकी गतिविधियां मिस्टीरियस हो सकती हैं और डाउटफुल हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है । हमारे पास ऐसे तथ्य नहीं हैं कि जरूर ही वे एण्टीनेशनल हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन गतिविधियां अवश्य ही डाउट-फुल हो हो सकती हैं। जिस रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया है और कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के उपरान्त भी ऐसे लोगों का जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, एक ही तारीख में और उनके होम एड्रेसेज भी चैयरमेन के घर के हैं तो बोर्ड के चैयरमेन साहब के लिए उनको भर्ती करने की क्या जरूरत थी। फिर उनके घर का पता देकर रजिस्ट्रेशन करना और भी डाउट क्रियेट करता है। मैं समझता हूं कि इसको सामान्य मामलों की तरह न लेकर आप इसके बारे में स्टेटमेन्ट दें। हम समझते हैं कि आपने कुछ जानकारी प्राप्त की भी होगी और नहीं की हो तो आप कर लें और आप तीसरे नम्बर पर या आखिर में दे दें। तीन स्टेटमेन्ट के बाद चौथा स्टेटमेन्ट आप दे दें लेकिन इसके ऊपर स्टेटमेन्ट अवश्य दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर ब्ल्यू के बारे में प्रश्न उठाया गया था। डा० शर्मा का स्टेटमेन्ट भी आपने पढ़ा होगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि डा० ब्ल्यू वगैरह राजस्थान केनाल के बहुत गहरे क्षेत्र में गए हैं, बोर्डर तक गए हैं और सारे नक्शे प्राप्त किए हैं और डा० शर्मा ने अपने को डिटैच किया है। वे डा० ब्ल्यू की एक्टीविटीज में शामिल नहीं थे, उनका तो केवल नाम ही शामिल था। इस प्रकार से एक गम्भीर प्रश्न पहले उठा था और इसके बाद दूसरा प्रश्न सदन के सामने तथ्यों के साथ आया है कि 25 अमेरिकन्स का काफी मिस्टीरियस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है और फिर कोई कारण नहीं कि जहां एक ओर यहां पर ही होम्योपैथिक के लोग हों, इस प्रकार 25 अमेरिकन्स को भर्ती कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में गम्भीरता से जांच की आवश्यकता है और एक स्टेटमेन्ट की लाजमी आवश्यकता है।

श्री चन्दनमल बैद : इसके बारे में मैं··· — ···

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि विदेशियों के ऊपर राष्ट्रीय सरकार और राजस्थान सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सिस्टेमेटिक तरीके से अमेरीका को इस सदन के अन्दर टार्गेट बनाया जा रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको क्या परेशानी है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरी परेशानी वाजिब है····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपकी परेशानी का कोई तर्क नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे कहने का अधिकार है या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो दूसरा ही प्रश्न सामने आया। पहला प्रश्न डॉ० ब्ल्यू के बारे में था और उसमें सी० आई० ए० की एक्टीविटीज के तथ्य रखे गए थे। यह दूसरा मामला सामने आया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस दिन आपने इकबालनारायण का प्रश्न उठाया था और आज फिर इसी प्रकार राजनैतिक दृष्टि से इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। यह ठीक है कि आज उस देश के साथ हमारा दोस्ताना कम है लेकिन जिस तरह से सिस्टेमेटिक तरीके से हवा बनाई जा रही है अमेरीका के खिलाफ, आपको मालूम होना चाहिए कि ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके पास फैक्ट्स हैं क्या ? फैक्ट्स के आधार पर बताइए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : फैक्ट्स के आधार पर ही बोल रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फैक्ट्स से बोलिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं फैक्ट्स से ही बोल रहा हूं।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

आई एम इन पजेशन ऑफ दी फ्लोर।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर

(अनवरत शोरगुल–व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो कुछ अमेरिकन्स हैं या अमेरीका से आते हैं उनका विरोध करने का कुछ माननीय सदस्यों ने अपना ध्येय बना लिया है और जैसे कहावत है कि हम तो केदारांक हो गए। ठीक उसी तरह से प्रोग्रेसिव की घण्टी अपने गले में बांध कर घूम रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बिल्ली का हांण्डी में मुंह फंस गया ··

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोफेसर केदार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह कहने लगी कि चाहे कोई भी मेरे पास आये, मैं तो केदार की यात्रा करके आई हूं इसलिए कोई खतरा नहीं है मुझ से। मैं केदारनाथ की यात्रा करके पवित्र बन गई हूं। अमेरीका महान देश है। हो सकता है कि हमारे सम्बन्ध आज उनसे अच्छे न हों लेकिन हमारे हजारों और लाखों नागरिक अमेरीका के अन्दर रहते हैं, कोई थोड़ी सी बात हुई कि इस तरीके से पीछे पड़ जायं और कहने लग जायं कि सी० आई० ए० का हाथ है तो यह उचित बात नहीं होगी। कोई भी अमेरिकन अपने देश में आते हैं तो भारत सरकार द्वारा अपना वीसा देने पर आते हैं। कई मिशन हैं जहां से क्लियरेंस होता है। अपने यहां की सी० आई० डी० वगैरा है वह भी काफी सतर्क है। अमेरीका का नाम सुना और इस तरीके से सिस्टेमेटिक तरीके से आप हवा बनाने लगें तो यह बुरी बात होगी। आपके पास तथ्य हों तो बतायें इस तरह की कोई हरकत हो तो बतायें ···

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस बारे में पार्लियामेंट के अन्दर के० सी० पन्त ने वक्तव्य दिया है और इसकी सफाई की है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

के० सी० पन्त ने इसको माना है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अभी इस मुद्दे पर यह कहा गया·····

(अनवरत शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : के० सी० पन्त ने वक्तव्य दिया है पार्लियामेंट में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने भी पढ़ा है क्या वक्तव्य दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनकी अपनी कण्ट्री के बारे में जानकारी लेनी होगी तो और भी दूसरे तरीके हैं उनके पास और मैं आपको यह भी बात देना चाहता हूँ कि यहां पर भी कभी जरूरत पड़ती है कि हमारे पड़ोस के अन्दर क्या हो रहा है, क्या स्थिति है तो अपन भी उनसे सहायता लेते हैं, यह मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि जो कन्ट्रीज के नक्शे होते हैं जिसमें जमीन कितनी फिट कहां हैं कितनी ऊंचाई है, कितनी निचाई है, उनके मैप उनके पास ताले में रहते हैं, उन पर कड़ा पहरा रहता है और खास खास लोगों को और खास खास महकमों को ही नक्शे दिए जाते हैं और उसमें भी अगर कोई बेईमान आदमी उनको दे दे तो बात दूसरी है। इसलिए कोई प्रोग्रेसिव के नाम से एण्टी-अमेरिका की एक हवा बना कर चलना चाहें तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरीका एक विशाल देश है·····

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो भी अमेरिकन नागरिक आए उसका हम पीछा करें, उनको टेरोराईज करें अमेरिका वालों को तो ऐसे तो हमारे देश के नागरिक भी उस देश में ज्यादा हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विश्नोई ने जो कहा है मैं समझता हूं कि हम सभी माननीय सदस्यों पर एकसप्रशन है। हम कुछ तथ्यों को मजबूती से लाकर इस सदन में रखते हैं। हमारा अमेरीका से कोई द्वेष नहीं, द्वेष तो उस··········

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपकी तो अब दोस्ती हो रही है उससे। आपकी तो पलटने की आदत है······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पलटने वाले में ताकत होती है तो पलट लेता है। आप भी पलट सकते हैं, मैं भी पलट सकता हूं। देश की हवा तो उसी रोज बिगड़ गई थी जब सातवां बेड़ा हमारे हिन्द महासागर में आकर ठहरा था। अगर विश्नोई जी के पास सबूत थे तो अमेरीका को मैसेज भेज देते। मैं आपको बताऊं कि जो चीजें रखी हैं वे जिम्मेवारी से रखी हैं। किसी द्वेष से या और किसी भावना से नहीं रखी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य माननीय सदस्य व्यासजी ने रखे हैं वह तथ्य सत्य होकर सामने आ रहे हैं। चार आदमियों की जो टीम थी, श्री इकबालनारायण, श्री शर्मा कानपुर के, ब्ल्यू और चौथे अमेरिकन सज्जन। श्री शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है तो उसमें माना है कि ये जो दो अमेरिकन हैं इन्होंने सी० आई० डी० का काम किया है। वे बोर्डर में गहराई से गये हैं, डीप गये हैं और नक्शे भी तैयार किये हैं। मि० ब्ल्यू जिनका एरोनॉटिक पाकिस्तान वेंच के साथ अमेरीका में संबंध थे, वह डीप जाते हैं बोर्डर के अन्दर और इस किस्म के स्पेशियेलाइज्ड व्यक्ति हैं तो निश्चित देश को खतरा है। इस टीम का एक आदमी यह कनफेस करता है इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में भी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पंत ने इस चीज को कनफेस किया है कि इन दोनों अमेरिकन्स की एक्टीविटिज सस्पीशस हैं । अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि 25 अमेरिकन्स का होमियोपैथ बोर्ड में एक साथ रजिस्ट्रेशन किया गया है । यह क्या मिस्टीरियस नहीं है ? एक आदमी के एड्रेस पर 25 आदमियों का होमियोपैथ बोर्ड के अन्दर रिक्रूट किया जाय यह क्या है ? हमारा कोई द्वेष अमेरिकनों के साथ नहीं है । हमारा द्वेष उनकी नीतियों से है । प्रगतिशीलता के नाम पर इस तरह का वातावरण नहीं बनाना चाहते हैं । वह ठीक है कि कुछ सिद्धान्त हैं हमारे उनको दृढ़ता के साथ मानते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं और उनके लिए जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं । वी आर वाउच्ड टू सर्टेन प्रिन्सीपल्स ऑफ लाइफ । मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय बिश्नोईजी ने एक हलकेपन से बात कही है, हमारा एक सिद्धान्त है......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने हलकेपन की बात नहीं कही है । आपने हलकेपन की बात की है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका और कांग्रेस का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी विरोधी दृष्टिकोण है अब आप साम्राज्यवाद के समर्थन में ....——,

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अमेरिका की नीतियों का विरोध किया है । मैं सारे नागरिकों के विरुद्ध नहीं हूं । आप घृणा पैदा कर रहे हैं सिस्टेमेटिकली ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : न नागरिकों का विरोध कर रहे हैं और न घृणा पैदा कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रेसीडेन्ट कैनेडी को गोली मारी गई तो उसका हमने विरोध किया है । डॉक्टर किंग को जो सम्मान हमने दिया है व हमारे देश ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है और साम्यवादी दल ने दिया है वह किसी ने नहीं दिया है । मिसेज किंग को सम्मान सब से बड़ा भारतवर्ष ने दिया है । किसी नागरिक पर कीचड़ उछालने के लिए न तो हम सिद्धान्त रखते हैं और न इस प्रकार की नीति हमारी है । साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी खुली नीति है । साम्राजवाद के एजेन्ट फोर्ड फाउन्डेशन के नाम से और कहीं दूसरे नाम से हमारी संस्थाओं के अन्दर, शिक्षण संस्थाओं के अन्दर प्रवेश कर रहे है और पूंजीवाद को जीवित रखना चाहते है । देश के अन्दर इजारेदारों और सामन्तों के खिलाफ जो वातावरण बन रहा है उसको वह तोड़ना चाहते हैं । यह पिछला इतिहास का हमारा अनुभव है । इसलिए मैं माननीय बिश्नोईजी से कहूंगा कि कोई इस प्रकार की भावना न रखें ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आपकी जो नीति है इस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है । मैंने यह बात कहीं थी कि अमेरिकन नागरिकों से हमारा विरोध नहीं है । उनसे बात करना चाहिए । प्रोफेसरों की आपसे बातचीत हुई है । एक इस तरह का हो गया तो दूसरा भी होगा । यह नहीं है कि जो आपके पास बात आई है वह सही हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : होमियोपैथ बोर्ड का एक प्रश्न प्रश्नकाल में हुआ था । उसमें बताया गया था कि होमियोपैथ

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

बोर्ड की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई अमेरिकनों के रजिस्ट्रेशन के लिए तो हो सकता है कि उसमें कुछ हुआ हो तो उसकी जांच करा लें। इसमें हमारी फोरेन पॉलिसी का सवाल आया हुआ है। स्पेशल मिटिंग केवल इन अमेरिकनों के रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाई गई और उसमें उनका रजिट्रेशन हुआ हो तो इसकी जांच करालें कि क्या बोनाफाइडी थी, कौन है और क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। माननीय विश्नोईजी ने कहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी तथ्य सदन के सामने आये है उनको स्टे करें और स्टे करने के बाद उनसे कन्ट्राडिक्टरी तथ्य अगर माननीय सदस्य के पास हों और उन फेक्ट्स को लेकर सदन में जवाब देते तब तो बात समझ में आती है। आप अलग पार्टी में प्रोग्रेसिव फोरम चला रहे है और उसके आधार पर आप कहते हैं कि अमेरिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो मैं समझता हूं कि माननीय विश्नोईजी में प्रोग्रेसिविजम रहा नहीं और मिनिस्टर न रहे तो केपिटेलिज्म को प्रोपेगेट करना शुरु कर दिया....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मिनिस्ट्री के आने जाने की तो चिन्ता करने वाला मैं नहीं हूं। उसकी चिन्ता करने तो वाले आप हैं। मिनिस्ट्री में रहा तो प्रोग्रेसिव रहा। आप क्या समझते हैं प्रोग्रेसिविज़्म को। आप क्या मिनिस्ट्री में जाने के लिए प्रोग्रेसिव हो रहे हैं......

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपतो केपिटेलिज्म को प्रीच कीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप प्रोग्रेसिव बने बैठे हैं तो आपकी सम्पत्ति से मेरे पास चौथाई भी नहीं है। आपने कहा कि प्रोग्रेसिविजम छोड़ दिया......

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठे रहें। आप को कौन कह रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इतने दिनों की बात को लेकर दूसरा प्रश्न था उस प्रश्न से रेलेवेन्ट बात न कहकर इक़बालनारायण के प्रश्न को वापस उठाते हैं......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इक़बालनारायण को मैं जानता तक नहीं हूं। उस समय भी चर्चा आई थी तो मैंने कहा था कि बिना किसी कारण के जो यहां पर जवाब नहीं दे सकते हैं उनको इस तरह से यहां पर नहीं खींचना चाहिए, उनको बीच में नहीं पटकना चाहिए। मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है। आप कहां पर खड़े हैं.....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठकर सुन नहीं सकते, स्टेडी नहीं करते हैं। कन्ट्राडिक्टरी फेक्ट्स नहीं देते हैं और जबरदस्ती उबल पड़े।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप भाषण दे सकते हैं। मैं 15 साल तक पढ़ा सकता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 15 साल क्या, 25 साल तक पढ़ा सकते है। ऐसा कौनसा ज्ञान का भंडार है आपके पास में। इसको अपने पास रखें। हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है आपके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़ाने का शौक है तो मास्टरी करलें।

Page No. 60

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि· · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : बहस नहीं हो रही है। आप तशरीफ रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपसे जानकारी चाह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य देने के बारे में कहा था जो कि राष्ट्रदूत में भी निकला है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देगें। वह वक्तव्य दिला दें। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस संबंध में अपना वक्तव्य दे दें कल जो स्थगन प्रस्ताव रखा था अमेरिकन एजेन्टों के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों का थोड़ा बहुत पालन कर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन खड़ा है और उसके पश्चात् बारबार आपको इंगित किया जाता है उसके पश्चात् भी आप नहीं सुनते हैं। मैं फिर आप से निवेदन करूंगा कि कम से कम जो परम्परा है, नियम हैं उनका पालन करें तो अधिक उपयुक्त होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामानन्दजी ने यह प्रश्न रखा है न अमेरिकनों के बारें में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेन्ट देने का कल कहा था वह नहीं रखा गया है, यही आपने कहा था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्होंने संकेत दिया था सिर हिलाकर। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की कोई सूचना नहीं थी मेरे पास और न मुझे इस तरह की सूचना मिली है कि इस तरह के कार्य एजेण्डे में यह शब्द रखे थे और जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में दोहराया था नहीं रखे हैं। ऐसी जानकारी उनसे नहीं ले सका हूं कि कल इस तरह की सूचना कोई माननीय सदस्यों को उन्होंने दी या नहीं दी इसलिए मैं इस बारे में कोई स्टेटमेन्ट सरकार को देने के लिए कहने में असमर्थ हूं।

श्री केदारनाथ : सिर हिलाना तो प्रोसीडिंग में तो आता नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसके बारे म निर्देश होता आसन की तरफ से, पहले तो जरूर तैयारी करके आते, फिर भी माननीय सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके बारे में जांच करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है, देट इज आल।

शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी।

पोंग डेम के विस्थापितों को राजस्थान कैनाल में भूमि आवंटन के संबंध में

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यास बांध और पोंग डैम का निर्माण करने से जो वहां के विस्थापित हैं, उनको क्या कम्पनसेशन दिया जावे। उनको बसाने के लिए राजस्थान में कितनी जमीन दी जावे, इसके लिए पार्लिया-मेन्ट के दोनों हाउसेज में, लोक सभा में और

(श्री रामचन्द्र चौधरी),

राज्य सभा में विचार हुआ था। हमारे यहां के जो माननीय सदस्य हैं, पार्लियामेन्ट में, उनमें भी तरह तरह के भ्रम फैले हुए हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जानकारी दूं।

व्यास बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में 75,268 एकड़ भूमि के अवाप्ति की आवश्यकता पड़ी। इसमें से 36 हजार एकड़ भूमि कृषि योग्य थी और शेष अकृषि योग्य बेकार बंजड़ भूमि थी। कृषि योग्य भूमि में से केवल 13 हजार एकड़ भूमि सिंचित थी। 36 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि करीब 20,722 व्यक्तियों की मिलकियत बताई गई जिनमें से 10 हजार व्यक्ति एक एकड़ से कम भूमि के मालिक हैं। केवल 48 व्यक्ति 30 एकड़ से अधिक भूमि के मालिक हैं। व्यास बोर्ड की तरफ से व्यास परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति का कार्य हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है और भूमि अवाप्ति अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। भूमि के मुआवजे का व पेड़ों का अनुमान केवल 6.71 करोड़ का था। इसे बढ़ाकर 31 करोड़ किये गये और अब यह अनुमान 45 करोड़ का है। हिमाचल प्रदेश सरकार का इरादा है कि मुआवजे की राशि अदा करने में सरकारी विलम्ब को कारण बना कर इस राशि पर व्याज दिलाया जावे। हालांकि तमाम भूमि अवाप्ति अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं और उनके आदेशों के अनुसार मुआवजा देने के फैसले कर रहे हैं। मुआवजे की राशि में वृद्धि का कारण हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारियों को प्रशासनिक आदेश देना है।

इन आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने सन् 1965 में यह आदेश दिया कि सिंचित अव्वल दर्जा की भूमि का मुआवजा 3,000 रुपया प्रति एकड़ से कम नहीं दिया जावे। और इसी प्रकार बंजड भूमि की कीमत 563 रु० प्रति एकड़ व गैर मुमकिन की 281 रु० प्रति एकड़ से कम कीमत नहीं आंकी जाय। सन् 1965 में यह दरें ऊंची थीं। फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सन् 1967 में इन दरों को संशोधित कर दिया जिसके अनुसार सिंचित जमीन की कीमत 3000 रु० प्रति एकड़ से 6857 रु० प्रति एकड़ बढ़ा दी गई। बंजड़ जमीन की कीमत 563 रु० से 2375 रु० प्रति एकड़ कर दी गई व गैर मुमकिन की कीमत 281 रु० से 2375.75 पैसे प्रति एकड़ बढ़ा दी गई। यह ऊंची दरें वास्तविक बाजार की कीमत जो इन भूमियों की थी से बहुत अधिक थी और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतवर्ष की किसी सिंचाई परियोजना में इतनी ऊंची राशि का मुआवजे की नहीं दी गई जितनी कि पोंग बांध के विस्थापितों को हिमाचल पोंग की सरकार के आदेशों के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारियों ने दिलाई है।

उपर्युक्त मुआवजे की राशि के बारे में सिंचाई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपत्ति की गई लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिद्द की कि वही दरें दिलाई जावें और उनके भूमि अवाप्ति अधिकारी इन्हीं दरों से मुआवजा दे रहे हैं।

यह भी सूचना मिली है कि व्याज भी मुआवजे की रकम के अलावा दिया जा रहा है।

साधारणतया अवाप्तशुदा भूमि पेड़ व मकानों के मुआवजे की अदायगी के बाद और

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कोई मांग नहीं उठनी चाहिए थी। इतनी ऊंची राशि का असाधारण मुआवजा जो विस्थापितों को दिया गया वह उनकी बाजार की कीमत से बहुत अधिक था। उपर्युक्त नकद मुआवजे के अलावा विस्थापितों को बहुत उदारता से पुनर्वास की सहायता भी दी गई व व्यास परियोजना में रोजगार देने की प्राथमिकता भी दी गई। इस प्रकार साधारणत: राज्य सरकार को इन विस्थापितों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी मानवता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उदारता दिखा कर व्यास बांध के विस्थापितों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में नकद मुआवजे के अलावा भूमि आवंटन के स्वेच्छिक कदम को लेना स्वीकार किया। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के मध्य हुई वार्ता के अनुसार भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। विस्थापित की परिभाषा में वह परिवार शामिल किये गये जिनकी भूमि 20 एकड़ तक की थी और जिस भूमि में से 30 प्रतिशत तक कम से कम भूमि अवाप्त कर ली गई और जिन परिवारों के पास 20 एकड़ से अधिक भूमि थी उनकी भूमि 50 प्रतिशत तक अगर अवाप्त कर ली गई तो उन्हें भी विस्थापित परिवार माना गया। पोंग बांध से प्रभावित विस्थापित परिवारों की संख्या भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के परामर्श से निर्धारित की जानी थी। इन संख्याओं का अंतिम निर्णय होने तक भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आंकड़े प्राप्त करके राज्य सरकार को एक संख्या अस्थाई रूप से बताई और राज्य सरकार को 2.25 लाख एकड़ भूमि इन विस्थापितों के लिए आरक्षित करने को मनाया। यह क्षेत्रफल अधिक से अधिक बताया जिसकी कि आवश्यकता हो सकती है।

विस्थापितों को भूमि का आवंटन प्रति परिवार 15.625 एकड़ करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापित परिवार भूमि पाने के हकदार हैं या नहीं, यह जाँच एक कमेटी द्वारा की जावे। जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी हों और जिसके सदस्य राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी हों। विस्थापित परिवारों की जांच होने की प्रतीक्षा में राज्य सरकार इन विस्थापित परिवारों के लिए भूमि का आरक्षण करने को सहमत हो गई और यह निश्चित किया गया कि जांच का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाय। बहुत कठिनाई के बाद राजस्थान के अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों से रिकार्ड उपलब्ध कराने में सफल हुए। जो रिकार्ड उपलब्ध हुआ, उसके जांच करने से यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों न विस्थापितों की सूची में मुस्तर्का खाता/खेवट के अन्दर अंकित तमाम व्यक्तियों को अलग अलग परिवार बता कर शामिल कर लिया गया। राज्य सरकार को यह स्वीकार करना सम्भव नहीं था कि जिन व्यक्तियों की नगण्य भूमि डूब में आई हो उन्हें भी अलग परिवार मान कर परिवार के अलग सदस्य को 25–25 बीघा सिंचित भूमि दी जावे। हमारे प्रतिनिधियों ने पाय कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार की सूचियों को इसी तरह से स्वीकार कर लिया जाय तो जिस विस्थापित की 22 बीघा भूमि ली गई है, उस परिवार को 475 बीघा भूमि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में नकद मुआवजे के अलावा देना पड़ेगा। इसी तरह से जो विस्था-

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

पित 14.45 बीघा भूमि खोयेगा उसे 275 बीघा भूमि मिलेगी और जो 40 बीघा भूमि खोयेगा उसे पुनर्वास के लिए 440 बीघा भूमि मिलेगी। राज्य सरकार के लिए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर पुनर्वास की सुविधा प्रदान के नाम से राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में एक ही परिवार को सैंकड़ों बीघा भूमि आवंटन करना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऐसा करना राज्य सरकार की भूमि से अधिक जोत संबंधी कानून व नियमों के भी विपरीत पड़ता।

हमारे जांच दल ने यह पाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने दिनांक 31-3-61 के बाद मरे हुए विस्थापित के तमाम उत्तराधिकारियों को अलग अलग परिवार मान कर सूचियों में शामिल कर लिया। मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका था कि दिनांक 31-3-61 के बाद कोई नये अधिकार किसी भी विस्थापित परिवार को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे प्रतिनिधियों के इन तमाम उत्तराधिकारियों को अलग परिवार स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

(श्रीमती मदन कौर, सभापति, पदासीन)
1.48 म. प.

इन दोनों विन्दुओं पर दिनांक 26 नवम्बर, 70 को मुख्य मंत्रियों ने राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुसार कुछ अस्थाई निर्णय लिये थे जिनके अनुसार हिमाचल प्रदेश के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन निर्णयों को नहीं माना। अतः भारत सरकार के विधि मंत्रालय की राय इन विन्दुओं पर मांगी गई और विधि मंत्रालय ने राजस्थान सरकार की राय को उचित बताया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के विधि मंत्रालय की स्पष्ट राय को नहीं माना। इसलिए विधि मंत्रालय को एक दूसरा संदर्भ भेजा गया जिस पर विधि मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने पुनः राजस्थान सरकार की राय की पुष्टि की।

उचित यह था कि हिमाचल प्रदेश भारत सरकार के विधि मंत्रालय की राय को मान लेता, लेकिन वे अपने दृष्टिकोण पर फिर अड़े रहे। विस्थापित परिवारों की जांच इस बीच में चलती रही और यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने जो सूचियां दीं उनमें 50 फी सदी परिवार भूमि पाने के हकदार नहीं थे। परियोजना के हित में राज्य सरकार की तरफ से परिवारों की एक सूची अस्थाई तौर पर स्वीकृत कर ली गई ताकि पानी की डूब में आये हुए परिवारों की मदद में विलम्ब न हो। इसी बीच में मुख्य मंत्रियों की एक बैठक माह अप्रेल, 71 में फिर हुई लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। जांच को फिर आरम्भ किया गया तो यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ ऐसे भू-अभिलेख प्रस्तुत किये गये जो जाली व संदिग्ध थे। जो सन् 1961 का रिकार्ड बताया गया था वह उन सरकारी प्रपत्रों पर लिखा गया था जो गवर्नमेंट प्रेस, चण्डीगढ़ में सन् 1968 में छपे थे। इन संदिग्ध अभिलेखों के बारे में राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार को उच्च स्तर पर लिखा गया लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव किया गया कि विवाद के विन्दुओं पर निर्णय देने के लिए किसी कानून के विशेषज्ञ या हाई

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कोर्ट के जज या एटर्नी जनरल को नियुक्त किया जावे लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मुख्य मंत्रियों की अंतिम बैठक जो माह अप्रेल 72 में हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि विवाद के बिन्दुओं पर भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिव महोदय की सलाह प्राप्त की जाय। राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमण्डल सचिव को इन विवादग्रस्त बिन्दुओं पर राज्य सरकार के दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण देते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि इन बिन्दुओं पर और अधिक रोशनी डालने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को समय दिया जाय। अभी तक मंत्रिमण्डल सचिव से सुनवाई की कोई तारीख निश्चित नहीं हुई।

इस प्रकार राज्य सरकार ने परिस्थितियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सरकार के दृष्टिकोण पर यथासम्भव सहानुभूति के साथ विचार किया है और जितनी उदारता पुनर्वास हेतु भूमि आवंटन के विषय पर दिखाई जा सकती थी, दिखाई है। किन्तु राज्य सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की ऐसी कोई मांग मान ली जाय जिसके अनुसार एक परिवार को 200 बीघा भूमि नकद मुआवजे के अलावा देनी पड़ेगी। ऐसा करना राज्य के भूमिहीन किसानों के हितों के विपरीत होगा और राज्य की भूमि सुधार नीति के खिलाफ पड़ेगा। जिन विस्थापित परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्रों में अब तक भूमि आवंटन की गई है उनका अनुभव भी कोई अच्छा नहीं है। 449 परिवारों को अब तक भूमि आवंटित की गई जिनमें से सं० 2028 खरीफ की गिरदावरियों के अनुसार केवल 36 परिवार जमीन पर बैठे हैं और रबी की गिरदावरियों के समय यह संख्या घटकर 28 हो गई है। ये विस्थापित परिवार न मालगुजारी अदा कर रहे हैं न जमीन की किश्तें दे रहे हैं। उन्होंने नौकरनामों की आड़ में राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में बड़े जमीदारों को अपनी भूमि आगे स्थानान्तरित कर दी है या ठेके या बंटाई पर दे दी है। हमने विस्थापितों के निवास के लिए पांच हजार कच्चे मकानों का निर्माण कराया व एक एक लाख रुपये की लागत से डिग्गियां बनवाई। इसके अलावा विस्थापितों की आवादी में स्कूल व औषधालय के भवन निर्माण कराये। यह सब सुविधाएं बिना उपयोग के पड़ी हुई हैं।

पोंग बांध के विस्थापितों के लिए जो भूमि राज्य सरकार ने आरक्षित की है वह करीब 35 करोड़ रुपये के मूल्य कुछ तखमीनों के अनुसार है इसके अलावा आबादियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब 3 करोड़ रुपया खर्च किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानून बिन्दुओं पर भारत सरकार के विधि मंत्रालय का खिलाफ फैसला होने के बाद यह प्रयत्न करना प्रारम्भ किया है कि विस्थापितों को आरक्षित भूमि हिमाचल प्रदेश की सरकार के सुपुर्द कर दी जाय। राज्य सरकार के लिए इस मांग को स्वीकार करना कतई सम्भव नहीं है क्योंकि राजस्थान में जो भूमि का आवंटन किया जावेगा वह राज्य के कानूनों के अन्तर्गत होगा। इसके अतिरिक्त जो भूमि आरक्षित की गई है उसका आधार विस्थापित परिवारों की ऐसी संख्यायें हैं

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जिनको अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है । हिमाचल प्रदेश की सरकार के अनुमान के अनुसार करीब 20 हजार परिवारों की संख्या डूब में आवेगी । सम्भव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अलग अलग परिवार माना है। राज्य के उपनिवेशन विभाग ने एक सर्वेक्षण कराया था और यह पाया था कि जो गांव डूब में आवेंगे, उनकी जनसंख्या 27,000 से अधिक नहीं है। अगर 5 सदस्यों का एक परिवार माना जाय तो वास्तविक विस्थापितों की संख्या 5400 से अधिक नहीं हो सकती । इस पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वास्तविक आवश्यकता से तिगुनी भूमि भारत सरकार के माध्यम से आरक्षित करा ली है। इन परिस्थितियों में जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या अत्यन्त विवादग्रस्त है राज्य सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सारा आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश सरकार के सुपुर्द कर दे । राजस्थान सरकार पोंग बांध के विस्थापितों को जो अधिकतम सुविधा दे सकती थी देने के लिए प्रयत्नशील रही है । जैसा कि मैंने सदन के सामने तथ्य रखे हैं, उससे स्पष्ट होगा ।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : समापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने पोंग बांध के विस्थापितों को जो राजस्थान सरकार की ओर से सुविधायें दी जाने वाली हैं, उनको जो भूमि आवंटित की जाने वाली है, यां जो उनकी भूमि बांध में आने वाली है, और जो मुआवजा दिया जाने वाला है–उसके संबंध में एक विस्तृत वक्तव्य सदन में दिया। समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि अजीव सी स्थिति बांध की है। प्रारम्भ में जब यह बांध की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, टोटल एस्टीमेट 75 करोड़ का बना था, उस 75 करोड़ के एस्टीमेट में से छः करोड़ रुपया, भूमि जो इसके अन्दर आने वाली थी, का मुआवजा भी दिया जाने वाला था–वह भी शामिल था। मंत्री महोदय ने एक स्थिति साफ की, छः करोड़ रुपये का एस्टीमेट मुआवजे का प्रारम्भ में था, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उस मुआवजे को बढ़ा कर बीच में 29 करोड़ रुपये का करीब किया, और आज 31 करोड़ का कर दिया। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि आज वह मुआवजा 45 करोड़ रुपये का हो गया है। मैं माननीय समापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, यह मुआवजा 45 करोड़ रुपये का ही नहीं है, 60 करोड़ रुपये का हो गया है और आज चर्चा चल रही है कि मुआवजा अस्सी, पिचासी करोड़ की चर्चा चल रही है। मूल में बांध का एस्टीमेट था वह 75 करोड़ रुपये का था, आज पिचासी करोड़ रुपये का मुआवजा है, और बांध का एस्टीमेट वनाया था, वह खर्चा अलग है–यह भारी राज्य सरकार पर बोझ डाला जा रहा है। मुआवजा जो तय करना है वह राज्य सरकार को नहीं करना है, यह हिमाचल प्रदेश की सरकार को तय करना पड़ रहा है और उस सबका बोझा राजस्थान सरकार पर डाला जा रहा है। इसकी जांच करवानी चाहिए कि राजस्थान की सरकार पर समझ और सोच कर कितना नुकसान जान बूझ कर डाला जा रहा है। इसके लिए जितना प्रयत्न किया जाना चाहिए, भारत सरकार पर जितना दबाव डालना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार को जितना दबाना चाहिए, उतना दबाने में राजस्थान सरकार कामयाब नहीं हो रही है–यह वस्तु स्थिति है। हिमाचल प्रदेश सरकार दिन प्रति दिन प्रयत्न कर रही

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है, वह अधिक से अधिक लाभ लेना चाहती है और लाभ लेने के लिए उसका प्रयत्न होता चला जा रहा है। यह गम्भीर प्रश्न है, राजस्थान में भूमिहीनों को भूमि नहीं दी जा रही है, उनको आबाद नहीं किया जा रहा है। यह सही है कि मानवता की दृष्टि से, मानवता को ध्यान में रखते हुए, पोंग डेम बने तो इस डेम से प्रभावित होने वाले विस्थापितों को राजस्थान में बसाना स्वीकार किया, यह हमने मानवता के नाते स्वीकार किया। दूसरी तरफ कडाना बांध को देखते हैं तो उसमें भारत सरकार नहीं सोचती है कि गुजरात सरकार कितना मुआवजा देगी। हमारी दो तरह की स्थिति है जब हमसे मुआवजा दिलाया जा रहा है तो उस वक्त हम कितना दे रहे हैं और हमें कितना मुआवजा दिया जा रहा है—इस पर विचार नहीं किया जाता है। यह हमको देखना पड़ेगा। मंत्री महोदय ने कहा। मंत्री महोदय ने कहा कि हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि जो बांध बना उसका मुआवजा इतनी ऊंची रेट से दिया गया हो। हिन्दुस्तान में और भी कई बांध बने हैं, रामगंगा बांध है, भाखरा है, रिहन्द बांध है, गांधी सागर है । आप यह देखेंगे कि जमीन का बहुत कम मुआवजा दिया गया है। बहुत कम जमीन दी है और मुआवजा भी कम दिया है। रामगंगा का पूरा टोटल लैंड है 23,100 एकड़, जिसका 1 करोड़ 78 लाख मुआवजा हुआ, भाखरा की 44,461 एकड़ जमीन का मुआवजा 4 करोड़ 51 लाख हुआ, रिहन्द पर 1 लाख 15 हजार 200 एकड़ जमीन का मुआवजा है वह 2 करोड़ 14 लाख है, गांधी सागर पर 1,49,084 एकड़ जमीन का मुआवजा 5 करोड़ 20 लाख हुआ, हीरा कुण्ड पर 1,82,590 एकड़ जमीन का मुआवजा 11 करोड़ 71 लाख हुआ। पोंग डेम का मुआवजा 75,268 एकड़ जमीन का 45 करोड़ मुआवजा है, और जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं यह अस्सी पिचासी करोड़ तक जाने वाला है। यह गम्भीर प्रश्न है—इस पर सोचना होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी केन्द्रीय सरकार के माध्यम से जमीन का मुआवजा क्लेम करे और वह हमें देना पड़े-यह न्याय की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता । उनकी जमीन डूब में आई, उसका स्टेट सरकार के द्वारा मुआवजा देते तो क्या वह इस रेट से देते हैं? उन्होंने जो मुआवजा की रेट रखी है वह 6 हजार की रखी है और अनकल्चरेबल लैंड है उसका 2500 मुआवजा रखा है-जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि राजस्थान के अन्दर हम हमारे काश्तकारों को यह मुआवजा दे सकें। यह सही बात हो सकती है कि विस्थापित काश्तकारों को राजस्थान में जमीन पर बसाना है, राजस्थान में रिहेबिलिटेट करना है। लेकिन यह स्थिति राजस्थान पर छोड़नी चाहिए। वहां जमीन डूब में आती है तो जो राजस्थान में नियम बने हुए हैं, किस प्रकार की जमीन का कितना मुआवजा दिया जायगा, वही उन विस्थापित को मिलना चाहिए, वह मुआवजा उनको दिया जाय तो वाजिब कहा जा सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता कि आरबीट्रेरी वे में केवल अपना लाभ लेने के लिए करें, क्योंकि दोनों पार्टीज हिमाचल प्रदेश सरकार और वहां के लोग जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहें उसके लिए कोशिश करते हैं । इतना ही नहीं मुआवजा भी दिलादें और साथ साथ रिहेबिलीटेट करने की जिम्मेदारी भी हम पर। रिहेबिलीटेट भी उन लोगों को जैसे मंत्री महोदय ने बताया यहां पर 10 हजार परिवार ऐसे हैं जिनकी केवल एक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

एकड़ या एक एकड़ से नीचे जमीन जाती है। अंदाज लगायें एक एकड़ जमीन वाले व्यक्ति को वहां से हटते ही उसको रिहेबिलीटेट करना पड़ा। वह कहां विस्थापित हो पाया ? एक एकड़ या नीचे की जमीन में कैसे सारा भरण पोषण करते हैं। एक एकड़ जमीन डूब में आ गई इसलिए विस्थापित हो गए और उनको बसाने के लिए कम से कम 25 बीघा जमीन राजस्थान केनाल एरिया आप उसको देंगे। अजीब बात है। एक एकड़ में विस्थापित होने का प्रश्न नहीं है इसलिए जैसे मंत्री महोदय ने कहा, आज वहां के लोगों को हमने यहां पर बसाने का प्रयत्न किया, कुछ परिवारों को मकान बनाकर दिए लेकिन धीरे धीरे वापस चले जा रहे हैं केवल मुनाफाखोरी करने के लिए, वह राजस्थान में 25 बीघा जमीन लेते हैं, उनका सारा धंधा हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। विस्थापित नहीं हैं। उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। केवल एक एकड़ या उसके नीचे की जमीन उनकी डूब में आई है ऐसे व्यक्तियों को विस्थापित मानकर उनके बसाने की जिम्मेदारी हमें अपने पर नहीं लेनी चाहिए। यह राजस्थान के भूमिहीनों पर भार होगा। वे भूखों मरें और हम इन लोगों को बसाने की बात करें, इस भार को कतई नहीं मानना चाहिए। चाहे भारत सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार कितना ही दबाव डाले लेकिन हमको उनके साथ लड़ना चाहिए। इस तरह से राजस्थान को नुकसान में नहीं दिया जा सकता। आज राजस्थान कैनाल का सारा भार, पोंग डैम का सारा भार, हम पर आ पड़ा है। उन लोगों के लिए जिनको किसी किस्म का नुकसान हुआ, उनको लाकर बसाना चाहते हैं और 2.75 लाख एकड़ जमीन उनके लिए हमने रिजर्व की, राजस्थान के किसी व्यक्ति को नहीं दी। 31-3-61 को तय हुआ, तब से यह जमीन रिजर्व पड़ी है और इस रिजर्व्ड जमीन में से हमने उन लोगों को कुछ जमीनें एलॉट की लेकिन जैसे मंत्री महोदय ने कहा, आजतक न उस जमीन का लैंड रेवेन्यू दिया गया न उसको आबाद करके जो राष्ट्र को लाभ मिलना चाहिए था उस लाभ से राजस्थान के लोगों को वंचित रखा। इतना ही नहीं राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान किया। वह जो जमीन पड़ी हुई है अगर वह राजस्थान के लोगों को मिले तो वह उपजाऊ हो सकती है, उत्पादन के काम में आ सकती है। इसलिए हमको मानना चाहिए कि इसमें हमारी कमजोरी रही है। हमें जितना दबाव भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार पर डालना चाहिए था, उतना जोर हमने नहीं डाला और आज स्थिति यह हुई कि हमें इतना मुआवजा दिलाने के लिए मजबूर होकर देना पड़ता है। 6 करोड़ के बजाए हमने 40-45 करोड़ रुपये तो मान लिया। राज्य सरकार लड़ रही है। कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। 6 करोड़ के बजाए 45 करोड़ हमने मान लिया। जिस तरह से आप चल रहे हैं आप 60 करोड़ भी मानेंगे या 80 करोड़ करें तो भी आप मानेंगे। इसलिए हमें वातावरण बनाना है और मजबूती के साथ लड़ना है और हमारे जो संसद सदस्य हैं उनके माध्यम से, चाहे सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, चाहे मंत्री स्तर पर, या मुख्य मंत्री के माध्यम से लड़कर तय करना है। इस तरह की बात चलने वाली नहीं है। जब हमने मुआवजा दे दिया फिर हमारे ऊपर लायाबीलिटी नहीं आनी चाहिए। हम उनको यहां पर लाकर आबाद करें और राजस्थान पर भार बनाकर उनको बिठायें। फिर भी मानवता की दृष्टि से जो कुछ हम स्वीकार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करते हैं कि मुआवजे के बाद भी कन्सेशनल रेटस पर जमीन देंगे, उनके लिए मकानों की व्यवस्था करें, बिजली पानी की व्यवस्था करें, अस्पतालों और स्कूलों की व्यवस्था करें लेकिन इस तरह से एगजार्बिटेन्ट रेटस लगाकर हमको लूटा जाए केवल इस आधार पर कि वे हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं और वहां की सरकार ही तय कर रही है, यह कितनी गलत बात है ? जिसकी जमीन जा रही है उसका मुआवजा वही तय करे मार्केट रेट पर,यह कैसी बात है ?अब मार्केट रेट का पता नहीं कौनसा मार्केट रेट रखेंगे। 6 करोड़से 80 करोड़ मुआवजा की बात होने लगी है। इसलिये मजबूती रखनी होगी। केवल पत्र-व्यवहारसे काम नहीं चलने वाला है। मजबूती के साथ दोनों भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से लड़ना होगा और तय करना होगा। यह आसानी से तय होने वाला नहीं है।

इतना ही नहीं समापति महोदया, मुआवजा की बात जैसे मंत्री महोदय ने बताया, 1961 में तय की गई थी। उन परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। लैंड खातेदारी जो कुछ 1961 में तय हो गई थी कि इतने परिवार होंगे, इतनी जमीन डूब में आने वाली इनको हमें यहां पर बसाना है। आज उन परिवारों की संख्या बढती जा रही है कुछ है, ट्रांसफर हो रहे हैं जमीन के। जो जमीन डूब में आई, 1961 के बाद ट्रांसफर्स हो रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में। जब उनको मालूम हो गया, एक एकड़ या उसके नीचे विस्थापितों को राजस्थान कैनाल एरिया में 25 बीघा जमीन मिलने वाली है तो निश्चित रूप से आदमी इस तरीके को आसान समझता है। हिमाचल प्रदेश से जमीन ट्रांसफर कराएगा। आप पर लायेबिलिटी आएगी। यह गलत हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है हिमाचल प्रदेश के अधिकारी जो व्यास या पोंग डेम पर काम कर रहे हैं उन्होंने वहां जमीनें खरीदी हैं और वे अधिकारी जब तक वहां रहेंगे तब तक निश्चित रूप से कोई फैसला नहीं होने वाला क्योंकि आपकी चलती नहीं। वे बैठकर निर्णय कर रहे हैं, उनका सेल्फ इन्ट्रेस्ट उसमें क्रिएट हो गया। उनकी एक दो एकड़ जमीन बांध में आ गई है और जानते हैं कि राजस्थान कैनाल में 25 बीघा जमीन मिलने वाली है वह जमीन लेकर बेचते हैं। उसको दूसरा नहीं खरीदेगा। उसको राजस्थान का कृषक ही खरीदेगा। आपसे मुआवजा ले रहे हैं, आपसे रियायत कीमत पर जमीन ले सकते थे, आज उस जमीन को वे लूटकर ले जा रहे हैं।

इसलिए मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया और बताया कि आगे जो कुछ हो रहा है, राज्य सरकार सतर्क है, आगे कुछ कार्यवाही करने जा रही है, उन्हों ने भारत सरकार से भी कहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कुछ फैसला किया, उन्होंने नहीं माना है। यह ठीक है लेकिन कम से कम भारत सरकार से, मेरी राय में जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता है तब तक अब तो मुआवजा देना बंद करें, अभी भी पैसा दे रहे हैं। मुआवजा न देने में आपकी क्या प्रगति है? आप कहते हैं कि देंगे तो वाजिब देंगे तो जब वाजिब देना है तो कुछ साल के बाद दें। हम सही निकलते हैं तो वाजिब की नौबत नहीं आएगी। उन पर भार आएगा कि उनकी गलती की वजह से हुआ है। इसलिए पोंग डेम के विस्थापितों के संबंध में जो कार्यवाही की जा रही है उसमें थोड़ी सी ढिलाई हमारी रही। सख्ती के साथ ही हमें मुकाबला करना है। हिमाचल प्रदेश

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हमको डिक्टेट करता चला जा रहा हैं। अभी अभी आपने एक बात बताई कि आज हिमाचल प्रदेश चाहता है कि राजस्थान में जो जमीन उनके लिए 2.50 लाख एकड़ ईयरमार्क कर रखी है उनका एलाटमेंट आप मत करें, आप हिमाचल प्रदेश पर छोड़ दें। राजस्थान की टेरीटरी में हिमाचल प्रदेश वाले कहते हैं कि हम एलॉटमेंट करेंगे, यह कौनसा लॉजिक है? सभापति महोदया इसके लिये हमारे मुख्य मन्त्री को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से बैठ कर बात की जावे। क्योंकि आज वहां के लोगों को यहां पर राजस्थान कैनाल में आपने जमीन एलॉट करने का प्रावधान रखा है। मैं पूछना चाहूंगा राजस्थान सरकार से कि इतना खर्चा आप वहां पर पोंग डैम पर कर रहे हैं। क्या आपको राजस्थान कैनाल से उसका फायदा मिल जायेगा? मैं समझता हूं कि उसका ब्याज भी आपको नहीं मिलने वाला है। आज वहां पर पहले उन विस्थापितों को 6 करोड़ रुपये देने की बात थी वह बढ़ते बढ़ते 80 करोड़ रुपये तक मुआवजा देने की बात हो गयी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसके लिये शक्ति से मुकाबला करे यह सही है कि राजस्थान सरकार की कुछ जिम्मेदारी पोंग डेम के बनने से जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को तकलीफ हुई है उसके लिये राज्य सरकार कुछ करे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश उसका नाजायज फायदा उठाये। इसके लिये हमें चाहिये कि इस मामले को हम पार्लियामेंट में उठावें। हमें चाहिये कि हम हमारे राजस्थान के पार्लियामेन्ट के जो मेम्बर्स हैं उनके द्वारा लोकसभा में हम आवाज उठायें। इसके अलावा हमें हमारे मुख्य मंत्री के माध्यम से चीफ मिनिस्टर लेवल पर इसके लिये कोशिश करनी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदया, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहती हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सभापति जी मेरा नम्बर है।

श्रीमती सभानेत्री : श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कर दिया ना पक्षपात, आपने सभापति महोदया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो स्वभाविक था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : सभापति महोदया, जब पोंग डेम बनने की बात शुरू हुई थी तो राजस्थान को बहुत ही उम्मीद थी कि इससे राजस्थान की जनता को बहुत ही फायदा होगा। और इसी उम्मीद के साथ जिस समय ट्रीटी हुई थी उस समय हमारी जनता को बहुत खुशी हुई थी। उस ट्रीटी के मुताबिक राजस्थान पंजाब और और हरियाणा सभी सरकारों को उससे पानी मिलने वाला था। और उससे काफी सिंचाई होने की गुंजायश थी। पर आज हालत ऐसी हो गयी है कि जो हमें काफी फायदा मिलने वाला था वह तो मिला नहीं और उसके विपरीत हमें काफी नुकसान हो गया है। आज पोंग डेम बनने से जिन लोगों पर असर पड़ा है उनके साथ हमें सहानुभूति है लेकिन आज वहां की सरकार इन विस्थापितों के प्रश्न को लेकर हमें काफी बदनाम कर रही है। और आज हमारे खिलाफ में सभी जगह खराब वातावरण बनाया जा रहा है। हालांकि हमने उन विस्थापितों के लिये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

राजस्थान केनाल में जमीन देने का प्रावधान रखा है और राज्य सरकार ने उनके लिये काफी काम किये हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इतना होने पर भी हमारे साथ इन्साफ नहीं हो रहा है। क्योंकि इधर तो हिमाचल प्रदेश हमारे खिलाफ प्रचार कर रहा है कि हमने उनके विस्थापितों के लिये कुछ नहीं किया है। जो हमने उनसे राजस्थान केनाल में जमीन देने की बात कही थी उसके लिये वह लोग काफी शोरगुल मचा रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में पार्लियामेंन्ट में और दूसरी जगह हंगामा हमारे खिलाफ मचा रखा है। आज जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को करना चाहिए वह तो हिमाचल प्रदेश सरकार कर नहीं रही है अपने लोगों के लिय, लेकिन अपना सारा दोष हिमाचल प्रदेश की सरकार राजस्थान गवर्नमेंट पर मढ़ना चाहती है। यह बिलकुल गलत बात है। मैं राज्य सरकार के कोलोनाईजेशन मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे इस संबंध में भारत सरकार के कोलोनाईजेशन के विभागीय अधिकारियों से बात चीत करें, और भारत सरकार को इस बात के लिये बाध्य करें कि वास्तविक पोजीशन क्या है उसको जाने। आज वास्तविक पोजीशन को छुपाया जा रहा है जिससे यह हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश द्वारा, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कोलोनाईजेशन के मंन्त्री महोदय सारी स्थिति भारत सरकार के सामने रखें और उसके बाद में जो भी निर्णय हो वह इस सदन में तथ्य पेश करें कि वहां पर क्या निर्णय हुआ।

जैसा कि अभी कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमें इसका शक्ति से मुकाबला करना चाहिये और पार्लियामेंट में अपने राजस्थान के सदस्यों द्वारा आवाज उठायी जानी चाहिये जिससे कि जो गलत वातावरण बनाया जा रहा है वह नहीं बन सके, और हिमाचल प्रदेश द्वारा हमारे से नाजायज फायदा नहीं उठाया जा सके।

मैं मन्त्री महोदय से, इसमें जो मुद्दे हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगी। पहला मुद्दा तो यह है कि राजस्थान में आज भूमिहीन किसान बहुत हैं, दूसरे उनको पहले राजस्थान नहर में जमीन दी जाय। तीसरे हमारी जो ट्रीटी राजस्थान के मुख्य मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के बीच में विस्थापितों के बारे में हुई थी वह परिस्थितियां दूसरी थीं अब हालात बदल गये हैं। इसलिये आज यह जरूरी है कि इस ट्रीटी को बदला जाय। इसके अलावा आज जोत की अधिकतम सीमा भी बदल गयी है। सभापति महोदया, जब कैरो ने इन विस्थापितों के बारे में जो आंकड़े दिये थे उस वक्त सिर्फ 6,518 फैमिलीज बतायी थीं लेकिन अब जो आंकड़े बताये जा रहे हैं विस्थापितों की फेमिलीज के बारे में वह 22 हजार हो गये हैं। जो उन 6,518 फेमिलीज में बच्चे थे और जो बाद में बड़े हो गये उन्हें भी उन्होंने एक सेपरेट फेमिली मान ली। और अब जो इन्होंने 22 हजार फेमिलीज के बारे में जमीन की मांग की है वह दो लाख 75 हजार एकड़ जमीन की मांग की है और उसके लिये जो कम्पेनसेशन वहां की जनता चाहती है वह हम राजस्थान के भूमिहीन किसानों की कास्ट पर नहीं दे सकते। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां की पर केपिटा इनकम बहुत कम है। यहां के लोग गरीब हैं और खास तौर से हिमाचल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्रदेश के लोगों से हमारे यहां की जनता ज्यादा गरीब भी है। अगर इस प्रकार हम उनके बताये हुए आंकड़ों के अनुसार करेंगे तो हमारी राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। आज जब सरकार के सामने यह तथ्य आ चुके हैं कि वहां पर गलत रिकार्ड बनाये गये हैं जो उस वक्त कमीशन बैठा था उसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कम्पेन्सेशन का सन् 60 में 6.71 करोड़ रुपया मांगा था और सन् 1965 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 31 करोड़ रुपया मांगा था। इसके बाद में सन् 1967 के अन्दर उन्होंने उस राशि को बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये कर दिये। और आज के दिन वह कह रहे हैं कि या तो हमें जल्दी विस्थापितों के लिये पैसा दो वरना हम उस पर ब्याज भी मांगेंगे। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है दूसरी तरफ राजस्थान के संबंध में गलत वातावरण बनाया जा रहा है। राजस्थान को बदनाम किया जा रहा है। मैं तो कहूंगी कि आज राजस्थान के शासन का शोषण किया जा रहा है। हमारे राजस्थान की जनता गरीब है उस पर पहले से ही टैक्स ज्यादा लगाये हुए हैं। इधर हमने कहीं-कहीं पर 18 एकड़ जमीन जोत की अधिकतम सीमा तय कर रखी है। उसके बदले में मैं चाहूंगी कि 15 एकड़ जमीन जोत की अधिकतम सीमा कर दी जाय।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगी वह जो फेमिलीज की संख्या पहले बतायी गयी थी उसका वेरीफिकेशन किया जाय और बाद में कम्पेन्सेशन की राशि तय की जाय। इसके अलावा कम्पेन्सेशन के बारे में कई बार चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में या इन मुख्य मंत्रियों की मीटिंग्स हुई उनमें निर्णय कुछ लिये गये होंगे उसके संबंध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं राजस्व मंत्रीजी से इतना जरूर निवेदन करूंगी कि इस पौंग डेम में दूसरे प्रान्त और हैं, जैसे हरियाना और पंजाब उनका भी तो शेयर है। उन्हें चाहिये कि वे उनसे भी इस बारे में बातचीत करें। क्योंकि विस्थापितों का भार राजस्थान पर ही डालना चाहते हैं तो गलत है। यह सही है कि राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरे नम्बर का प्रान्त है इसलिये अगर हमने कोई मानवीय दृष्टि से इसे स्वीकार किया होगा और आज भी हम मानवीय दृष्टिकोण से सोचने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हिमाचल प्रदेश आज विस्थापितों की संख्या दिनों दिन बढ़ाता ही रहे। और उसके साथ साथ कम्पेन्सेशन की राशि भी बढ़ती चली जाय। आज उस ट्रीटी के हिसाब से राजस्थान को 58 प्रतिशत खर्चा वहन करना है, लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं कि वैसे ही राजस्थान के ऊपर बहुत ही लायबिलिटी है। और राजस्थान काफी कर्जे से दबा हुआ है। मैं समझती हूं कि राज्य सरकार के लिये अब यह अनिवार्य हो गया कि वह इस सारी परिस्थिति का ज्ञान भारत सरकार को कराये। वैसे भी भारत सरकार के अधिकारियों ने इस बात को मान लिया है। उन्होंने भी दो तीन बार हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिये हैं कि राजस्थान सरकार के ड्यू शेयर हैं वे सही हैं। लेकिन हिमाचल सरकार नहीं मान रही है। एक एक पेड़ का कम्पेन्सेशन दो-दो सौ रुपया दिया गया। 1968 के स्थान पर 61 दिखाया। 68 में एक्वीजिशन ऑफिसर जाकर देखता है पांच-पांच बादाम के पेड़ लगा लिये थे और एक-एक बादाम के पेड़ का सौ-सौ रुपया दिया गया। कम्पेन्सेशन

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

का पांच-पांच हजार रुपया दिया गया। विस्थापितों का पुनर्वास किसी जगह अवश्य करना चाहिये। उसका मतलब यह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पोंग डेम के निर्माण के समय जमीन आने से पहले जिस आदमी की सारी सम्पत्ति कुल मिला कर दो हजार रुपया थी उसको कम्पेन्सेशन की भूमि देकर भी 10 हजार रुपये कर दें यह कभी वाजिब नहीं हो सकता है। वहां के मिनिस्टर, बड़े,बड़े अधिकारी वे सब उस जमीन में शामिल हैं और वे चाहते हैं कि बड़े-बड़े मुआवजे नकद के रूप में पेड़ और मकान के दें और राजस्थान अपने सीलिंग के कानून को वायलेट करके उसके मुताविक जमीन भी उन्हें दे। माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य में स्वीकार किया था कि जिसकी डूब में 22 वीघा जमीन आयी, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एरिया में 475 वीघा जमीन देनी पड़ी। यह कहां का न्याय और कैसा पुनर्वास ? कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कडाना वांध के बारे में अब तक कोई वात तय नहीं हुई है। न उनको कम्पेन्सेशन के रूप में जमीन देने की वात है और दूसरी तरफ कर्जे के भार से हम दवे हुए हैं, राजस्थान पर फिर इतनी वड़ी लायेविलिटी लाद देना हिमाचल प्रदेश द्वारा, और हमारा पक्ष न लेना अन्यायपूर्ण है। मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि ओवर ड्राफ्ट से लदे हुए राजस्थान पर, कर्जे से लदे हुए राजस्थान पर यह और बड़ा भारी भार होगा। हमें हमदर्दी है उनके साथ जिनकी जमीन डूब में आयी, हमारे ऑफिसर्स न्याय के साथ जांच करने के बाद जो कुछ भी वाजिब हक निकलता है वह करने के लिये तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार राजस्थान की बदनामी की जा रही है, मैं समझती हूं, माननीय मंत्री महोदय को बहुत साफ हिन्दुस्तान की सरकार के सामने अपने पक्ष को प्रस्तुत करना चाहिये और इस पक्ष को प्रस्तुत करने के लिये सब ही माननीय सदस्यों को चाहिये कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के हाथ मजबूत करें यह बात कहते हुए कि हमारे साथ गैर इन्साफ हुआ है। चाहे लॉ मिनिस्टर टेक अप करें, चाहे हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर कर दिया जाय और वह बैठ कर आर्बिटेशन करके फैसला करे। नहीं तो मैं समझती हूं, हमारी बदनामी तो है ही लेकिन जहां हमारी हिमाचल प्रदेश वदनामी करता है वहां आर्थिक तौर पर शोषण भी करना चाहता है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदया, व्यास प्रोजेक्ट के संबंध में और डूब में आने वाले आउस्टीज को वसाने के लिये जो कुछ कठिनाइयां प्रस्तुत हो रही हैं उसके संबंध में एक वयान माननीय मंत्री महोदय ने सदन में दिया। यह ठीक है कि पौंग डेम राजस्थान का नहीं भारतवर्ष का एक अंग है, और पौंग डेम के द्वारा ही विश्व की सबसे बड़ी नहर राजस्थान कैनाल होने वाली है, और पौंग डेम के कारण ही गंग कैनाल के लोग सोचते हैं सिंचाई में 550 फीट तक की वृद्धि हो जावेगी और भाखरा की डाइवर्सिटी भी 62 से बढ़ कर 80 होने जा रही है। पौंग डेम 1280 फीट तक निर्मित हो चुका है और 1420 फीट तक सन् 74 में निर्मित होना है।

इस निर्माण के बाद यह सारी कल्पना जो हम करके चलते हैं, गंग कैनाल और भाखरा में पानी की वृद्धि और राजस्थान कैनाल की सिंचाई में बहुत बड़े फर्क की आशा करके चल

Page No. 73

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रहे हैं लेकिन जो कठिनाइयां इस पौंग डेम के संबंध में आती चली जा रही हैं वे काफी गम्भीर हैं और विशेषकर वहां के आउस्टीज़ हैं उनको बसाने के संबंध में। इस पौंग डेम के निर्माण से 75268 एकड़ जमीन डूब में आवेगी और 36 हजार कल्चरेबल और बाकी वेस्ट लैंड और 36 हजार कल्चरेवल में से 13 हजार एकड़ लड इरिगेटेड होगी। उसकी एवज में 2.75 लाख धरती आउस्टीज को देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं 2 लाख 75 हजार से 2 लाख 20 हजार पर आये हैं वह भी काफी मुख्य मंत्रियों की बहस के बाद। 50 पर्सेन्ट आउस्टीज हैं।

स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए भाषण का आरम्भ भूतपूर्व मुख्य मंत्री पंजाब स्वर्गीय सरदार प्रतापसिंह कैरों के पत्र से करूंगा। स्वर्गीय प्रतापसिंहजी कैरों ने पं० जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा यह पत्र लिखा जिसको पं० जवाहरलाल नेहरू ने 11 जुलाई, 60 को मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाडिया को भेजा। "I enclose copy of the confidential letter which the Chief Minister of Punjab has sent to me." उस पत्र में 27 जून, 60 में स्वर्गीय प्रतापसिंह कैरों ने लिखा था।

"I am enclosing a plan showing the spread of reservoir at Pong Dam. The total area that will get submerged is about 58,000 acres out of which roughly half is unculturable.

The culturable area would appear from the enclosed map to be largely on the right bank of the river. According to the Project *Report, the valley that* gets drowned is thickly populated. That is the brief position about the land. Regarding the persons the rough estimates so far made show that 9400 families will get displaced. This is based on the 1951 Census figures. Since the actual displacement will occur round about 1969, the number of families will increase. Allowing for this increase and allowing also for roughly five persons per family, it appears that the extent of the human displacement will be of the order of about 70,000 souls."

27 जून 60 को यह कल्पना थी कि केवल 58 हजार एकड़ ही पौंग डैम में डूब में आवेगी।

सभापति महोदय, स्वर्गीय श्री प्रतापसिंह कैरों की कल्पना में भी 5 आदमियों की फेमिली थी और सन् 59 के के करीब 9400 फेमिलीज के डिस्प्लेसमेंट का सवाल था और 58 हजार एकड़ धरती डूब में आने का प्रश्न था लेकिन आज आपको आश्चर्य होगा कि इन फेमिलीज की संख्या बढते बढते 20,722 हो गयी है और यह संख्या इससे भी बढ़ती चली जारही है और इन फेमिलीज का स्प्लिट-अप देखें:

Between 1 to 2 acres: 5,500 families
Between 2 to 5 acres 4,002 families
Between 5 to 15 acres: 971 families
Between 15 to 30 acres: 201 families
Between 30 to 50 acres: 40 families
Above 50 acres ; 8 families

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति महोदया, इतना ही नहीं कि यह फेमिलीज की संख्या एस्टीमेटेड संख्या से कई गुना हो गयी इसके साथ ही साथ जमीन की कीमत भी बढ़ती ही चली गयी और जो जमीन की कीमतें बढी हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। सभापति महोदया, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश ने जो सर्वे किया है उसमें अलादीन के चिराग के जरिये इस जमीन के क्षेत्र का एक्सटेन्शन कर दिया है। जो पहले एस्टीमेंट था इस जमीन का जब कि हमने यह एस्टीमेंट लगाया था कि ब्यास प्रोजेक्ट पर हम 75 करोड़ रुपया खर्च करेंगे उस समय एस्टीमेंट केवल 6.71 करोड़ था लेकिन सन् 65 के अन्दर यह एस्टीमेंट 9 करोड़ हुआ और, सभापति महोदया, आपको ताज्जुब होगा कि एक साल के अन्दर ही यह एस्टीमेंट 31 करोड़ पहुंच गया याने एक साल के अन्दर जमीन की कीमत में इतना राइज हो गया कि 9 करोड़ से यह एस्टीमेंटस चन्द महीनों में ही 31 करोड़ हो गए और फिर महीने की प्रतीक्षा भी नहीं की और चन्द दिनों में ही यह एस्टीमेंटस 45 करोड़ हो गए और कुछ दिनों की भी प्रतीक्षा नहीं हुई और यह एस्टीमेंटस 65 करोड़ के हो गए और अब यह 80 करोड़ हो रहे हैं। अगर इन सारी चीजों का स्प्लिट-अप देखें कि जिस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश केलकुलेशन करते ही चले गये:—

Classification of land	Area to be acquired	Rate per acre according to Project Estimate
Irrigated land class I	3,252	3,000
Irrigated land	9,957	1,875
Land not irrigated yielding to crops	9,447	1,875
Land not irrigated yielding one crop	13,741	125
Land not irrigated	327	1,125
Cultuable waste land	1,277	1,125
Gazing ground	1,030	563
Land Banjar Qadim	16,108	563
Land Banjar Jadid	1,643	1,013

आप बताइये कहीं हिन्दुस्तान में या दुनियां में बंजर जमीन जो कि आदिमकाल से बंजर है और आदिमकाल तक बंजर रहेगी उसकी कीमत 1013। इस तरह से सारी जमीन की कास्ट किसी साइन्टिफिक बेसिस पर नहीं है, बढ़ती ही चली गयी है और आज राजस्थान सरकार को केवल इसका कम्पेन्सेशन का 80 करोड़ रुपया चुकाने का प्रश्न उपस्थित हो गया है।

सभापति महोदया, यह ठीक है कि आज जो जमीन डूबी है और जो लोग यह कहते हैं कि हमारे सेव के पेड़ और आम के पेड़ डूब जायेंगे जब कि डैम पूरा हो जायेगा। उनके साथ मानवीय हमदर्दी हो गयी है, और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वजह से उनको कुछ कठिनाइयां भी पैदा हुई, यह ब्यूरोक्रेसी का महत्व है। लेकिन जहां हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उनके लिये कठिनाइयां पैदा की हैं वहां हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उनको सहूलियतें भी दी हैं। यह दोनों पक्ष रहा है। कुछ साल पहले ऐसी घटनायें हुई है कि जो जमीन 8-10 साल से लोगों के कब्जे में थी वह उनको एलाॅट कर दी गयी। आपस में झगड़े हुए, आउस्टीज की ऐसी भी स्थिति है कि जब हम हर प्रकार की सहूलियतें देना चाहते हैं। 3 करोड़ रुपया हमने उनकी कॉलोनीज के लिए खर्च किये। 5 हजार हाउसेज बनाये। दूसरी सहूलियतें भी दी है स्कूलों की और जो सहूलियत हम राजस्थान में मांगते हैं मैं आपको बताऊ कि एलाटमेन्ट उस तहसील हैडक्वार्टर पर है जहां कि भूमिहीन किसान दरख्वास्तें देने वाले हैं वहां से बहुत दूर। उनकी सिक्योरिटीज वगैरह के लिए हम तलवाड़ा जाते हैं। हमारे अधिकारी तलवाड़ा जाते हैं और 500 मील का सफर करते हैं। हेवी रेकार्ड्स ले जाते हैं। उनकी वहां पर सिक्योरिटीज ली जाती हैं और गवर्नमेन्ट की वेहिकल के द्वारा उनको यहां लाते हैं। लेकिन सभापति महोदया, आप देखिये 5 हजार की कालोनी में कितनी दरख्वास्ते आई केवल 326 दरख्वास्तें आई और इसमें से केवल 33 आदमियो ने क्वार्टर्स लिए और वह भी, सभापति महोदया, मेरे निर्वाचन क्षे में मैंने देखा है कि वह 33 आदमी भी ताला लगाकर चले गये। और तो और इन 22 हजार आउस्टीज के सम्बन्ध में नवीन तथ्य सामने आये हैं। इन पुरुषार्थियों में आज एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो या तो बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ, पंजाब, गंगानगर या दिल्ली में रहते हैं और जिन्होंने आधा-आधा बिस्वा, किसी ने 15 मरले, किसी ने 14 मरले जमीन ले ली हम सोचते थे कि इनकी संख्या 2 हजार के करीब है लेकिन आज स्थिति यह है कि इनकी संख्या 10 हजार पहुंच गयी है, और सभापति महोदया, अगर मैं इसकी लिस्ट सदन में प्रस्तुत करूं तो आप देखिये कि सन् 59 के अन्दर यू०पी० से आकर जमीन ली है और जिन्होंने ली है उनके नाम हैं नरेन्द्र-जीतसिंह, वर्मेन्द्रसिंह और चन्द बिस्वा जमीन ली है। पंजाब से लोग आये उन्होंने ली है। एक कैनाल जमीन और एक बीघा का पांचवा हिस्सा और इसी प्रकार से पंजाब से लोगों ने जमीन ली। इनकी संख्या 10 हजार पहुंच गयी है। 22 हजार शरणार्थी हैं और 10 हजार यह लोग हैं। कोई पंजाब का ऐसा सिंचाई अधिकारी नहीं है, ब्यास प्रोजेक्ट का, कोई सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर नहीं है, कोई ओवरसियर नहीं है, मैं सदन में नाम नहीं लेना चाहता हूं कि जिन्होंने वहां पर जमीन न ली हो। बम्बई के सेठ, कलकत्ता के सेठ, नई दिल्ली के सेठ, आधा बिस्वा जमीन, आधा मरला जमीन आकर उस क्षेत्र में लेते हैं। कौनसी जमीन लेते हैं? सभापति महोदया, वह जमीन जो कि डूब जायेगी, जो कि डूबने वाली है और बहुत से लोगों ने तो ऐसा फ्रॉड किया है कि वह जमीन लेली है जो कि डूब गई है।

सभापति महोदया, यह एक लिस्ट है कम से कम दो हजार ऐसे लोगों की जिन्होंने आधा बिस्वा, पौन बिस्वा, एक एकड़ धरती वहां पर ली। उसमें हमारे गंगानगर के भी हैं, 32- बी.बी. के भी हैं, चालीस चालीस मुरब्बा तक जिसके पास हैं.......

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : कोई मिनिस्टर भी होंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इतनी बड़ी लिस्ट है इसमें कोई मिनिस्टर भी पहुंच गए हों तो क्या पता लगे । इसमें देहली के लोग हैं । यह 17-4-69 की लिस्ट है । इसमें यू०पी० के लोग भी पहुंचे हैं ....

श्रीमती सभापति : यह सूची तो मंत्री महोदय के पास भी होगी ही । आप कुछ तथ्य हों तो प्रस्तुत करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं इसको सदन की पटल पर रख रहा हूं ताकि सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी में आवे, जनता के सामने आवे और सरकार इस समस्या को हल करना चाहे तो वह भी कर सके ।

अन्त में, सभापति महोदया, मैं अर्ज करूं कि आज की तारीख के अन्दर चार सौ और कुछ पुरुषार्थी, आउस्टीज हैं जिन्होंने जमीनें ली हैं और उनको जमीनें एलाट की । उनकी स्थिति भी बड़ी अजीब है । मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि केवल 38 शरणार्थी पाये गये खरीफ के मौके पर और रबी के मौके पर 28 शरणार्थी पाये गये हैं । इन सारी जमीनों पर बनामी मौजूद हैं और बेनामी की लिस्ट भी, सभापति महोदया, मेरे पास है । इन बेनामियों ने कहीं 8 मुरब्बा दबा रखी है कोई दिलीपराम हैं उन्होंने और एक बेनामी हैं श्री तारासिंह इन्होंने 8 मुरब्बे दबा रखी है । एक बेनामी हैं वीरसिंह जीवणसिंह इन्होंने चार मुरब्बे दबा रखी है । कानाराम है, इन्होंने वहां पर करीब दो मुरब्बे दबा रखी है और इस प्रकर बेनामियों की लिस्ट चलती है । यह 439 की लिस्ट है इनमें से 90 पर्सेंट लोगों ने जमीन दबा रखी है ।

सभापति महोदया, इन्होंने मुख्त्यारनामे लिखकर दिए या इन जमीनों का बेचान कर दिया । यह सारी स्थिति उस क्षेत्र में है जमीनों के एलाटमन्ट की ।

अब मैं आपसे अर्ज करूं कि पिछले तीन चार वर्षों से क्या हो रहा है ? आउस्टीज का मसला हल नहीं हो रहा है ? उनका एलिजिबिलिटी का प्रश्न सामने है । हिमाचल प्रदेश सरकार यह चाहती है कि दस एकड़ से तीस एकड़ की जिसकी डूब में आई उसको टोटल कर दें और 25 एकड़ से ऊपर है उसकी अगर 50 पर्सेन्ट लैंड आई तो उसको एलीजिबल मान लें । सभापति महोदया, सीधी साधी बात है कि जितनी जमीन जिसकी गई उसकी वेल्यू की जमीन एलॉट होनी चाहिए । यह तो न्याय की बात है । जिसकी जमीन आधी बीघा डूब में आई उसको भी एक मुरब्बे का अधिकारी बना दिया, यह कौन सा न्याय है ? अगर वहां की जमीन और हमारी जमीन की तुलना करें तो 42 करोड़ का अन्तर रहता है । पिछले तीन साल से एक लाख से अधिक एकड़ धरती बेकार पड़ी रही है । 36 हजार एकड़ हमको दातारी से मिल जायगी, दातारी रिवर कनाल से लेकिन वह भी उन्हीं के लिए रिजर्व है । इसके अलावा जैतसर बांध की 31 हजार एकड़ जमीन है । भारत सरकार ने कहा है कि हम केवल 19 हजार एकड़ का जैतसर में फार्म रखेंगे । उसमें से 7 हजार एकड़ भूमि हमको प्राप्त होगी, वह भी सारी की सारी आउस्टीज के लिए रिजर्व की और आज वहां पर दस दस साल से काश्तकारों के पट्टों को रिन्यू नहीं कर रहे है । एक लाख एकड़ उनके लिए रिजर्व की कुल चार सौ आउस्टीज के लिए । पानी बहता रहा । उस धरती का यूटिलाईजेशन नहीं किया । पटवारियों से, अधिकारियों से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मिल कर बेनामियों ने कल्टीवेशन किया और उस पर लाखों मन अनाज उनको प्राप्त हुआ। मैं माननीय शोमारामजी जो उस समय कॉलोनाईजेशन मिनिस्टर थे उनसे विजयनगर के रेस्ट हाउस में मिला और शोमारामजी से अर्ज किया कि आप इस एक लाख एकड़ को जो कि आउस्टीज के लिए रिजर्व रखी थी उसको एलॉट क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि एलॉटमेंट कर दें। उन्होंने कॉलोनाईजेशन कमिश्नर को कहा। कॉलोनाईजेशन कमिश्नर ने कहा कि लिखित में दीजिए। शोमारामजी ने कहा कि लिखित में दे देंगे, आप एलॉट कर दीजिए। वह एक लाख एकड़ में से भी कुछ एलॉट हुई तो वह भी मौसम निकलने के बाद। नवम्बर-दिसम्बर में जाकर एलॉट की गई। आज तक आपने उनके पट्टे रिन्यू किए या नहीं किए। सभापति महोदया, 42 करोड की यह धरती थी जिस पर कल्टीवेशन नहीं होने से 28 लाख रुपये का इर्रीगेशन का सरकार को घाटा हुआ है और अगर इसको समय पर कल्टीवेट करते तो कम से कम 20 करोड़ की क्रॉप होती जिसका भी घाटा हुआ है। इस सारे घाटे को अगर मिला कर देखें तो 62 करोड़ का सारा का सारा घाटा आगे चला जाता है।

सभापति महोदय, अब एलीजिबिलिटी के प्रश्न को ले लीजिए। अब एलीजिबिलिटी उसकी है जिसकी जमीन डूब में आई है। वह हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। हमारे किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए कानून में प्रोवीजन किया है कि दस पर्सेंट दे रहे हैं। इस कानून में टेम्प्रेरी, परमानेंट एलॉटमेन्ट के लिए कानून बनाया है, उसके पहले जिनका परमानेंट एलॉटमेंट हो जायगा उनसे आप 15 पर्सेंट लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो आउस्टीज हैं उनके लिए 20 पर्सेंट का रखा है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह बात और कही कि यह सारी की सारी जमीन हमको हैंडओवर कर दीजिए, तो आखिर वह किस कानून के तहत हैंडओवर कराना चाहते हैं कौन सा विधान है जिसके जरिए ट्रांसफर चाहते हैं। आखिर आउस्टीज के लिए रूल्स बनेंगे, इनके लिए रेगुलेशन बनने हैं और फिर यह रुल्स और रेगुलेशन इस सदन की मेज पर सबऑर्डीनेट लेजिस्लेशन के द्वारा रखे जायेंगे। यह बात तो वैसे ही हुई कि हमने फौजियों के लिए जमीन रिजर्व की गेलेन्ट्री अवार्ड वालों के लिए रिजर्व की जो वूण्डेड सोल्जर्स हैं उनके लिए आपने लैंड रिजर्व कर दी और उसके लिए डिफेंस मिनिस्टरी कहे कि यह सारी की सारी जमीन हमको हैंडओवर कर दो और उनका कोई कर्नल या आर्मी का कोई जनरल आकर उनको एलॉट करे यह तो उसी प्रकार की स्थिति होगी। एक एलीजिबिलिटी के अन्दर भी स्पष्ट बात है कि किसी भी जांच के लिए तैयार नहीं है सभापति महोदया, हमारे चीफ मिनिस्ट्रर्स की मीटिंग हुई, सेक्रेट्रीज की मीटिंग हुई और उसके बाद अहूजा कमेटी बनी। हमारे अधिकारियों ने उनका रिकार्ड देखना चाहा। चीफ मिनिस्टर्स ने तय किया कि सारा का सारा रिकार्ड जो कि वहां का है चैक-अप कराया जाय। उन्होंने कहा कि रिकार्ड प्लेस नहीं करते। आपका कॉलोनाईजेशन कमिश्नर वहां आकर देख ले। हिमाचल प्रदेश में आपका कॉलोनाईजेशन कमिश्नर बैठा रहा। उसने पूरा रिकार्ड सर्वे नहीं किया और जो रिकार्ड सर्वे नहीं किया उसमें पूरा फ्राड था, सभापति महोदया,

Page No. 78

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं आपके सामने रखूं कि किस प्रकार का रिकार्ड उन्होंने पेश किया है उसके नमूने आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। डिक्लेयर्ड फैमिली 4, खाते की फैमिली 3 और फैमिलीज कुल 327। खाते के अन्दर 338 फैमिलीज। यह देखिए कुल 565 फैमिलीज हैं। इसी तरह से 380 और 78 फैमिलीज हैं। अब किस फैमिली को सही मानें। फैमिली के हरएक मेम्बर को सेपरेट आइडेंटी मानिए। आपके जो आर० सी० पी० के चैयरमैन भीमसिंहजी साहब थे जो स्वयं एक जागीरदार हैं, उन्होंने जमीनों के एलॉटमेंट में बड़ी दातारी दिखाई राजस्थान सरकार की ओर से। जब एक जागीरदार को, एक इजारेदार को एक एक को अलग अलग मान कर जमीन दे डाली जिनकी आधा बिस्वा, एक बिस्वा, पौन बिस्वा जमीन थी उनको भी पूरी पूरी जमीन दे डाली। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इसी प्रकार की स्थिति और खातों की भी है।

अब सभापति महोदया, मैं तीन प्रश्न उपस्थित करूंगा। एक तो आज जब हम 18 एकड़ पर सीलिंग करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि 18 एकड़ से अधिक जमीन किसी को भी नहीं दी जाय। दूसरा यह कि जो सारे के सारे घोटाले हुए हैं यह फैमिलीज के नम्बर बढ़ाने के अन्दर इसकी जांच की जाय। इसके साथ साथ यह जो कीमत है इसकी रेट्स को बढ़ाने के अन्दर वास्तविकता यह है

(समय–समाप्ति– सूचक घंटी)

हिमाचल प्रदेश में ऑर्डर देकर जमीन की रेट बढ़वाई गई। इसके अन्दर कण्टीन्युअस फ्रॉड चलता है। सारी की सारी जमीनों की रेट के संबंध में और इसके साथ ही साथ कलकत्ता से, बम्बई से, पंजाब से, इर्रीगेशन के अधिकारियों की तरफ से, भारत सरकार के अधिकारियों की तरफ से, सारे के सारे लोगों ने मिल कर बड़े 2 अधिकारियों ने मिल कर आधा आधा बिस्वा जमीन लेकर एक एक मुरब्बे के राइट क्रियेट किए हैं। और मैं आपसे अर्ज कर दूं वह यह सारे के सारे अभी तक (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) हमारे इरिगेशन अधिकारियों से मिले, व्यास के इरिगेशन के अधिकारियों से मिलें, भगत से मिलें हैं, और हमारे यहां लैण्डलॉर्ड्स ने हिमाचल प्रदेश के लैण्डलार्ड्स के साथ कनाइवेन्स करके सारे के सारे अभी तक यह किया गया है। मैं समझता हूं कि इसकी जांच सी० आई० डी० से कराई जाए। यह बहुत फेयरट केस है। इसका सारे के सारे का सी० आई० बी० से इसका इन्वेस्टीगेशन कराया जाय और वह इसके संबंध में रिपोर्ट करें।

अन्त में यह अर्ज करना चाहूंगा कि मैं एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि हमारी एस्टीमेट्स कमेटी आज तक वहां पर क्यों नहीं गई? हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी वहां पर क्यों नहीं गई, और उसके जवाब में यह माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि व्यास पर व्यास बोर्ड का कन्ट्रोल है इसलिए नहीं जा सकते। मैंने यह अर्ज किया था कि जहां पर राजस्थान सरकार का एक पैसा भी लगता है वहां पर हमारी पब्लिक एकाउन्टस कमेटी जा सकती है, वहां पर हमारी एस्टीमेट्स कमेटी जा सकती है और उसको एक्जामिन कर सकती हैं, और कॉलोनाइजेशन कमिश्नर ने भी यही बात लिखी है सरकार को बार बार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

"It is also suggested that the Public Accounts Committee may be requested to go to Tilwara and look into the Beas accounts."

मैं आज फिर अर्ज करूंगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी व्यास डेम के कन्स्ट्रक्शन के संबंध में, चाहे वह आउस्टीज के संबंध में हो हमेशा कम्प्लेसेन्सी बरती गई है। इस संबंध में बिल्कुल लिबरल एटीट्यूड रखा गया है, जिसको समाप्त कर उस पर पूरी तरह से डिसकशन किया जाय और सारे के सारे मामले को सी० आई० बी० को रेफर करने की आवश्यकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : समापति महोदय,

श्रीमती सभानेत्री : काफी ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मैं दो मिनिट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

माननीय समापति महोदया, इस प्रश्न के ऊपर जब हिमाचल की विधान सभा में, लोकसमा में और राज्य समा में चर्चा हुई थी और जो माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया और जिस प्रकार से संसद सदस्यों ने इस प्रश्न को लिया उससे लगता है कि राजस्थान सरकार इस संबंध में भयंकर गलती है। यह समाचार पत्रों की ही बात नहीं है मुझे राज्य समा के सदस्यों से व्यक्तिगत इस प्रकार की जानकारी मिली है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपया इस डैम पर लगाया है, और इस प्रकार की स्थिति है कि यहां पर विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए राजस्थान सरकार ने लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करके उनके लिए काफी राहत कर रखी है, और करोड़ों रुपया खर्च किया है पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए, मकान बनवाकर देने के लिए, सब के लिए व्यवस्था की है, फिर भी समझ में नहीं आता है कि आप दबे क्यों रहते हैं? माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें माननीय मंत्रीजी ने यह भी कहा है कि इस प्रश्न पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और ठीक ढंग का वातावरण पैदा करेंगे। मैं आपके मारफत इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के लिए अपनी पार्टी के व अन्य संसद सदस्यों को सब को जानकारी दें। मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय केदारजी का जिन्होंने ध्यानकार्षण प्रस्ताव पेश करके सब सदस्यों को सारी बातों की जानकारी दिलाई। क्या करते हैं हमारे जन-सम्पर्क अधिकारी, क्या करती है हमारी सरकार? संसद सदस्यों को इस सारे प्रश्न की जानकारी नहीं दी जाती है, और वे चिट्ठी लिखते हैं तो राजस्थान सरकार उनकी चिट्ठियों का जवाब देने में भी अपनी तौहीन मानकर चलती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस डैम पर लगभग हमारा 60 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और 11 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष में इस डैम पर रखा है और विस्थापितों को बसाने के लिए जमीनें सुरक्षित रख छोड़ी हैं और करोड़ों रुपयों की व्यवस्था कर चुके हैं जिस प्रकार से माननीय मंत्रीजी ने आज इस सदन में जानकारी दी है और जिस प्रकार के फेक्टस प्रस्तुत किये हैं, अगर वे देश के संसद सदस्यों के सामने रखे जाते तो चन्द्रशेखर संसद सदस्यों को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि राजस्थान सरकार का इस प्रकार से रोकना एक अमानवीय व्यवहार है। सबों ने आरोप लगायें हैं। हिमाचल

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

प्रदेश का एक भी सदस्य नहीं बोला और दूसरे जो भी सदस्य बोले हैं उन्होंने राजस्थान सरकार पर आक्षेप किया है, और वस्तु स्थिति यह है कि जो माननीय मंत्रीजी ने रखी है कि हिमाचल सरकार के अधिकारियों ने मुआवजा तय करने के लिये जो लिस्ट दी है वह लिस्ट जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया 27 हजार की दी है। संसद के अंदर उन्होंने करीब 20 हजार परिवार बताये जिनके बारे में मुआवजा तय करना है। माननीय मंत्रीजी ने यह बताया कि 449 के करीब 449 आउस्टीज को पुनर्स्थापित किया है और उन्होंने बताया कि 588 परिवार वहां पर पुनर्स्थापित कर दिये गये हैं तो क्या सोचें कि किस प्रकार के तथ्य हैं? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिन पर राजस्थान का भाग्य निर्भर करता है, जैसे कि मैं निवेदन करूं कि 400 करोड़ रुपया राजस्थान नहर परियोजना पर लग जायेंगे कम्प्लीट होते हुए . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सारे के सारे घोटाले हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको हाउसेज पर ताले लगे हुए दिखा सकता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक लाख के लिये यहां पर प्रश्न रखते हैं दूसरी तरफ हमारे रुपयों से जिलाधीश कार्यालय के लिये एयर कन्डीशन्ड बिल्डिंग बने। 58 पर्सेन्ट खर्च करके भी हम नियन्त्रण नहीं कर सकें? जो एविक्शन का काम है वह हिमाचल प्रदेश के अधिकारी वह सब कुछ काम करें, और जो पोंग डैम से और व्यास डैम से राजस्थान को लाभ होने वाला है तो वह राजस्थान को ही अकेले को नहीं होने वाला है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को भी उससे लाभ होने वाला है। जिन लोगों की जमीनें डूब में आई हैं उनको जमीनें दी जानी चाहिए, उसके बारे में किसी की का कोई विवाद नहीं है। लेकिन 6 हजार से बढ़ते हुए वे इस सीमा तक बढ़ जांय और किस हिसाब से बढ़े उसके बारे में कुछ न किया जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आज सदन में वक्तव्य दिया गया है, वह हमारी सरकारी मशीनरी की दीनता प्रकट करता है। आज तलवार से कुछ बात होने वाली नहीं है। आज तो जो बात होने वाली है वह प्रचार के द्वारा होने वाली है, वह इन तथ्यों के द्वारा होने वाली है जिनकी आज देश के संसद सदस्यों को आज तक जानकारी नहीं हुई है। राजस्थान का पक्ष उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्थान के सदस्यों को भी इस की जानकारी नहीं दी गई है तो मैं नहीं समझ पाता कि हम राजस्थान का पक्ष वहां पर कैसे प्रस्तुत करते होंगे? हम मांग करते रहे हैं कि राजस्थान नहर परियोजना को एक राष्ट्रीय योजना माना जाय अगर हम पोंगडैम बनाना चाहते हैं, अगर राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, राजस्थान को तेजी से आगे बढाना चाहते हैं और यहां पर रेगिस्तान के रूप में जो लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसको ठीक करके हम यदि देश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस योजना को एक राष्ट्रीय परियोजना माना जाना चाहिए। इसके बारे में पूरा दबाव डाला जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि नागार्जुन सागर योजना को राष्ट्रीय योजना मान लिया। हमारा प्रयास इस प्रकार का नहीं हुआ जिससे यह योजना राष्ट्रीय महत्व की योजना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मान ली जाय। मुझे यहां तक देखने का अवसर मिला है कि हमारे अधिकारी पंजाब के के अधिकारियों से बहुत ज्यादा दबे हुए रहते हैं। उनके सामने बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। वह लोग बुरी तरह से उन पर हावी हो जाते हैं। आज भी 58 पर्सेन्ट खर्चा करके उसके बाद भी हम किसी प्रकार की देखरेख नहीं कर सकते हैं, न एक पैसे का एकाउन्ट मांग सकते हैं। क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कह सकते हैं। जितनी जमीन चाहें आप दें और न दें तो वह आपका काम बन्द कर देते हैं। आखिर यह सारी बातें कब तक चलेंगी? जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया भारत सरकार के विधि मंत्रालय की रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में है। जब विधि मंत्रालय की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है तो फिर किस बात के लिए मंत्री मण्डलीय सचिव की नियुक्ति हुई है? इस मामले में जो इसकी रिपोर्ट देगा उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि उनका रुख आपके पक्ष में हो जाय और पक्ष में होने के बाद में जब तक सरकार इस बात के लिए मजबूती से कदम नहीं उठायेगी, मजबूत दिल से वातावरण पैदा नहीं करेगी तो निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आज तक बातचीत रही है और आज तक गिरी है और दूसरे प्रदेशों के अन्दर हमारी स्थिति का ऐसा वातावरण नहीं हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी ढिलमिल नीति के कारण पौंग बान्ध में उन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़े। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा तो दिल्ली के अन्दर जो हमारे अधिकारी हैं, उनको सक्रिय करके, हमारी सरकार सक्रिय हो। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, उसकी जानकारी प्रत्येक संसद सदस्य को दी जाये। संसद सदस्य और जो जनता के नुमाइन्दे हैं, उनकी भी प्रत्येक चिट्ठी का जवाब दिया जाना चहिए। उनको समय समय पर जानकारी मिलती रहनी चाहिए। ताकि वह समय समय पर बोलें, और राजस्थान का पक्ष प्रस्तुत करें। संसद में हमारे प्रतिनिधि राजस्थान का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करें। जो कुछ हो चुका है, वह हो चुका है। अब केवल 11 करोड़ रुपया उनको दिया जायेगा। हमारे यहां का यह प्रॉविजन रहना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री: श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर): सभापति महोदया, जब यह डैम बनाया जाने वाला था तो सरदार प्रतापसिंह कैरों उस समय में चीफ मिनिस्टर थे। 27 जून, 1960 को उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि 9,400 परिवार आने वाले हैं। ये परिवार इफेक्ट होने वाले हैं। यह डैम जिस स्थान पर बनाया जाने वाला था, जो जिला कांगड़ा में बन रहा है, पहले वह क्षेत्र पंजाब में था। अब वह हिमाचल प्रदेश में है। तो पहले जो मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने लिखा था कि उनको राजस्थान में जमीन मिलनी चाहिए। क्योंकि ये उजाड़े जा रहे हैं। वह जमीन 75,250 एकड़ है। 36 हजार एकड़ काबिल काश्त हैं। 13 हजार एकड़ में मामूली सिंचाई के साधन हैं। बाकी जो जमीन है, वह काश्त के काबिल नहीं है। उस वक्त परिवार 9,400 थे। कीमत की मांग 6 करोड़ 78 लाख रुपया थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में चला गया। हिमाचल प्रदेश की

Page No. 82

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

सरकार ने मांग की कि यहां हमारी जमीन की कीमत ज्यादा है। तो उन्होंने और अधिक की मांग कर दी। तो पहले जो 6 करोड़ 78 लाख था वह अब 45 करोड़ 60 लाख हो गया है। अब 65 करोड़ तक बढ़ गया है। जहां हमने 65 करोड़ का हिस्सा दिया, वहां हमारे राजस्थान के कैनाल क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, अगर उसमें आबादी के हिसाब से देखें तो कल्चरेबिल लैण्ड है, वह 1936 स्वायर यार्ड्स है जो कि पर पर्सन 0.4 एकड़ आती है। अगर सारी जमीन ले लें तो पर पर्सन 0.84 एकड़ आती है। यह जो आप दे रहे हैं, वह दे दी जाये तो हम 1,600 रुपया पर हैड दे रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। हम तो देखते हैं कि हमारी सरकार हमारे केस को अच्छी तरह से पेश नहीं कर सकती है। उनको यह कहा गया है। 9,400 परिवारों को उन्होंने 20,000 परिवार बना दिया है। जब उनको यह कहते हैं कि उनके खाते हमें दिये जायें। वहां चूंकि जमाबन्दी सिस्टम है उससे भी पता चलता है कि कितने परिवार हैं। तो वह सरकार हम को को जमाबन्दी देने को तैयार नहीं है। हमारी सरकार ने कह दिया तो क्या हाई कोर्ट से फैसला कर दिया? मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसका फैसला हम करेंगे। किसी कोर्ट से नहीं चाहिए। यह भी कहा है कि जमीन हमारे क्षेत्र में आनी चाहिए। उन्होंने उसको नहीं माना है। उनके लिए उस क्षेत्र में 5,000 मकान बनाये हैं। 226 मकान मुश्किल से एलॉट करा सके हैं। 226 में से भी 33 मकानों पर कब्जा कर सकें हैं। वहां पर हमने हॉस्पिटल बनाये हैं। वहां और भी कई काम किये हैं ताकि वह लोग आयें तो परेशान न हों। लेकिन वह आना नहीं चाहते हैं। जब हमारी सरकार ने कहा कि आप को यहां आना चाहिए तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा कि उनका कारोबार ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि वह वहां के कारोबारी लोग हैं। उनको बड़ी बड़ी जमीन आ गई है। एक आदमी रघुनाथ सिंह है, 1 2 बिस्वा जमीन अपने बेटों के नाम करा ली, तो 60 बीघा क्या मुरब्बा रघुनाथ सिंह की हो गई है। इस तरह से वहां चल रहा है। वहां 10 हजार केसेज ऐसे हैं, जिनको के पास 4-5 बीस्वा जमीन है। वह 1 लाख 60 हजार एकड़ पर काबिज होंगे। कितने अफसोस की बात है। ऐसे भी केसेज हैं, वहां 39 आदमी हैं। उनकी 22 बीघा जमीन है। उनको 75 बीघा जमीन मिल गई। ऐसे केसेज भी हमने देखे हैं। वहां जो हदवस्ता रिकार्ड होता है पटवारी का होता है, 1294 में। उस जमीन की कीमत 12 हजार रुपया तय की गई। बढ़ते बढ़ते वह जमीन 48 हजार रुपये की हो गई है। जो दो हजार वाली जमीन है, वह आज 48 हजार रुपये की हो गई है। इस तरह से केलकुलेशन किया है। न तो कोई जमाबन्दी दिलवाने को तैयार है, न हाई कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार है, न पुराना रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, न यह बताना चाहते हैं कि जमीन किस को मिली है और वह किसी के पास है। जमीन के लिए अपने तौर पर फैमिलीज बना कर भेजते हैं। पिछले दिनों एक रिकॉर्ड भेजा, वह रिकार्ड एक गांव का भेजा, घमरूर नाम का, उसका रिकॉर्ड चैक किया, तो सात आदमी ऐसे मिले जो उस जगह हैं ही नहीं। रेरी गांव था, उसका रिकार्ड देखने से पता लगा, पच्चीस फमिली के ऐसे नाम लिखे हुए हैं जो किसी रिकॉर्ड में नहीं आते। अब तो यहां तक कहा गया है, जमीन होना जरूरी नहीं है, जो लोग उस क्षेत्र में

Page No. 83

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

बसते थे, बेशक लुहार हों, बढई हों, दर्जी हों, चमार हों–जो लैंड पर काम नहीं करते थे उनको हम फेमिली मानेंगे और उनको जमीन देनी पड़ेगी । इसका मतलब यह है, जिसको चाहें, फैमिली बना कर भेज दें । आज हो क्या रहा है, राजस्थान कैनाल में । पिछले वर्ष में कुछ लोगों को भूमि एलॉट की गई, वह भूमि इस शर्त पर एलॉट की गई, पौंग डैम वाले किसान छः महीने बाद राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आयेंगे तो उन्हें भूमि छोड़नी पड़ेगी । इसमें भी करप्शन चल रहा है, तहसीलदार आज उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनको जमीन एलॉट नहीं हो रही है । इस तरह से जो जमीन के हकदार हैं उनको परेशानी हो रही है । इससे नुकसान कितना हुआ है, जो जमीन दी है वह सत्रह हजार रुपये पर सिंचित दी है, लेकिन राजस्थान के लोग हैं, उनके ऊपर सत्रह हजार के साथ में इन्ट्रेस्ट लगाया है, जबकि उनके ऊपर ब्याज नहीं लगाया है, और उनको आने का खर्चा देंगे, किराया देंगे । इस तरह जो उनको देना पड़ेगा, उसमें मार्केट वेल्यू और कीमत में फर्क है 48.20 करोड़ का, यह खर्चा पड़ेगा, इसके अलावा जो उनको बसाने के लिए मकान, स्कूल, अस्पताल और टैंक्स बनाये हैं उन पर तीन करोड़ रुपया खर्च किया है। इसके अलावा 26 लाख रुपये का जमीन पर कब्जा न करने के कारण लैंड रेवेन्यू में फर्क पड़ रहा है। तो 26 लाख का डिपार्टमेन्ट को रेवेन्यू में फर्क पड़ रहा है, और जमीन पर काश्त करें उसका अनुमान लगाया जाय तो 20 करोड़ रुपये की क्रॉप पैदा करें–यह बीस करोड़ रुपये का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि उस पर क्रॉप पैदा नहीं हो रही है । तो मैं यह अर्ज करूंगा, अपनी सरकार से कहूंगा कि पोंग डैम का मसला बहुत चिन्ता का विषय है । हम गंगानगर के रहने वाले लोग महसूस करते हैं, भूमिहीनों को जमीन ठीक से नहीं, मिल रही है, भूमिहीन जमीन से वंचित हैं, उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा रहा है, इसलिए 2 लाख 20 हजार एकड़ जमीन दे देना उचित नहीं कहा जा सकता, इस तरह से उनको 2 लाख 20 हजार एकड़ जमीन नहीं मिलनी चाहिए । सरकार को इसके लिए फाइट करना चाहिए, हर स्तर पर फाइट करना चाहिए । हम चाहते हैं, जो सरकार ने वायदा किया है, वह उसे पूरा करे, सेन्टर गवर्नमेंट को मजबूर करे, इस वायदे को पूरा करने के लिए । हम सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं । हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको इस पॉइन्ट को लेकर फाइट करनी चाहिए क्योंकि वह 2 लाख 20 हजार एकड़ जमीन पाने के हकदार नहीं हैं । जो भूमि उनको देनी है, वह दें और उनको चाहिए कि वह उस पर आबाद हो जायें ताकि जमीन पर प्रोडक्शन हो । जमीन पर प्रोडक्शन होने लग जायगा और जो मकान बनाये हैं वह गिर रहे हैं, वह भी नहीं गिरेंगे क्योंकि वहां पोपूलेशन हो जायगी उस क्षेत्र में । इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

श्रीमती सभानेत्री: श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदया, पोंग डैम का हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब का एग्रीमेंट हुआ है, 1966 में इस सम्बन्ध में एग्रीमेंट हुआ था । आज हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार द्वारा राजस्थान पर दबाव डाल कर करोड़ों रुपये का सरकार को नुकसान पहुंचा रही

(श्री नाथूराम)

है, अगर राजस्थान सरकार ने जिस वक्त एग्रीमेंट किया उस समय सही तथ्यों को सामने रख कर एग्रीमेंट किया होता तो नुकसान नहीं होता। लेकिन सही तथ्यों को सामने रख कर एग्रीमेंट नहीं किया है। किसी भी स्टेट से बांध के बारे में एग्रीमेंट होता है तो प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बसाने के लिए, उनको मुआवजा वगैरह देने के लिए बराबर शर्त उसमें रखी जाती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी गलती रही है कि पौंग डैम के विस्थापितों के लिए लाखों एकड़ जमीन रिजर्व रखी, कई तरह के उनको बसाने के लिए साधन जुटाये हैं, फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को दबा रही है। इसमें हमारी सरकार की शुरू से ही गलती रही है, सरकार इस तरह से कमजोर रही है और सरकार सही ढंग से जो तथ्य हैं, स्थिति है उसको भारत सरकार के सामने नहीं रख रही है। हमारी सरकार ने शुरू से ही गलती की है। एक तरफ राजस्थान में प्राकृतिक स्थिति को देखते हैं तो चारों तरफ रेगिस्तान है, दक्षिण में पहाड़ी इलाका है, पूर्व में पठार हैं। राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति विचित्र है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षेत्र हैं जिसमें हजारों भूमिहीन लोग हैं, जिनको भूमि नहीं दे पाये हैं। लेकिन सरकार शुरू से ही गलती करती आ रही है। इस तरह से, समानेत्रीजी, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा, पौंग डैम के विस्थापित पंजाबियों को सरकार बसाने के लिए व्यवस्था कर रही है, जिस तरह से वह मांग कर रहे हैं उस तरह की व्यवस्था करती जा रही है। इसमें सरकार की तरफ से गलती रही है। कडाना बांध के बारे में गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच सन् 1966 में एग्रीमेंट हुआ था, वह ऐसा हुआ है कि बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी एग्रीमेंट करें, लिखावट करें तो ऐसी गलती नहीं करते। समय नहीं है वर्ना मैं एग्रीमेंट पढ़ कर सुनाता। मार्च, 1966 में एग्रीमेंट, जब के० एल० राव, सिंचाई मन्त्री के समक्ष गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में हुआ, उसमें न तारीख है, न शर्त है। कडाना बांध के बारे में मार्च, 1966 में एग्रीमेंट हुआ, 26 मार्च, 68 को मैंने एक प्रश्न द्वारा सारी जानकारी ली और इस हाउस में 1968 से लगातार आज तक इस विषय को उठाया जा रहा है केन्द्र की सरकार के सामने, राजस्थान सरकार के सामने। इस हाउस में कई बार चर्चा हुई, हाउस के तमाम माननीय सदस्यों ने एकमत होकर अपने अपने सुझाव दिये और सरकार को बताया कि कडाना बांध से डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको बसाने के लिए व्यवस्था की जाय, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने 1950 में डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र को अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र घोषित किया था, संविधान में भी प्रावधान है, इस आदिवासी क्षेत्र में केन्द्र अथवा प्रान्त के कानून द्वारा लोगों का अहित हो, तो उसमें भी संशोधन हो सकता है। लकिन यह जो एग्रीमेन्ट हुआ है उस पर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, सरकार सोच नहीं रही है, सरकार बिल्कुल चुपचाप सोई हुई है। मैं इसे एग्रीमेन्ट नहीं मानता हूं, अन्य माननीय सदस्यों ने भी नहीं माना है। यह एग्रीमेन्ट सही ढंग से होता, जो लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको बसाने के लिए इसमें शर्त होती, मुआवजा दिलाने की शर्त होती, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है। अनपढ़

(श्री नाथूराम)

आदमी भी लिखावट करता है तो इस तरह की गलती नहीं करता । मैं इसको एग्रीमेन्ट नहीं मानता हूं । मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि कडाना बांध से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको बसाने के लिए गुजरात सरकार से भूमि लेनी चाहिए, उनसे हर तरह का मुआवजा लेना चाहिए । लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । गुजरात सरकार ने सर्वे कराई, और राजस्थान सरकार ने भी सर्वे कराई, उनमें आंकड़ों में फर्क है, आज हजारों एकड़ जमीन रोक रहे हैं, हजारों की जनसंख्या प्रभावित हो रही है । उस क्षेत्र में डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र में, करोड़ों रुपयों का विकास कार्य हुआ है, वह प्रभावित हो रहा है । गुजरात सरकार राजस्थान सरकार की बात नहीं मानती है । राजस्थान सरकार ने सर्वे पर दस पन्द्रह लाख रुपया खर्च किया लेकिन गुजरात सरकार ने खर्चा नहीं दिया । हमारी सरकार नींद में सोई हुई है । मैं निवेदन करता हूं, बिना विचार रखे हुए आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश आपको दबा कर मुआवजे का करोड़ों रुपया ले रही है, आपको भी चाहिए कि भारत सरकार से पैरवी करके गुजरात सरकार से, जो सर्वे पर खर्च हुआ वह लेना चाहिए और लाखों की तादाद में करोड़ों की सम्पत्ति, करोडों की भूमि, वन सम्पदा और विकास के कार्यों में खर्च हुआ है ।

तमाम जो करोड़ों रुपए की सम्पत्ति डूब रही है उसका गुजरात सरकार से मुआवजा लेना चाहिए । 419 फीट से 410 की मांग की । 410 की सर्वे की गई लेकिन सरकार ने एग्रीमेन्ट का संशोधन नहीं कराया । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पोंग डैम के बारे में मत डरो और कडाना डैम के बारे में सुस्ती मत करो । आप भारत सरकार को सही स्थिति बताकर गुजरात सरकार से हर प्रकार का मुआवजा मांगो । आपने एग्रीमेन्ट में सही चीज नहीं बताई । भूमि रिजर्व रखो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राजस्थान कैनाल में जमीन रिजर्व रख ली आपने क्या किया ? आपने कुछ नहीं किया इसलिए आपकी जो गलती है, उसको सुधारो । आप यह नहीं समझो कि लोग डर के मारे चले जायेंगे । अगर आपकी सुस्ती रही तो डूंगरपुर-बांसवाड़ा के लोग आखिर में आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकायेंगे, उस समय आपकी कमजोरी नजर आएगी । इसलिए कडाना क्षेत्र के परिवारों, आदिवासिय क्षेत्रों को बचाना चाहिए, भारत सरकार से पैरवी करनी चाहिए । कडाना बांध पहले 431 फीट होना था फिर धीरे धीरे 419 फीट कर दिया । राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया था कि 410 फीट रहेगा लेकिन गुजरात सरकार ने नहीं माना, भारत सरकार से जोर देकर नहीं कह सकते, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पोंग डैम या हो कडाना डैम हो लेकिन एग्रीमेन्ट के समय गल्ती क्यों करते हैं ? सही एग्रीमेन्ट करें । सारे तथ्यों को बराबर रखते तो करोड़ों का नुकसान नहीं होता । आज कडाना बांध से, हमारे वही आदिवासी लोग जिनके बाप दादों ने खून पसीना एक करके जिस पहाड़ी इलाके की भूमि को सुधारा है, सोना उगलने वाली भूमि बनाया है, वह आपकी कमजोरी से गुजरात सरकार डुबो रही है । हम नहीं चाहते कि गुजरात में खुशहाली न हो लेकिन एक तरफ खुशहाली हो और दूसरी तरफ बरबादी हो, यह मैं सरकार की कमजोरी मानूंगा । गुजरात सरकार ने विश्व बैंक से कर्जा लिया और तीव्र गति से काम चल रहा है और तीन साल में पानी रोकेंगे ।

(श्री नाथूराम)

गुजरात सरकार के जो गांव प्रभावित हो रहे हैं उनको हर तरह से मुआवजा दे दिया है और हमारी सरकार बिल्कुल नींद में सो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गुजरात सरकार ने कडाना बांध के लोगों का मुआवजा दे दिया, बसाने की व्यवस्था कर दी और इस साल जो मेन डैम पर काम चल रहा है वहीं पानी रोकेंगे। वहां के लोगों को उठा रहे हैं। कई वर्षों से इस सदन में मांग चल रही है, वाद-विवाद चलता रहता है और माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से आपको सही सुझाव दिये कि भारत सरकार के द्वारा कोशिश करें लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज गुजरात सरकार ने कडाना बाध की नींव ऐसी की है कि 470 फीट के ऊपर ले जा रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और आपका एग्रीमेंट हुआ है कडाना और माही डैम का। उसमें बजाज सागर डैम में बिजली का प्रावधान था, राज्य सरकार ने हटा दिया। जो एग्रीमेंट हुआ था माही डैम और बजाज सागर के लिए, उसमें बिजली के प्रावधान को सरकार ने हटा दिया और गुजरात सरकार बिजली को पैदा करने के लिए डैम को ऊंचा कर रही है और तीन सालों में पानी रोकेंगे हम देखते रह जायेंगे, हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी। दो तीन साल में जब बांध पूर्ण हो जाएगा, उसमें जो बैक-वाटर होगा उससे लोगों के आने जाने के रास्ते रुकेंगे, लोग अपने गांवों और खेतों में जाने से रुकेंगे, हमारा नुकसान होगा। सरकार ने एग्रीमेंट में कुछ नहीं किया, सरकार ने शुरू से ही गलती की है। इसलिए आप उस एग्रीमेंट को सुधारें, नहीं तो आपको लोग कभी पैर नहीं धरने देंगे, मजबूर करेंगे। आप ऐसी कमजोरी मत रखो। गुजरात जिस तरह से हिमाचल प्रदेश आपको दबा रहा है, दूसरी तरफ गुजरात दबा रही है, तीसरी तरफ हजारों लोगों को भूमि-हीन बनाना चाहते हैं। आप कानून बनाते हैं तो पालन नहीं करते ह और एग्रीमेंट करते हैं तो सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो कडाना बांध से हजारों एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है, लाखो की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए है। कई धार्मिक स्थान जैसे गलियाकोट व दाऊदी वोहरा संभाग की प्रसिद्ध दरगाह डूब रही हैं। सारी दुनियां के लोग आते हैं। एक तरफ हिन्दुओं का शीतला माता का मंदिर डूब रहा है और कई स्थान डूब रहे हैं लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। इसलिए राज्य सरकार अपनी सुस्ती को उड़ाकर भारत सरकार के सामने सही स्थिति को बताएं और अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र जो राष्ट्रपति ने घोषित किया है, उसकी रक्षा के लिए आपको पैरवी करनी चाहिए, भारत सरकार मदद देगी हमारी सरकार की तरफ से आप कह रहे थे कि बाड़मेर, जालोर जिलों में नर्मदा योजना का पानी लाया जाएगा, वह योजना खटाई में पड़ गई। नर्मदा का पानी न बाड़मेर में आने वाला है न जालोर में। केवल आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए अपनी सुस्ती को उड़ाकर कडाना बांध से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी रक्षा करें। अगर आपके यहां शीघ्र पैरवी नहीं होगी तो वहां के लोग कमजोर नहीं हैं। वह जो गांधीजी ने रास्ता बताया है, उसपर चलकर आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकायेंगे। सरकार हमेशा आंदोलन करने के बाद झुकती है, उससे पहले सरकार की नींद नहीं खुलती है। इसलिए सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्व मंत्री भी हैं, आपकी

(श्री नाथूराम)

पूर्ण जिम्मेवारी है, सरकार की तरफ से जो आपने सर्वे कराया है भारत सरकार द्वारा, उस एग्रीमेंट में संशोधन करायें और लाखों रुपए जो सर्वे में खर्च हुआ है वह उनसे लिये जाए और जितना 419 से 410 का सर्वे कराया है, वह 410 का एग्रीमेंट करायें नहीं तो डूंगरपुर-बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है दोनों जिले डूबेंगे और आप किसी को भूमि नहीं दे पायेंगे। इसलिए गलती सुधारो और, भारत सरकार के सामने जोरदार मांग करो उस आदिवासी क्षेत्र की रक्षा करो। मैं 6 अप्रेल, 1970 को एक डेप्यूटेशन लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री के सामने उपस्थित हुआ था और उस हद तक हमारी आवाज को सुना था एवं बांध की ऊंचाई कम करने का आश्वासन दिया था और दोनों राज्यों में लिखा पढी हुई, सर्वे हुआ लेकिन हमारी सरकार ने सुस्ती रखी नहीं तो आज सरकार की तरफ से पैरवी होती तो आज गुजरात सरकार को 410 का एग्रीमेंट मानना पड़ता। सभापति महोदया, कडाणा बान्ध बन जाने से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जनता को काफी नुकसान होगा। आज जब आपको उनका मुआवजा देने की बात कही जाती है तो कोई सुनता ही नहीं है। और वैसेही मैं आपको निवेदन करदूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका पहाड़ी क्षेत्र में है। और उस बान्ध के बन जाने से हजारों लोग प्रभावित हो जायेंगे। आज उसमें आपसे निवेदन करूं, सभापति महोदया, कि लगभग 40 हजार एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है। गुजरात सरकार को उस कडाना बान्ध की 419 फीट की ऊंचाई करने को रोका जाना चाहिये। उसकी ऊचाई 410 की ही की जानी चाहिये। सभापति महोदया, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आज जब हम उनको भूमि दिलाने की बात कहते हैं तो कभी तो राज्य सरकार कह देती है कि हम उन लोगों को फॉरेस्ट से निकाल कर भूमि दे देंगे। मैंने पहले ही कह दिया है कि वहां पर काम है नहीं क्योंकि वह इलाका पहाड़ी है और दूसरे आप यह कह रहे हैं कि फॉरेस्ट काट कर जमीन दे दी जायेगी। मैं सभापति महोदया, आपको निवेदन करदूं कि पहले ही आपने बहुत से जंगलों को कटवा-कटवा कर उनका नाश कर दिया है। और मैं समझता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में भूमिहीनों को इन जंगलों से जमीन नहीं दे सकोगे। एक तरफ तो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में काफी संख्या में भूमिहीन हैं उधर आप पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों को पौंग डैम की वजह से लाकर राजस्थान कैनाल में जमीन देने की बात कह रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। राज्य सरकार को चाहिये की कडाना बान्ध के लिये आप गुजरात सरकार से 410 का एग्रीमेंट करवाईये। मैंने इस सदन में कई बार इस बारे में जोर दिया है कि राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरता पूर्वक सोचे। डूंगरपुर-बांसवाड़ा में हजारों लोग कपास की खेती करते हैं और वो लोग जो कि हमारे प्रान्त के नहीं हैं दूसरे प्रान्तों के हैं इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। आज गुजरात के लोग काफी मात्रा में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में भूमि पर कब्जा किये हुए हैं। आज राजस्थान सरकार की यह हालत है कि जो सन् 59 में सीलिंग कानून पास हुआ वह आज तक सीलिंग कानून लागू नहीं हो सका है। जिससे लोगों को जमीन नहीं मिल सकी है, और अब आपने सीलिंग की 18 स्टेण्डर्ड एकड़ करने का निर्णय लिया इधर तो हमारे यहां पर भूमि

(श्री नाथूराम)

भूमिहीनों के पास नहीं है उधर हमारे इलाके में गुजरात के लोग जो जमीनों पर कब्जा किये हैं उन्होंने लाखों रुपये कमाये हैं। लेकिन हमारे यहां जो आदिवासी लोग हैं वो बेचारे बिना भूमि के पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि उन्हें भूमि देने मे प्रायमिकता दी जाय। जो कडाना बांध के लिये जो एग्रीमेंट राज्य सरकार ने गुजरात सरकार से किया है उसमें संशोधन किया जाना चाहिये और उसको एग्रीमेंट में 410 फीट का कराया जाय। नहीं तो हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोग बरबाद होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर गुजरात सरकार 410 फीट का एग्रीमेंट करने के लिये तैयार नहीं हो तो आज जिस तरह से आपको पोंग डैम के बनाने के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिये जो मुआवजा भूमि आपने देने की बात कही है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों को जो कि इस कडाना बांध के 419 फीट बनने के कारण प्रभावित हो रहे हैं उन्हें भी मुआवजा एवं भूमि दिलाने की व्यवस्था करावें। अगर आप यह व्यवस्था नहीं करा सकेंगे तो डूंगरपुर और बांसवाडा की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे यही निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : समापति महोदया, हमारा प्रदेश पानी के मामले थोड़ा अभागा ज्यादा ही है। वैसे हमारे प्रान्त राजस्थान में 12 मास बहने वाली नदी कोई भी नहीं है सिवाय चम्बल के। इसलिये सिवाय उस ऐरिया को छोड़ कर दूसरी जगह काफी तकलीफ रहती है। उसके लिये हमारे लिये जरूरी हो जाता है कि हम खेती करने के लिये सिंचाई के साधनों के लिये कार्यवाही करें। इसके लिये हमें हमारे पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यास प्रोजेक्ट या जिसे लोग पौंग डेम कहते हैं वह जिस उद्देश्य से हमने बनाने के बारे में सोचा था वह पूरा नहीं हो रहा है, और आज स्थिति ऐसी है कि राजस्थान कैनाल के काम को जो हमने हाथ में लिया है और उसके कारण काफी जमीन डूब में आजाने से हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोगों पर इसका असर पड़ा और वहां पर काफी मात्रा में विस्थापितों की संख्या हो गयी। और यह होना भी स्वभाविक था। विस्थापितों के खिलाफ म कुछ कहना मैं बुरा ही समझता हूं लेकिन राजस्थान की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके बारे में हमे गम्भीरता से सोचना चाहिये। इधर कुछ हिमाचल प्रदेश सरकार का कुछ ऐसा रवैया रहा कि उनके कम्पेनशेसन की मांग हनुमानजी की पूछ की तरह बढ़ती ही गयी। सभापति महोदया, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है उस बारे में तो मैं अभी अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उसे आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ लोगों को हमने राजस्थान कैनाल में जमीन दी थी पर चूंकि राजस्थान का एक इलाका गर्म इलाका है जहां लू चलती रहती है उस इलाके में वो लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके। बहुत से परिवार जो यहां आये वो यहां से आकर चले गये, और उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी। इधर हमारे यहां बेचारे भूमिहीन थे वो बेचारे जमीन के लिये तरस रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह मामला भारत सरकार के सामने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लाया जाना चाहिये कि जिससे कि वह इस समस्या का हल निकाले। और हमारी सरकार को चाहिये कि इसकी पुरजोर शब्दों में भारत सरकार के सामने पैरवी करे। अभी थोड़ी देर पहले श्री नाथू भाई भी हिमाचल प्रदेश की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से अपने विस्थापितों के लिये पैरवी की। आज हमारे सदन में कई बार कडाना बान्ध के बारे में इस सदन में चर्चायें उठी थीं, और यह सभी जानते हैं कि गुजरात सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जो ऐग्रीमेन्ट किया है वह एग्रीमेन्ट राजस्थान की जनता के लिये हितकर नहीं है क्योंकि उस कडाना बान्ध के बन जाने से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों को काफी नुकसान होगा। आज हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है वो पहाड़ी तो है लेकिन वहां के पहाड़ी इलाके कच्चे मिट्टी के हैं। और उसमें पानी के लेवल को इस तरह से मोल्ड किया जा सकता है जिससे कि वहां पर खेती हो सकती है। वहां पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर जमीन पर काश्त हो सकती है। इसलिये मेरी राय में तो हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिये कि उस एरिया मे सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाय। आज राजस्थान की तो पानी के मामले में ऐसी हालत है कि दस-दस मील के एरिया में पानी नहीं है। लोगों को पानी के लिये काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। आज राजस्थान अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा है पर राजस्थान की आर्थिक हालत बहुत खराब है। यह कर्जे से दबा हुआ प्रदेश है और वह उस कर्जे के भार को बड़ी मुश्किल से वहन कर रहा है इसलिये भारत सरकार से सहयोग देने के लिये निवेदन किया जाना चाहिये। और राजस्थान नहर के कार्य को हमे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कोशिश करनी चाहिये। जहां तक कडाना बान्ध का संबंध है इस प्रश्न के बारे में राज्य सरकार ने काफी लापरवाही बरती है। इस सदन के अन्दर यह मसला एक दिन पूरे दिन चला और सदन के काफी माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की थी कि कडाना बान्ध की ऊंचाई 410 फीट लम्बी की जानी चाहिये और जो यह 419 फीट है उसे 9 फीट कम की जानी चाहिये। उस वक्त मैं समझता हूं कि सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इसके लिये कार्यवाही की जायेगी और एग्रीमेंट में चैन्जेज किये जायेंगे। ऐसा यहां सरकार ने कहा। पर वास्तव में इसके लिये कार्यवाही कुछ भी नहीं की गयी। आज कडाना बान्ध के एग्रीमेंट में अगर चैन्ज नहीं किया गया तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जनता को भी मुआवजा दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार को इसके लिये पैरवी करनी चाहिये। उधर जो नर्बदा से पानी देने की बात जो थी वह भी एक उच्चस्तरीय समिति जो बनी थी उसने राजस्थान के लिये यह फैसला दिया कि राजस्थान नर्बदा के पानी का हकदार नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि जो आदिवासी लोग कडाना बान्ध से प्रभावित हो रहे हैं उनके लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। इसलिये राजस्थान सरकार को यह चाहिये कि इस पोंग डैम के साथ-साथ इसको भी भारत सरकार के सामने रखे जिससे उसकी ऊंचाई को कम किया जा सके और उनके मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : अब पूरा हो गया है। श्री मोहरसिंह।

Page No. 90

श्री मोहरसिंह (चूरू) : सभापति महोदया, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आज जो चर्चा हुई है उससे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है, रेगिस्तान को हटाने की कार्यवाही करेंगे। उसके स्थान पर भारत सरकार ने रेगिस्तान बढ़ाने में सहयोग दिया है। जो तथ्य मेरे से पूर्व वक्ता ने रखे हैं उनको रिपीट करना नहीं चाहूंगा। एक बात स्पष्ट हो गयी है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने इस मामले में हद दर्जे की ढिलाई बरती है। जब इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ था उस समय वहां के रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हिमाचल प्रदेश के हाथ में था, उसको लिया जाना चाहिये। भारत एक देश है। सब एक भारत के नागरिक हैं। जब एक नागरिक हैं तो कोई भी नागरिक रेवेन्यू रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी ले सकता था, लेकिन हमारे अधिकारी यह छोटासा काम नहीं करवा सके और कई और मामूली बातें भी नहीं की गयी। इसका नतीजा यह सामने आया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड बदल दिया गया। पंजाब द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड किस प्रकार हिमाचल वाले बदल सकते थे, क्यों नहीं कोर्ट के सामने लाया गया? ज्युडिशियल कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाया गया? लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत पैरवी क्यों नहीं की? लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर हिमाचल सरकार से दबता था और उनका पक्ष लेता था। हमारा फर्ज था, हमारी सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले जाती लेकिन हिमाचल प्रदेश के कागजात देने के लिये वे लोग तैयार नहीं थे तो हमें समझ जाना चाहिये था कि दाल में कुछ काला है। उस ढिलाई का फायदा उठा कर तथ्यों को इस प्रकार सुरसा के मुंह की तरह बढाया गया। अभी बात बतायी गयी थी कि हनुमानजी की पूंछ के माफिक बढाये गये, लेकिन सुरसा की मुंह के अनुसार बढ़ाये गये। रिकॉर्ड को तोड़ा मरोड़ा और मूक दर्शक हमारे अधिकारी बैठे रहे। तुरन्त यह भारत सरकार और पब्लिक की नॉलेज में लाना चाहिये था, और ऐसी बातों का ढिंढोरा पीटा जाना चाहिये था। इन तथ्यों को क्यों जनता से छिपा कर रखा गया? क्या हमारी कॉन्ट्रीब्यूट्री जिम्मेदारी नहीं थी? सरकार और सरकार के अधिकारी जिम्मेदार थे। रेगिस्तान हटाने की भारत सरकार ने इस प्रकार हमारी मदद की। राजस्थान के लोग देश की रक्षा में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं उनको भी भारत सरकार का यह तोहफा था और कॉन्ट्रीब्यूट्री नेग्लीजेन्स बता कर उनको यह तोहफा देना है। सही रूप में हमने हमारे तथ्यों को भारत सरकार के सामने नहीं रखा। वरना कोई वजह नहीं कि भारत सरकार इस प्रकार सौतेला व्यवहार कर सकती और हिमाचल के साथ इस प्रकार की महरबानी करती। आज भी जो तथ्य बताये गये हैं वे काफी नहीं हैं। भारत सरकार का एक अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के एक अधिकारी को बिठाना चाहिये और निष्पक्ष अधिकारी होने चाहिये थे, भारत सरकार से यह होता और इस प्रकार एक्वीजिशन की कार्यवाही की जाती तो यह घटनायें नहीं होतीं। इस तरह की हमारी उदासीनता का और कोई ज्वलन्त उदाहरण नहीं हो सकता। जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनकी वजह से हमारी जनता को फल भोगने पड़ेंगे। उन अधिकारियों के प्रति जांच बिठायी जानी चाहिये और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं दस मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा।

सभापति महोदया, यह जो तथ्य और आंकड़े काफी माननीय सदस्यों ने रखे परन्तु

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो मुद्दे सामने आये हैं, माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य से और माननीय सदस्यों ने जो तथ्य रखे हैं, इस प्रोजेक्ट में जो भी एग्रीमेंट किये हैं, यह जो ऑल इन्डिया पेटर्न है और जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें इस एग्रीमेंट में डेवियेशन्स किये गये इसकी क्या वजह है ? भारत हमारा देश है । गुजरात और हिमाचल कोई दूसरे देश नहीं हैं । हम स्टेट्स हैं । लेकिन हम किसी दूसरी स्टेट्स के राइट्स पर एन्क्रोचमेंट नहीं करना चाहते, यह हमारे विचार हैं । इसी प्रकार दूसरे नहीं रहे तो फेडरल रिलेशन्स नहीं रहेंगे. ..

(3.47 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो एक स्टेट और दूसरी स्टेट के रिलेशन्स सही तरीके से कायम नहीं होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेन्ट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को शुरू से ही हेन्डल किया गया उसमें बुनियादी गलतियां की गयीं । बुनियादी तौर से इस स्टेट के हितों को इस सदन की बगैर इजाजत के और नोलेज के इस प्रकार नुकसान पहुंचाया । आज मंत्रीजी स्टेटमेन्ट देते हैं प्रेडिसेसर गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है जिसने ये स्थितियां पैदा कर दीं और आज जो स्टेटमेन्ट दिया है बेचारे वे विस्थापित जिनको बसना चाहिये था, जिनको बसाना चाहिये था जिनक उजड़ने का कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं, इन्सान ने निर्णय लेकर डेम बनाया इसलिए उन लोगों को बसाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और दायित्व है, लेकिन दूसरी तरफ जिस काम के लिये कर रहे हैं उसमें बाधा पड़ रही है । ईरिगेटेड लेंड इस तनाजे की वजह से खाली पड़ी है और जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कितने ही करोड़ का हर साल नुकसान है । आउस्टीज किये । न उनको लाभ और न इनको बसाया और न ही वह सारा काम पूरा हो रहा है । इसकी जिम्मेदारियां और गलतियां कहां हैं ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान में इतने इंटर-स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यह बेसिस है कि जो भी लोग उजड़ते हैं उनको कम्पनसेशन दिया जाता है, तो यहां एडीशनल क्वेश्चन है लेंड का, कम्पनसेशन और लेंड अलॉटमेंट का । डबल किया गया और क्यों ऐसा हुआ ? एक पोइन्ट को ह्युमिनिटेरियन पोइन्ट पर कन्सीड किया, फिर मोरल और लीगल कानून बन गया, फिर दूसरा ह्युमिनिटेरियन पोइन्ट पर कन्सीड किया और वह लॉ बन गया । पहले आप कन्सीड कर गये ह्युमिनिटेरियन ग्राउन्ड पर कि लेंड देंगे । 31 लाख एकड़ जमीन आपने देना तय कर दिया । उसमें आपको यह नहीं पता कि कितनी फेमिलीज हैं । कैरों साहब का लेटर आपके सामने था । 9,400 फेमिलीज हैं । सन् 60 का लिखा हुआ है और 9,400 फेमिलीज हैं तो 31 लाख एकड़ क्यों कन्सीड किया ? क्या बेसिस था ? क्या बेसिस था आपका कन्सीड करने का ? फिर आज फेमिलीज के बारे में बातचीत चल रही है । एक नया फार्मूला जिसके बारे में आज आपने बयान में कहा है कि जिस आदमी के पास .09 एकड़ जमीन है उसको हमें एक मुरब्बा जमीन देनी पड़ रही है । किस ने कन्सीड किया इस बात को ? सेकिण्ड पॉइन्ट कन्सीड किया कि एक एक मुरब्बा और देंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दी लेण्ड । थोड़ी जमीन वाले लोग ज्यादा है और ज्यादा जमीन वाले लोग कम हैं। तो आप एग्री करते हैं कि हर एक आदमी को एक एक मुरब्बा देंगे तो उस चीज ने यह समस्या पैदा की कि हर एक आदमी को एक एक मुरब्बा मिलेगी । एक सेन्ट की जमीन होगी तो उसकी फिर समस्या पैदा कर दी और लोग खरीददार आ गये । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज जानकारी मिली है उसके अनुसार हरियाणा के 3 आदमियों ने 5 मरले जमीन खरीदी है और एक-एक आदमी के हिस्से में 64 वर्ग फीट आती है। इसी तरह से पंजाब के 8 खरीददारों ने 2 मरले जमीन खरीदी और एक-एक आदमी के पास 16 वर्ग फीट जमीन आती है। अब 16 वर्ग फीट के बदले में आपके कमिटमेन्ट के कारण एक मुरब्बा याने 15.6 एकड़ जमीन आपसे इरिगेटेड लैण्ड मांगते हैं। यह बात भी है और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ज्वाइन्ट कन्ट्रोल एकाउन्ट्स के कम्पनसेशन में क्या यह सही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी कम्पन्सेशन दिया जा रहा है, जो भी इसका असेसमेंट कर रहे हैं, जो भी डिसीजन दे रहे हैं आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है। अगर इस तरीके का ऑल इन्डिया पैटर्न हो तो कहीं हमें नुकसान होगा। फिर कडाना में हम करते हैं अलाटमेंट, हम करते असेसमेंट, हम करते मुआवजा तय और गुजरात गवर्नमेंट का कहीं हाथ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मुझे कोई गिला नहीं होती। ऑल इन्डिया पैटर्न में हमें अपने देश के लिए कहीं नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो कहीं लाभ भी उठाना पड़ेगा लेकिन हिमाचल में पोंग डैम के मामले में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट करेगी और माही प्रोजेक्ट में असेसमेंट करेगी और कोई गवर्नमेन्ट और डूब में आती है राजस्थान सरकार की जमीन। आखिर यह डेवियेशन जो ऑल इन्डिया पैटर्न है उससे क्यों है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं यह पोलिटिकल क्वेश्चन है। आपकी सरकार ने जो नॉर्मल पैटर्न है उससे डेवियेट करके किन्हीं भी दबाव की वजह से राजस्थान के हितों को नुकसान पहुंचाया है। जिसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके भाषण में आपने कहा दो बार लॉ डिपार्टमेन्ट की तरफ से आपके पक्ष में राय आ गयी लेकिन हिमाचल गवर्नमेन्ट मानती नहीं। आपने कहा कि आप तैयार हैं एक हाई कोर्ट के जज को इस मामले को सुपुर्द करने के लिए लेकिन हिमाचल गवर्नमेन्ट मानती नहीं। तो आखिरकार या तो कहीं आप अपने केस की पैरवी करने में कमजोरी कर रहे हैं या कहीं आप पर ऐसा दबाव हो कि जायज बात को भी आप मनवा नहीं सकते और मैं समझता हूं कि 99 करोड़ का ओवरड्राफ्ट सबसे बड़ा स्ट्रेन है और आप अपनी बात को सिर उठा कर नहीं कह रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि राजस्थान के हितों के लिए हम सब को सोचना पड़ेगा। और हम अब इस मामले को केवल मंत्री महोदय या केवल गवर्नमेन्ट के हाथों पर कि चाहे जैसे करें मैं समझता हूं कि इस सदन को इसको नहीं छोड़ना चाहिए और आज इस बात के लिए इस गवर्नमेन्ट को एश्योरेन्स देना चाहिए इस हाउस में बार-बार जिस तरीके से हमारे हकों की तलफी की है कि हमारे राजस्थान के अन्दर दबे हुए लोग हैं, जो यहां के लैण्डलैस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है जो उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वह हिमाचल के लैण्डलेस को उसके बराबर ट्रीटमेन्ट मिले, यह मैं चाहूंगा। उनसे इन्फीरियर नहीं मिले लेकिन हमारे यहां को इन्फीरियर मिले और यहां वालों को सुपीरियर मिले यह नहीं चाहूंगा। म्युचुएलिटी, इक्वेलिटी और पैरिटी का दृष्टिकोण होना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आपने उस बात का जिक्र नहीं किया और किया जाना चाहिए कि आज लैण्ड रिफार्म्स की बात, सीलिंग की बात देश में बड़े जोरों पर उठ रही है और 1960 में यह बात नहीं थी, 1965 और 66 में भी नहीं थी। हमारे यहां की सीलिंग लोअर डाउन हुई है और हिमाचल की भी लोअर डाउन होगी। इस बैकग्राउन्ड में तमाम लेण्ड अलॉटमेन्ट के क्वेश्चन को डीनोवो सोचा जाना चाहिए, नये तरीके से विचार किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हिमाचल प्रदेश में जो कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट है इस बात के लिए इनसिस्ट कर सकती है कि जो उनकी सीलिंग का कानून है उसको वॉइलेट करके किसी भी आउस्टीज को सीलिंग से ज्यादा जमीन है तो न लीगली वह गवर्नमेन्ट ऐसा कर सकती है और न लीगली आप कर सकते हैं। इसलिए किसी के भी कोई प्रिमिसेस हों मोरल हों या कैसे भी हों लेकिन आज लैण्ड रिफार्म्स की इस पॉलिसी के अनुसार उन तमाम डिसीजन पर डीनोवो विचार करने की जरूरत है और हम नहीं चाहेंगे कि लैण्ड रिफार्म्स के मुद्दों को वॉयलेट किया जाये और इस एरिया में उसको वॉयोलेट नहीं किया जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हमने उनके आउस्टीज की तादाद का पता नहीं लगाया। मुझे बड़ा अफसोस है। सेन्सस होती है 1971 में सेन्सस के फिगर्स छपे हैं, अलग अलग जिलों के फिगर्स छपे हैं, एक एक गांव के फिगर्स छपे हैं। राजस्थान में अगर चाहे 1971 के कितने परिवार हैं किस तहसील में, किस जिले में तो यह भी छपा हुआ है और यह आप नहीं मंगा सकते? बिलकुल इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी सेन्सस की है जो आपको फिगर्स बता सकती है। 27 हजार आदमी थे सन् 1961 में तो नार्मली पापुलेशन जितनी बढ़ती है उसकी बढ़ोतरी मान कर मैं समझता हूं कि 40 हजार हो गये होंगे और यह फिगर आपको सेन्सस से मिल सकती है। परन्तु आप कोशिश करें तो आपको मिल सकती है। इलेक्टोरल रोल से मिल सकती है। सामान्य मुकदमेबाज आदमी ही इस चीज को ले लेता है, आपके इलाके में सन् 55 का रहने वाला है इसके सबूत के लिए वह इलेक्टोरल रोल से पकड़ लेता है और आपके पास इतना अमल है फिर भी आप पता नहीं लगा सके। आप कहते हैं कि हम बारबार मांगते रहे और कोई फिगर नहीं देता है। यह सब आपकी कमजोरी है जिसके कारण से आपको फिगर नहीं मिल पाये।

इसके अलावा मैं कहूंगा कि आपने बारबार हमारी फाइनेन्शियल ऑटोनामी पर एन्क्रोचमेन्ट किया है। यह बहुत बड़ा पोलिटिकल क्वेश्चन है। आज और स्टेट्स अपनी फाइनेन्शियल पावर्स को बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन आज लिस्ट 2 के अन्दर जो हमारी पावर्स हैं उनका भी आप एन्क्रोचमेन्ट कराते हुए तमाम अधिकार किसी दूसरे स्टेट को दे दें मैं यह समझता हूं कि यह राजस्थान के 2।। करोड़ लोगों के साथ पोलिटिकल अन्याय है और इस लीडरशिप को कहा जा सकता है कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह पोलिटिकल राइट्स को सही तरीके से प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि अब इस सरकार की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को, कोलोनाइजेशन मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की कमेटी बनानी होगी। उस कमेटी की देखरेख में ही सारे नेगोशियेशन्स हों, सारे मामले को डीनोवो उठाया जाय और वह कमेटी इस सदन को रिपोर्ट करे और जब तक यहां अफरमेशन न हो जाय तब तक कोई महत्वपूर्ण डिसिजन इस संबंध में न लिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसी पर बोल रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां। उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कई माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये और अपने मत व्यक्त किए। अब स्थिति यह आ गई है कि जितने तथ्य हैं वह पुनरावृत्ति के आधार पर ही अब चलने लगे हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न पर अधिक नहीं कहना चाहूंगा। इस प्रश्न पर जैसा माननीय सदस्यों ने अपना अभिमत व्यक्त किया, यह प्रश्न इतना जटिल हो गया और मेरा ख्याल है कि राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में यह प्रश्न जितना विकृति और विषम बना है ऐसा आज तक इसके प्रांगण पर नहीं आया। यह मांग माननीय सदस्यों की नितान्त उचित है कि इस प्रश्न पर अब राजस्थान सरकार पर अब कोई विश्वास नहीं किया जा सकता और राजस्थान सरकार ने न केवल राजस्थान विधान सभा के प्रति ही अन्याय किया है, मैं कहूंगा कि विधान सभा को कॉन्फिडेन्स में न लेकर उसकी अवहेलना की है। इसके साथ ही जो राजस्थान सरकार का रवैया रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार ने जनता के साथ और राजस्थान सरकार ने इस अपनी सरकार को दिवालिया बनाने में नितान्त सक्रिय सहयोग दिया है। इसलिए तथ्यों पर न जाते हुए जो मांग माननीय सदस्यों ने उपस्थित की है कि इस सारे घोटाले की जांच करने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इसके लिए माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की जाय, क्योंकि यदि कोई समिति आपके द्वारा गठित की जाती है तो उस समिति से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप सक्रिय भी हो सकेगी और निष्पक्षता से कोई निर्णय भी ले सकेगी। मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय स्वयं इस प्रश्न पर न केवल सजग हैं किन्तु उनमें खीज है, उनमें असंतोष है और मेरा विश्वास है जितना दुख उन्हें हो रहा है उस संदर्भ में वे स्वयं खड़े होकर विधान सभा के सम्मुख यह कह दें कि मैं माननीय सदस्यों की समिति को स्वीकार करता हूं। एक कदम और आगे जायं तो उनकी प्रतिष्ठा, राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा और निखरेगी अगर मंत्री महोदय यह स्वीकार कर लेंगे कि अगर इम्पीचमेन्ट किया जाय विधान सभा के स्तर पर तो अनुपयुक्त नहीं होगा। यदि इम्पीचमेन्ट राजस्थान विधान सभा के प्रांगण पर किया

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जा सके तो आने वाले ऐसे ही प्रश्नों पर मेरा ख्याल है कि राजस्थान सरकार बढ सकेगी, और सजग रह सकेगी ।

मैं दो प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा । आखिर यह झगड़ा किसका है ? कहा जाता है कि कोई आउस्टीज और आपके बीच में यह झगड़ा किसी सरकार, वहां की सरकार और आपके बीच में है । मैं इसको नहीं मानता। आप तथ्यों का अध्ययन कीजिए । आप इसकी विषमता और परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए । जमीन के एक्वीजिशन की जानकारी जब उस प्रान्त के लोगों, विशिष्ठ लोगों को हुई कि जमीन बांध में डूबने वाली है और सबमर्ज होने पर जमीन की कितनी कीमतें बढेंगी, कितना लाभ होगा, और वह पत्र जो स्वर्गीय कैरों ने लिखा उस संदर्भ में सभी विशिष्ट व्यक्तियों को अन्दाज इसका हो गया था । और इस स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके तो आज वहां पर जो रिहेबिलिटेशन की मांग करते हैं, जमीन की मांग करते हैं, कम्पन्सेशन की मांग करते हैं वे सामान्य जन नहीं हैं । यदि उन लोगों के नामों की सूची, मेरा विश्वास है आपके पास होगी अगर आपके पास न हो तो हम लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, को देखा जाय तो उसमें सब विशिष्ठ व्यक्ति हैं, एम० पीज० हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, सेठ साहूकार हो सकते हैं जिन्होंने वहां की जमीन का विभाजन किया, धोखा दिया, बड़ी जमीनों के छोटे 2 टुकड़े करके फैमिलीज की संख्या को बढ़ाया । इसमें किसी सामान्य जन को लाभ मिलने का प्रश्न नहीं है । इसलिए जो प्रश्न पैदा होता है वह विशिष्ठ लोग, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट और आपके बीच में होता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इतना भारी घोटाला जिस विषय पर हो, जहां विशिष्टजनों ने अपना लाभ उठाने का प्रयत्न किया हो, क्या कभी आपने केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित इस ओर किया है कि आउस्टीज के अन्दर कैसी फैमिलीज हैं, कौन लोग अन्दर दाखिल हैं और कौन लोग लाभ उठाना चाहते हैं । मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय आप इसका उत्तर दें ।

दूसरा प्रश्न जो आपके सम्मुख आता है कि आपके राज्य के अधिकारियों ने, जिनकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि इतनी शिथिल सरकार में भी उन्होंने सजगता दिखाई । समय समय पर सजग किया और उन्होंने बताया कि यह फैमिलीज जो 9,400 की संख्या में थीं, जो फैमिलीज पहले कैरों के पत्र में उल्लिखित की गई वह फैमिलीज 35 हजार तक कैसे चली गई बढ़ते 2। उनका डवलपमेंट होता गया और यह व्यापकता, यह भयंकर व्यापकता जब बढ़ी तब आपके राज्य कर्मचारियों ने इस डेवलपमेंट की स्थिति पर खोज शुरू की और खोजना शुरू किया तो क्या पता लगा, फेब्रिकेशन, फराडूलेंट ट्रांसफर्स, फोर्जरी और रसीदें फर्जी । इतने भयंकर घोटाले होने पर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सरकार इसमें दिलचस्पी लेती है कम्पन्सेशन के पॉइन्ट पर, और जो सरकार अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती है और उस सरकार के अधिकारी फोर्जरी करें, रसीदें जाली छपवा लें, फ्राडुलेंट ट्रांसफर करें, चीटिंग करें, यह सब घोटाले कभी आपने केन्द्रीय सरकार के सामने रखे ? केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आपने दिलाया या नहीं । मैं चाहता हूं, ऐसा फ्राड आपके खिलाफ हो एक राज्य की ओर से और हमारा राज्य मौन होकर बैठा रहे, केन्द्रीय सरकार को आगाह न करे? इतनी फोर्जरी और मिसचीफ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की गई उस संबंध में केन्द्रीय सरकार-हस्तक्षेप करके उसकी जांच करे। मैं चाहता हूं कि यह मामला सी०बी०आई० के सुपुर्द किया जाय। हम इस विधान सभा के माध्यम से, इसके प्रांगण के माध्यम से यह पुरजोर शब्दों में कहते हैं कि जितने अपराध वहां की सरकार ने किए हैं, बाकायदा नाजायज कदम उठाये हैं, उन अपराधों के संबंध में जांच हो। क्योंकि दो प्रान्तों के बीच में यह झगड़ा है इसलिए यह सारे घोटाले सी०बी०आई० को सुपुर्द किए जावें। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार का सहयोग लें और इतने बड़े फ्राड में जब तक जांच हो सारे कागजात जब्त किए जायं।

इसलिए इस प्रश्न पर अधिक न कहते हुए मैं आपसे मांग करता हूं क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप पहले जज भी रहे हैं, आप पी०एस०सी० के चैयरमेन रहे हैं आप इस फ्राड को जब्त करने वाले नहीं हैं। यदि राजस्थान सरकार ने कहीं न कहीं यहां की जनता के प्रश्न पर इतनी लम्बी रकम को स्वीकार करने का गलत कार्य किया है तो आपको यहां की समिति, विधान सभा की समिति के गठन को स्वीकार करना चाहिए और टर्म आफ रेफरेंस भी यहीं निर्धारित किए जाकर तीन महीने में इसकी रिपोर्ट वापिस सदन के प्रांगण पर रखी जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे मांग करता हूं कि सी०बी०आई० के प्रश्न पर व्यवस्था दें इस सदन में कि भारत सरकार को आप पर्सनल लेवल पर मूव करेंगे कि उस प्रान्त ने जो गड़बड़ियां की हैं उसकी जांच होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब तथ्यों के बारे में जो सदन के सामने रखे गये हैं कहूं कि राजस्थान सरकार के पक्ष में हैं, यह मुझे शोभा नहीं देता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झगड़ा पैदा हुआ। हमारे कानून में प्रावधान है, कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवीजन है। इसमें हमारी स्टेट्स और सेन्टर की बीच में डिस्टिंक्शन किया है। इन्टर-स्टेट रिवर्स के संबन्ध में शेड्यूल (1) की एन्ट्री नं० 56 में यह एन्ट्री की हुई है कि इन्टर-स्टेट रिवर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्लियामेंट कानून बनायेगी। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स के पानी का फ्लो वह निर्णय करेगी, स्टेट्स इसके लैण्ड कॉलोनाइजेशन, लैण्ड टेन्योर यह सब उसके सबजेक्ट हैं। जो कुछ अब तक हुआ है उसके संबन्ध में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। एक ही बात दिखती है कि राजस्थान में जिन सामन्तों से हमने यह सरकार ली है उनकी उदारता के कारण हमारे सामने आज यह परिस्थिति आई है और कई वर्षों तक हम गुलाम रहे हैं। हमने प्राण देकर भी शरणार्थियों की जान बचाई है। आज भी राजस्थान सरकार अपने को गिरवी रखकर हिमाचल प्रदेश के आउस्टीज को जिनके संबंध में राजस्थान सरकार स्वयं मानती है कि ये विस्थापित हैं उन पर कर सकती है और जिन पर करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है। वह हमारे साथ में बेगाने हैं। न तो वे यहां के निवासी बन पाये हैं और न कुछ हुआ है। उनके हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आंकड़े बताये हैं जिनकी यहां पर चर्चा हुई है वह द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता चला गया। चार हजार के वह 24 हजार हो गये। एकाध साल और झगड़ा रहा तो सारा हिमाचल प्रदेश पौंग डैम से निकाले हुए विस्थापितों

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

के नाम पर राजस्थान कैनाल में समा जायेंगे और राजस्थान का नाम भी न रह पायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय ऐसा है कि मैं तो सबसे पहले यह कहूंगा कि यह किस्सा हो गया। तो जिनको देना है, कम्पेन्सेशन देना है, एमाउन्ट देना है, निर्णय करना है तो हमारी एक स्टेट है वह ऑटोनॉमस स्टेट है, लेकिन आज वह प्रश्न इन्टर-स्टेट रिवर डिस्प्यूट का, कम्पेन्सेशन का, लैण्ड एलॉटमेंट का यह सब आपकी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन आज वह व्यवस्था नहीं है। न कानून का एमेंडमेंट हो पाया है न हो सकता है कॉन्स्टीट्यूशन में। जो कुछ आज एमेंडमेंट है उसमें उसके लिए इन्टर-स्टेट रिवर डिस्प्यूट में लैण्ड एलॉटमेंट के संबंध में कोई एक शब्द नहीं है। केवल एक चीज है डिस्ट्रीव्यूशन ऑफ वाटर यानी पानी किस किस को कितना कितना मिलेगा इसके संबंध में पार्लियामेंट एक लॉ बनायें उसके अन्दर वाटर डिस्प्यूट को लेकर यह किया गया है। लैण्ड के संबंध में हमारा अधिकार है। यह स्टेट सॉवरेन है। केन्द्रीय सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती है। मुझे आश्चर्य हुआ माननीय मंत्री महोदय का जब स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। आज 72 में आकर राजस्थान गवर्नमेंट यह कहे कि आउस्टीज की संख्या क्या है पता नहीं। करोड़ों का खर्चा करके कई लोगों को लाकर बसा चुके हैं और जो जमीन देने की योजना है वह 65 करोड़ की जमीन है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय मंत्री महोदय से राजस्थान सरकार के हित में, राजस्थान की 2 करोड़ 57 लाख जनता के हित में कम्प्लीट आश्वासन चाहूंगा कि हमारा जो अधिकार है जो कि कानून ने हमें दे रखा है लैण्ड एलॉटमेंट का, कॉलोनाइजेशन और सीलिंग लगाने का यह सब राजस्थान की गवर्नमेंट का है और वह इसको करेगी। बाहर की कोई सरकार इसमें दखल नहीं देगी। नहीं तो यह हालत हो जायगी कि फिर विधान सभा को आप वालाए ताक रख दें। विधान सभा ने जो कानून पास किया है उसकी कोई अवस्था नहीं। सीलिंग लॉ है उसको भी फ्लाउट कर दें, टेनेन्सी एक्ट को फ्लाउट कर दें, कॉलोनाइजेशन एक्ट को फ्लाउट कर दें। वह सदन को आश्वासन दें कि राजस्थान सरकार इस बारे में किसी के दवाव में किसी के प्रभाव में नहीं आयेगी चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। वह उनसे डिक्टेट नहीं होगी और राजस्थान सरकार जो कुछ चाहे फैसला करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय ने पढ़कर सुनाया यह स्टेटमेंट तो एक लेमेन्टेशन है। आज तक सरकार ने जो ओमीशन कमीशन किये उनके बारे में लेमेन्टेशन है। आप चाहें किसी हिन्दुस्तान के केबीनेट सेक्रेटरी को रेफर करें तो बीटिंग ऑफ दी डेड हार्स है। आज किस के पास आये हैं? आज तक 10 साल तक कभी भी इस हाउस को कॉन्फिडेन्स में नहीं लिया। तीन-चार साल से यह सवाल उठाया गया उस समय जो ईरिगेशन मिनिस्टर थे माननीय लढ्ढा साहब उन्होंने इसको इवेड कर दिया। उस वक्त के हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसको इवेड कर दिया और सामने एग्रीमेंट पेश नहीं किया गया और जो बात करके आये उसका हवाला नहीं दिया कि मैनेजमेंट आफ बोर्ड उनका होगा। आज

(श्री केदारनाथ)

हाउस में ऐसी पोजीशन है कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्य यह चाहते हैं, कि उनकी मान्यता है कि आपने गलत काम किया है, आपने स्टेट के इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया। आज जितना ओवरड्राफ्ट आपका है, इतनी फाईनेन्शीयल स्ट्रिन्जेंसी है उसके बावजूद, 65-70 करोड़ का घाटा दिखाते रहे हैं तो ओमीशन कमीशन कह दें वह सारा आपको करना है। कोई भी कैबिनेट सेक्रेट्री उसके लिये कम्पीटेन्ट नहीं है कि स्टेट के मसले उसको जाकर रेफर कर दें। आप स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम कर सकते हैं। कांस्टीट्यूशन में ऐसा आर्टिकल है कि ऐसे मसले स्टेट के परव्यू के मेटर्स हैं जैसे कि एलॉटमेंट का सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि हम अपने तरीके से एलॉटमेंट कर रहे हैं और ढाई लाख एकड़ जमीन का एलौटमेंट वह करें। स्टेट विदइन स्टेट तो कौन सी स्टेट इसको बरदाश्त करेगी ? आज के एम०एल०एज० उसको बरदाश्त नहीं करेंगे, जनता उसको बरदास्त नहीं कर सकेगी। स्टेट विदइन स्टेट कोई नहीं रह सकती है। इतना फॉरमल ऑर्डर दे दें कि इतनी फेमीलीज का एलाटमेंट करना है। कौन एलिजिबल है, कौन लैण्डलेस पर्सन्स हैं यह आपको मालूम नहीं है। हमारे यहां के लैण्डलेस को जमीनें देने में आप 55 की गिरदावरी देखेंगे, इलेक्टोरोल देखेंगे कि उनका नाम उनमें है कि नहीं वह राजस्थान का है कि नहीं, काश्तकारी उसका पैसा है कि नहीं राजस्थान में कहीं और जगह तो जमीन नहीं है, उसके बाद आप किस को देंगे कि वह विलेज का रहने वाला हो। कितनी जमीन दी है सारे भूमिहीनों को, एक लाख हरिजनों को व 50 हजार दूसरे लोगों को ? डेढ़ लाख एकड़ जमीन राजस्थान के टोटल लैण्डलेस लोगों को दी और 20-25 लाख कड़ पौंग डम के आउस्टीज को। मान्यवर हमें कोई चिंता नहीं है अगर वह लें जो कि जनुइन कमेज हैं और जिसके हाथों से हमने जमीन ली है। उनकी संख्या 5 हजार, 9 हजार या 10 हजार ऐसे थे जो कि एक एक एकड़ के मालिक थे और जो वहां से छोड़ गये हैं। उनको नगद पैसा दे देंगे। ह्यूमेनीटेरियन ग्राउण्ड की गिनती में आती है तो बसाने में कोई ऐतराज नहीं है। जो वायदा कर लिया उसको मानते हैं। कौन रहेगा ? 100 में से 75 पर्सेन्ट तो अपनी जमीनों को बेच गये हैं। वह एग्रीकल्चर क्लास के लोग नहीं हैं। बाहर के शहरों के लोग हैं। जब वह आदमी आते हैं तो उनको 1 एकड़, 2 एकड़ या ज्यादा इस तरीके से जमीनें बिक गई हैं। कहा जाता है कि जमीन का एलॉटमेंट नहीं हो रहा है, कम्पेन्सेशन नहीं मिल रहा है। वह अपनी जमीनों को डिसपोज ऑफ करके चले गये। आज 100 में से 75 बाहर के लोग हैं। उनके ट्रान्जेक्शन्स आज वहां पर एक्जीक्यूट हो गये हैं। उनको जमीन कैसे आप दे सकते हैं ? कोई कानून नहीं है राजस्थान सरकार के पास, हिन्दुस्तान की सरकार के पास उन लोगों के लिए कि वे जमीन के हकदार हों। लैण्ड रिफॉर्मस की बात करते ह कि हम युनिफॉर्मिटी ला रहे हैं। लैण्डलेस की तारीफ में हिमाचल प्रदेश के लैण्डलॉर्डस आ रहे हैं कौन हैं वे ? एलॉटमेंट किसको कर रहे हैं ? यह कभी बरदाश्त की बात नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे चीफ मिनिस्टर की बैठक में मिनिटस तैयार हुए हों, चाहे आपने एग्रीमेंट किया हो, चाहे आपने वचन दिया हो, चाहे रेफर करें किसी सेक्रेट्री को, इन सारी चीजों को स्क्रेप कर दें। यह घोषणा हम सुनने आये हैं। आप मानते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है और

(श्री केदारनाथ)

हमें अपनी बात से मुकरना नहीं हैं, गलती आप करें तो क्या करें ? फिर हमारे पास क्यों आये हैं ? आंसू बहाने के लिये यह हाउस नहीं है । अब भी हिम्मत करिये । गलती को रेक्टिफाई करें, दुरुस्त करें । स्टेटमेंट के पीछे यह स्प्रिट हो तो स्टेट के इन्ट्रेस्ट में हम रास्ता आपको दिखाते हैं । आप कह दें किसी को भी कि पहले जो चीफ मिनिस्टर साहब की बातें हुई है वे आपस की बातें नहीं है । कम्पेंसेशन के बारे में विचार करेंगे, एलाटमेंट के बारे में विचार करेंगे, लेकिन एरिया किस को एलाट करना है । फेमिलीज की गिनती कितनी है उस पर विचार करेंगे । सारा मामला डिस्प्यूटेड है पंजाब के रिआर्गेनाइजेशन के पहले पंजाब सरकार ने जो व्यास प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दी है वह 9 हजार फेमिलीज की है और 6 करोड़ मुवावजा देने की दी है, वह हम देने को तैयार हैं।

वह रिपोर्ट हमारी नहीं है। वह रिपोर्ट पंजाब के ऑफिसर्स ने व्यास प्रोजेक्ट के नाम से दी है। उसमें कितनी जमीन आती है, कितनी फेमिलीज हैं। वह रिपोर्ट हमारे पास है। इस तरह से अगर किसी चीफ मिनिस्टर में इनफीयेरेटी कम्प्लेक्स है, वह सेण्ट्रल से इतना डरता है कि प्रदेश की इकोनामी में एन्क्रोच पैदा कर दे। जेनरेशन का कोई डिकेड हो, ऐसी भूल कभी भी याद आये। ऐसी भूलों को भुलाया नहीं जाता है। उनका प्रोसीक्यूशन हुआ है। इम्पीचमेन्ट हुआ है। राजस्थान की जनता को जिसका विश्वास था, जो इलेक्टोरेट का विश्वास था। जो राजस्थान इकोनामिक स्ट्रक्चर को तोड़दे, जो हाउस का विश्वास खो बैठा हो उसके एग्रीमेन्ट को हम नहीं मानते हैं। वह रेफरेंस हम नहीं मानते हैं। इसलिये आप को नये तरीके से देखना है।

आप को कितना कम्पेनशेसन देना है। आप ताज्जुब करेंगे, 66 में जो क्वांटम हिमाचल प्रदेश ने दिया है, वह 67 में बढ़ा दिया है। डबल कर दिया है। किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। हर जगह रूल्स हैं। इसलिये मान्यवर, यह मसला काफी दिनों से चल रहा है। आज सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसकी मंशा को मैं मानता हूं। फेमिलीज का नम्बर कितना है। कितने एलेजिबिल है। इनफ्लेटेड फिगर्स दिये गये हैं। एक फ्रॉड किया गया है। ऐसी हिमाचल प्रदेश सरकार का विश्वास हम नहीं करते हैं। हम नये रास्ते से जायें। मान्यवर, आप लोकसभा को देखें। सभी जगह हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। कारण क्या है कि सभी जगह वह लोग हैं। व्यास प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन बोर्ड मे वह लोग हैं। जिन्होंने उन लोगों से जमीन खरीद ली है। आज वह प्रिवेल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के केबिनेट सेक्रेटरी पर छोड़ दें इससे बड़ी और दुखद बात क्या हो सकती है यह मॉडगेज कर रहे हैं। यह प्रस्टिज के खिलाफ है। आज वहां का सेक्रेटरी फैसला करे। हम ऐसी आशा आप से नहीं करते हैं। इसलिये मान्यवर, आयन्दा जो भी मीटिंग हो, पुराना एग्रीमेंट स्क्रेप हो ऐसा करने का अधिकार आप को है। हम स्टेट विद् इन स्टेट क्रियेट नहीं होने देंगे। पंजाब का डिवीजन होने से पहले जो था वह हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज आउटसाइडर्स बनकर कोई और आ रहे हैं उनको कोई अधिकार राजस्थान कैनाल में जमीन पाने का नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दे दिया है। ये कडाना डैम का जो एग्रीमेंट हुआ है, उससे ऐसा लगता है जैसे भागते हुये किसी ने हस्ताक्षर कर दिये हों। आप को नॉलेज नहीं है कि कितनी फेमिलीज डिफेक्ट होने वाली हैं। ऐसे मन्त्री फैसला कर

(श्री केदारनाथ)

देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सारी पावर हमने मन्त्रियों को दे दी है। आप हाउस को कान्फीडेंस में लें। ऑफिसियल्स से राय लें, एम० एल० एज० से बात करें। यह नहीं है कि आप चाहे जैसा एग्रीमेंट कर लें। फिर कहें कि हो गया है। हम एग्रीमेंट को रिवोक करके मानते हैं। अगर यह लेकर चलते हैं तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्री।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब 12 माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: 12 अच्छे नहीं होते हैं। तेरहवां मुझे बोलने का मौका दे दिजिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य: बारहवां बहुत अच्छा है।

एक माननीय सदस्य: मन्त्री महोदय समेत 13 हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: मन्त्री महोदय स्वयं सदन के सदस्य हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: कैरी आन।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इस प्रकार मैं मानता हूं कि यह बहुत गम्भीर विषय है और हर माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि राजस्थान का केस ऐसा लगता है कि डिफाल्ट में जा रहा है। यह बात तो नहीं है। यह बात भी नहीं है कि अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई हो। लेकिन अभी तक जो प्रगति हुई है, वह बहुत सन्तोषजनक नहीं है। जैसा कि आप लोगों के सामने आया, शुरू में जब कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक थे। उस वक्त स्वर्गीय माननीय प्रतापसिंह कैरों ने एक पत्र लिखा था, जिसमें 9000 फेमिलीज लिखी थी। और यह तो जब भी कोई कम्पनसेशन का सवाल हो, रिहेबिलीटेशन का सवाल हो तो कम तादाद नहीं बताई जाती है। बढ़ाकर ही बताई जाती है जैसा कि अभी माननीय सदस्य रामानन्द जी ने भी बताया है। आउस्टी फेमिलीज को रिहेबिलीटेट करने के लिए 1961 के सेंसस से हम मालूम कर सकते हैं। उस वक्त वहां कितनी फेमिलीज थीं। वह एक करीब करीब सही अन्दाज हो सकता है लेकिन जब यह सवाल आया तो 61 में जो फैमिलीज थी। उनमें हर को-शेयरर को एक फैमिली मानकर जमीन देंगे तो फिर वहां पर फैमिलीज को बढ़ाने की चाल चली गई। और वहां हम बहुत कहते रहे, उस वक्त के जो जॉइन्ट सेक्रेट्री थे बंसल, उनसे जा कर रिप्रेजेंटेशन किया, इस तरह से फेमिली की तादाद बढ़ाई जा रही है जो न जाने कहां जाकर ठहरेगी, तो उन्होंने हमारी एक टीम वहां पर भेजी इसकी स्क्रूटीनी करने के लिये। उस टीम ने वहां जाकर देखा कि जो यह खेवट, खाते बन रहे थे उनमें 1961 या 1963 का दिखाना है, 1961 की फैमिली दिखानी है तो उस वक्त के फार्म चाहे तो उन्होंने 1961 वाली जो फेमिली दिखा रखी थी वह फार्म दरअसल प्रिंटिंग प्रेस से 1968 में छपाये, 1968 में हुए छपे फार्म पर 1961 की बात कैसे बता सकते हैं, दस साल पहले की जब फार्म 1968 में छपे थे ? यह बात सामने आई तो हिमाचल प्रदेश सरकार से वह बहुत गम्भीर बात हो गई, हमने तार दिये, मिनिस्टरों में इन्फार्मेशन दी, और जो प्रिवियस एक्सरेवेन्यू मिनिस्टर

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

थे उन्होंने इरिगेशन मिनिस्टरी को लिखा इस तरह से इतनी बड़ी फोर्जरी हो गई तो हम कैसे आउस्टी की संख्या को हासिल कर सकते है, किस तरह से सही अन्दाज लगा सकेंगे कि कितनी पर्सेन्ट फैमिली कब से काम कर रही हैं। हमने सबूत दे दिया है और हमने लिखा पढ़ी भी की, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है किसी तरह की। हमारे केस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब भी हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पत्र लिखा है कि इस तरह से हमारा केस है, उसको उन्होंने छः करोड़ से पैंतालीस करोड़ पर पहुंचा दिया है, और ब्याज और दूसरी रकम ऊपर से बतला रहे हैं, ऐसे तो 65 करोड़ से 85 करोड़ पर पहुंचा जायेगा तो ताजुब्ब नहीं होगा। हम कम्पेन्सेशन देने के लिये तैयार हैं लेकिन कम्पेन्सेशन जो पहले खुद मांगा था 1965 में, जो पहले उस समय तीन हजार रुपये एकड़ के हिसाब से कल्चरेबल कमान्ड जमीन का मांगा था, 563 दूसरी किस्म की और 563 प्रति एकड़ बंजड़ भूमि की कीमत और 281 तीसरी किस्म की, जो बंजड़ और बारानी में जमीन है, जो कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती उसकी कीमत मांगी है, जो हम स्वीकार करने के लिये तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसको कर दिया है 2,375 जो कीमत ऐसी जमीन की नहीं आती है। और जो कल्चरेबल लैंड है उसकी कीमत सात हजार, आठ हजार के ऊपर पहुंचा दिया है, जैसा अभी स्टेटमेंट में बताया। तो इस तरह से उन्होंने कई गुना अपनी कीमतों को बढ़ा दिया है। यह भी हमारे साथ में गैर इन्साफी है। यह सारे फेक्टस हमने लिख कर प्राइम मिनिस्टर को दिये हैं। हम चाहते हैं वह विचार करें और फैसला करें, और जब जॉइन्ट सेक्रेट्री के सामने केस रखा था फैसले के लिए, तब हमने यह भी लिखा था कि हम हमारे केस को बना कर आपके पास भेज रहे हैं, आप उसे देख लें। उसके बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी को भी बुला कर आप सुन लें। उसके बाद में जो फैसला हो वह आप दें। आखिर इस तरह से फैसला नहीं होता है तो हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इस केस को तय करें और उसमें भी आपको मैं यह कह सकता हूं कि जो जमीन की हिमाचल प्रदेश ने यह मांग की है, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश ने भी कान्फ्रेन्स में, उस कान्फ्रेन्स में मैं भी मौजूद था, यह कहा कि मैं बाकी बातों को तय कर लूंगा, आप बस दो लाख एकड़ जमीन मेरे सुपुर्द कर दें, हम इसको अलॉट करेंगे। यह बात हम किसी तरह से मान नहीं सकते हैं कि हमारी जमीन को हमारे रूल्स के खिलाफ वह आकर तकसीम करें। हम यह चाहेंगे कि हमारे जो लैंडलैस को अलॉटमेंट के रूल्स हैं, टिनेन्सी एक्ट के तहत, उसके तहत ही दूसरों को भी जमीन दें, वह हम ही अलॉट करें, कोई दूसरी स्टेट आकर यहां पर अलॉट नहीं करेगी। यह सदन की भावना है, इसकी मैं पूरी कद्र करता हूं। मैं यह आश्वासन दिला सकता हूं कि अब सदन····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सीलिंग से एक बिस्वा भी जमीन ज्यादा नहीं देंगे, सीलिंग लिमिट जो आ रही है उसको क्रोस नहीं करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिल्कुल ठीक बात है, जो सीलिंग हमने मुकर्रर कर ली, और हिमाचल प्रदेश ने मुकर्रर नहीं की है, वह भी कर लेगी, लेकिन सीलिंग लिमिट से ऊपर किसी को जमीन दे सकें—यह हमारे लिए सम्भव नहीं है।

Page No. 102

श्रीमती सुमित्रासिंह : दोनों स्टेट को मिला कर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह है ही, दोनों स्टेट को मिल कर ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भावना सदन में व्यक्त की गई है, जो गम्भीर तथ्य इस सदन में सारे माननीय सदस्यों ने रखे हैं, आप लोगों की राय से तमाम काम किये जायेंगे, वह करेंगे, यह नहीं हो सकता कि आपकी राय के बिना हम फैसला...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अभी तक सोते रहे हैं, अब तक जो प्रेक्टिस रही है उसको चलायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा अभ्यास करेंगे ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप प्रेक्टिस के लिए कह रहे हैं । मैं यह बात मानता हूं, यह गम्भीर मसला है सारे राजस्थान का, इससे बोझ पड़ने वाला है इसलिए हर माननीय सदस्य इससे चिन्तित है । जो कोई ऐसा निर्णय लिया जायगा, जमीन के अलॉटमेंट के लिए, या आउस्टीज को बसाने के लिए, या कम्पन्सेशन देने के लिए—जो भी कोई फैसला होगा वह सदन को विश्वास में लेकर हम करेंगे—यह मैं कह सकता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो ऑफेन्सेज हुए हैं, डाकुमेंट और कर्मचारियों के हाथ में रसीदें हैं, फोर्जरी वगैरह है—उसके सम्बन्ध में क्या सोचा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके सम्बन्ध में हम भारत सरकार को लिख रहे हैं, हम जोर देंगे, जहां फोर्जरी हुई है वह चीज सामने लाकर कार्यवाही करेंगे इसके लिए पहले लिखा है, फिर दुबारा लिख देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सी. आई. बी. की जांच बिठाइये, यह भारत सरकार को कहिये ।

श्री केदारनाथ : अनडिवाइडेड फैमिली के मेम्बर हैं उनको एक फैमिली में मानना चाहिए, कांशेयरर को अलग-अलग नहीं मानना चाहिए ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कडाना बांध के बारे में कहा था, क्या कर रहे हैं ।

श्री नाथूराम : कडाना बांध के लिए, जमीन के लिए कहा....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसके लिए कुछ कह दें, तो हमें तसल्ली हो ।

श्री नाथूराम : वहां आतंक फैला हुआ है, लोग भयभीत हो रहे हैं । डूंगरपुर-बांसवाड़ा में, यह काम वैसे ही चल रहा है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी गुजारिश यह थी ..

श्री उपाध्यक्ष : Let the Hon'ble Minister reply to the questions raised by Hon'ble members.

श्री रामचन्द्र चौधरी : कडाना बांध के लिए कुछ भी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं, मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा था, जहां तक होगा, राजस्थान के लोगों के हित में जो काम होगा वह किया जायगा....

श्री श्रीराम गोटेवाला : संसद सदस्यों को जानकारी के लिए कहा था, क्या सोचते हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह ठीक सुझाव दिया क्योंकि अब तक ऐसा लगता है, हम

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

संसद सदस्यों को हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वह पूरे नहीं दे सके : इसलिए हमारे वहां पर पालियामेंट में जो मेम्बर हैं, वह अपना केस संसद में नहीं रख सके। हम सारे फैक्ट्स सारे संसद सदस्यों के पास पहुंचा देंगे जिससे राजस्थान की जो भावना यहां व्यक्त की है, उस को ठीक तरह से पालियामेंट में पेश कर सकें।

श्री नाथूराम : कडाना बांध का गुजरात सरकार जोरों से काम कर रही है.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो व्यास बोर्ड बना हुआ है........

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, वह पूछें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह इससे ताल्लुक नहीं रखता है, कडाना बांध का है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो गलती यहां हुई, वैसी ही वहां नहीं हो जाय।

श्री नाथूराम: जो सर्वे कराया है उसमें हजारों एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है, इसलिए एग्रीमेंट में संशोधन स्वीकार करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुरदयालसिंह संधू : हिमाचल प्रदेश सरकार कह दे, नौ हजार, आठ हजार फेमिली की लिस्ट बना दे, लगभग इतने हों तो क्या हम एलॉट कर देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने कहा, मैं फिर यह कहता हूं 1961 की मर्दुमशुमारी को लेकर जांच की जायगी, उससे सही फिगर मिल जायेंगे, मैं इतना भी नहीं मानता हूं..

श्री केदारनाथ : छ : हजार से ज्यादा नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इतनी जनसंख्या होगी। हमारी टीम गई थी, उसने सर्वे किया, उससे मालूम हुआ है, 2,700 आदमी की जमीन डूब में आने वाली है, पांच का 2,700 फेमिली का एवरेज मानते हैं तो पांच छः हजार से ज्यादा नहीं होंगे।

श्री केदारनाथ : छः हजार।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम देखेंगे, जितनी फेमिली बनती हैं, हमने कह दिया है, हमारी बसाने की जिम्मेदारी है, उनको बसायेंगे। जितनी सही फेमिली हैं, उतनी चाहें तब तक तो ठीक है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक मांग आई थी कि इस सदन के सदस्यों की कमेटी बिठाई जाए लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज हमारा व्यास बोर्ड है उसमें हिमाचल प्रदेश के जन-प्रतिनिधि और अधिकारी भी पहुंचते हैं। हमारे यहां से केवल अधिकारी जाते रहे हैं, प्रतिनिधि कभी नहीं गए। श्री हंसराज आर्य और श्री बीरबल प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़, दोनों जन प्रतिनिधि हैं, व्यास बोर्ड में थे और मैंने बैठकों के मिनिट्स देखे हैं वे कभी वहां उपस्थित नहीं हुए है और उनके जन प्रतिनिधि हमारे अधिकारियों को गालियां निकालते रहे और हमारे अधिकारी सुनते रहे, कोई जन प्रतिनिधि यहां का नहीं था उनको जवाब देने के लिए। इसलिए आप कोई मजबूत जन प्रतिनिधियों को यहां से भेजें ताकि उनकी गालियों का जवाब तो दे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सके। मुझे एतराज नहीं छंगाणी हों, गोटे-वाला हों, मैं तो लंगोट वाला हूं। गोटेवाला साहब यह गंभीर प्रश्न है। उनका वातावरण क्यों बना और हमारा नहीं बना। उसका कारण यह है कि उनके जन प्रतिनिधि बोर्ड की बैठकों में आते थे, वे जाकर दिल्ली में वातावरण बिल्ड अप करते थे और सारी चीजों की जानकारी देते। क्योंकि हमारा जन-प्रतिनिधि उसमें रहा ही नहीं इसलिए सारे तथ्यों की जानकारी उनको नहीं रही और न लोबिंग कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री।

(कई माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदया उत्तर दे रही हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : ही हैज आलरेडी रिप्लाइड।

श्री नाथूराम : 410 फीट के बारे में कम से कम सरकार आश्वासन दे कि एग्रीमेन्ट में संशोधन शीघ्र करवायें क्योंकि वहां आतंक फैला हुआ है, करोड़ों की सम्पत्ति डूब रही है और कम से कम 410 का सर्वे करायें। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी जैसे मैंने निवेदन किया उसमें 410 और 419 में चल रहा है और मैंने बता दिया कि कितने लोग उसमें आते हैं, कितनी जमीन डूब में आती है लेकिन यह जो हमारा एक बार एग्रीमेन्ट किया हुआ है, उससे कैसे वापस हो सकते हैं, कौनसे तथ्यों पर वापस ले सकते हैं, यह सब सोच रहे हैं, लिखापढ़ी बराबर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मान जायें।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री।

श्री नाथूराम : वह एग्रीमेन्ट थोड़ा ही है, फार्स है, तमाशा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एग्रीमेन्ट को तमाशा नहीं मान सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल है, यदि उसको पहले ले लें। एक मिनट का काम है।

श्री नाथूराम : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रश्न मैं समाप्त कर चुका हूं।

श्री नाथूराम : 410 के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया।

श्री नाथूराम : संसद में कहा था कि 410 का कोई एग्रीमेन्ट नहीं है, यह दुबारा मामला कहां से आ गया ? मैं सदन को सूचना दे रहा हूं कि 410 के बारे में पहले संसद ने निर्णय कर लिया था के०एल० राव . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष मैं एक मिनट लूंगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले आप बोलेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे अपना बिल सिर्फ मूव करना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्तुत करें।

अशासकीय विधेयक

राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक संस्थान (संशोधन), विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया ।

राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखल) संशोधन विधेयक, 1972

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आदत से बाज नहीं आते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्होंने ना को हां समझा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर प्रश्न रखता हूं । प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(अस्वीकृत)

अनुमति प्रदान नहीं की गई ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It will be a wrong tradition.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कन्वेन्शन है कि इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर बिल का विरोध नहीं होता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तक परम्परा रही है कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर यहां चाहे संसद में अपोज नहीं किया जाता है । मुख्य सचेतक महोदय ने माननीय सदस्यों को परम्परा का ज्ञान नहीं कराया । इट इज प्रेज्यूम्ड टू हैव बीन इन्ट्रोड्यूस्ड ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे ख्याल से गलतफहमी से हुआ है ।

श्री केदार नाथ : नाम-आफिसियल बिल्स को पास कराना आपके हाथ में है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुबारा पूछ लें ।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें दुबारा आप को पूछना पड़ेगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय फैसला दे चुके, निर्णय हो चुका दुबारा डिवीजन की मांग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को पुन: रखता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(अस्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वेड प्रिसीडेन्ट।

शासकीय वक्तव्य

श्री गोकुल भाई भट्ट के अनशन के संबंध में

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य गृह मंत्री) : श्री गोकुल भाई भट्ट के द्वारा जो भूख-हड़ताल और आमरण अनशन किया जा रहा है उस विषय में सदन में दिनांक 19-5-72 को एक वक्तव्य दिया था। तब से आज तक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है।

दिनांक 19-5-72 को जो कार्यवाही की गयी थी वह कार्यवाही श्री भट्ट द्वारा मेडीकल एड ले लिये जाने के पश्चात और उन्हें चिकित्सकों के संरक्षण में रखने के उपरान्त उन्हें अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया था।

श्री भट्ट का डॉक्टरी मुआइना जो दिनांक 26-5-72 को डाक्टर एस०आर० मेहता, डाक्टर जे०पी०सेठी एवं डाक्टर एस० के० शर्मा ने किया उसके अनुसार उनकी हालत सन्तोषजनक है। वे सवाई मानसिंह अस्पताल में योग्य चिकित्सकों के संरक्षण में हैं और वे चिकित्सा सहायता ले रहे थे।

आज सुबह 9 बज कर 10 मिनट पर श्री गोकुल भाई भट्ट ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है और उनका स्वास्थ्य सन्तोष-जनक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये आपने जो वक्तव्य दिया है उसमें आपने यह नहीं बताया कि उनको किस धारा में गिरफ्तार किया था। उस दिन सदन के उपनेता ने कहा था कि श्री गोकुलभाई भट्ट को धारा 309 और धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसमें तो धारा 309 आई०पी०सी० के तहत तो अटेम्पट टू सुसाईड होता है। श्री गोकुल भाई भट्ट तो 11 दिन तक आमरण अनशन में रहे। तो जो धारा 309 के तहत कार्यवाही होनी थी जिसके लिये उन्हें गिरफ्तार किया गया था उसका क्या हुआ ? उनके खिलाफ में धारा 309 के तहत कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : धारा 309 और 151 का जहां तक सवाल वो भूख हड़-ताल पर थे और उन्होंने कोई मेडीकल एड लेने से इनकार कर दिया था, यहां तक उन्होंने पानी भी नहीं लिया था। और डॉक्टर्स उन्हें बार बार मेडिकल एड लेने को कह रहे थे और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसलिये सिर्फ उन्हें बचाने के लिये पुलिस द्वारा उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया। वहां पर उन्होंने मेडिकल एड ली...

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन्होंने जो यह संकल्प किया था कि मैं तो मर कर ही छूटूंगा और लगातार 10-11 दिन तक उप-वास करते रहे। ऐसा कहना कि मैं मर

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

ही छूटूंगा यह आई०पी०सी० के दफा 309 के अन्दर आ जाता है और इसे खुदकशी कहते हैं। इसलिये उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो क्या यह मैं मानकर चलूं कि जिस धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था उसके अनुसार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी या नहीं। दूसरे आज सुबह उन्होंने आमरण अनशन तोड़ दिया वह किसके सुझाव पर तोड़ा। क्या राज्य सरकार ने उनकी बात मानली ? उन्हें कोई आश्वासन शराबबन्दी के बारे में दिया गया या....

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार न उन्हें शराबबन्दी के बारे में कोई आश्वासन दिया जो बात नहीं है और जहां तक सवाल धारा 309 आई०पी०सी० के तहत कार्यवाही करने का है उसका तो जब उन्होंने मेडीकल एड लेना शुरू कर दिया तब केस विदड्रा करने का या केस लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा और जब 309 एप्लीकेबल नहीं होता है तो 151 अपने आप ही विदड्रा हो जाता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सदन के उपनेता ने जो वक्तव्य दिया था उसमें यह कहा गया था कि श्री गोकुल भाई भट्ट को धारा 309 के तहत गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात हॉस्पीटल ले जाया गया। अब यहां यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर 309 धारा का केस भी नहीं है। मैं समझता हूं या तो सदन के उपनेता ने झूठा वक्तव्य दिया था कि उन्हें धारा 309 व 151 आई०पी०सी० के तहत गिरफ्तार किया गया या अभी जो माननीय राज्य मन्त्री गृह ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह गलत है। इसमें उन्होंने यह कहा है कि उनकी जान की सुरक्षा के लिये उन्हें मेडीकल एड देने के लिये अस्पताल ले जाया गया, कौनसा सही है ? पहले तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्हें धारा 309 में गिरफ्तार किया गया है। यह उचित बात नहीं है। यह स्थिति सदन में स्पष्ट होनी चाहिये कि आया सदन के उपनेता ने जो कहा था वह सही है या अभी जो मन्त्री महोदया ने स्टेटमेन्ट दिया है वह सही है ? यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला था। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गोकुल भाई भट्ट ने 11 दिन तक उपवास किया और उसके पश्चात् आज उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया तो इसके लिये मैं चाहूंगा कि सदन के अन्दर जो घोषणा की वह क्या थी ? आज उन्होंने अपना अनशन तोड़ा तो क्या आश्वासन दिया गया उन्हें। क्या सरकार ने जो सन् 1972 तक पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की बात थी उसे राज्य सरकार ने मानली ? जैसा कि पहले राज्य सरकार ने जब श्री गोकुल भाई भट्ट ने भूख हड़ताल की थी तब यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार सन् 1972 तक पूर्ण शराब बन्दी लागू राजस्थान में कर देगी। और उसके पश्चात् राज्य सरकार अपनी घोषणा पर कायम नहीं रह सकी। जिससे कि श्री गोकुल भाई भट्ट को अपने जीवन का दांव लगाना पड़ा, और उन्होंने भूख हड़ताल की। इस बारे में क्या मुख्य मंत्री जी जो कि दिल्ली गये हुए थे उन्होंने वहां कोई बातचीत की जिसके पश्चात् उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो जिससे ऐसा हुआ. या उन्होंने वहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स से डिस्कशन्स किये हों या ऐसी क्या बात हुई कि जिससे श्री गोकुल भाई भट्ट ने अपना अनशन तोड़ा। यह सभी स्थिति सदन में माननीय सदस्यों के सामने लायी जाय जिससे कि पता लगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं...

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मकसद यही था कि श्री गोकुल भाई भट्ट की हालत चिन्ताजनक हो रही थी इसलिये उन्हें हॉस्पीटल लेजाने की तत्काल जरूरत थी। वहां पर उनके लिये मेडिकल बोर्ड बिठाया गया जो उनकी देख रेख कर रहा था। चूंकि वो मेडिकल एड भी नहीं ले रहे थे इसलिये ऐसा किया गया। वहां ले जाने के एक घन्टे के बाद उनकी तबियत ठीक होनी शुरू हो गयी। और ज्योंही उन्होंने मेडिकल एड लेनी शुरू की पुलिस हॉस्पीटल से रवाना हो गयी। यह जो कुछ भी किया गया था उनकी जीवन रक्षा के लिये किया गया था, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस का पहरा नहीं था। वह बिलकुल फ्री थे। इसके अलावा शर्त रखने की कोई बात नहीं हुई और न ही राज्य सरकार द्वारा उन्हें कोई आश्वासन ही दिया गया। मुख्य मंत्री ने इनके लिये दिल्ली में प्राईम मिनिस्टर से बात की थी और उसके बाद में प्राईम मिनिस्टर के कहने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह जो आपने बात कही कि मेडिकल एड लेने के बाद उनकी तबियत ठीक हो गई। तो उन्हें ऐसी क्या मेडिकल एड दी गयी। ऐसा कौनसा इन्जेक्शन उन्हें दिया गया, या कोई दवा दी गयी जिससे उनकी तबियत ठीक होगयी। उनके क्या बीमारी थी ?...

श्रीमती कमला बेनीवाल : उनकी तबियत खराब थी। उनके किडनी में ट्रबल था और वह उचित मेडिकल एड देने के बाद तबियत ठीक हो गयी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह क्या खाते पीते थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह थोड़ा बहुत कुछ लेते थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या कोई पेय पदार्थ दूध, कोई रस वगैरह, कुछ तो लेते होंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह नीबूं का पानी लेते थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या श्री गोकुल भाई भट्ट को कोई किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया था....

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा कि कहा जा चुका है कि प्राईम मिनिस्टर ने राज्य सरकार की तरफ से श्री गोकुल भाई भट्ट से अनुरोध किया था टेलीफोन पर, श्री गोकुल भाई भट्ट से अनुरोध किया था कि वह भूख हड़ताल तोड़ दे।

एक माननीय सदस्य : राज्य सरकार ने कोई कमिटमेंट तो किया होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो सर्व विदित है कि उन्होंने आमरण अनशन किया था और बाद में उन्होंने मेडिकल एड लेने का भी मना कर दिया था। उन्होंने मेडिकल एड किन सरकमस्टान्सेज में मेडिकल एड ली और उसके लेने के बाद कब उनकी तबियत ठीक हुई।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उन्हें मेडिकल एड जबरदस्ती डॉक्टरों की एडवाइस पर दी

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

गयी थी । क्योंकि जैसा कि सर्वविदित है उन्होंने मेडिकल एड लेने का मना कर दिया था । लेकिन बाद में मेडिकल एड लेने को राजी होगये । मेडिकल एड लेने के एक घन्टे बाद उनकी हालत मे सुधार होना शुरू हो गया...

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह खूब हुआ । सुनते थे शोर बहुत सा आदमी की दुम का, पर खोजने पर पता लगा कि एक हाथ की रस्सी का टुकड़ा ही निकला ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है । और जहां तक सवाल मेडिकल एड का है वह सभी बातें उन्हें बचाने और उनकी जीवन रक्षा के लिये किया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजे मध्यान्तर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गयी)

परिशिष्ट 1

(स्थगित प्र०सं० 597 की सूची)

अनुसूचित जाति व जन जाति के विभिन्न शैक्षणिक स्तर के बेरोजगार व्यक्तियों की सूची

(स) 31-3-72 तक

क्र०सं०	शिक्षा स्तर	अनु०जाति	अनु०जन० जाति	योग
1	स्नातकोत्तर	74	36	110
2	स्नातक	169	54	223
3	मैट्रिक तथा स्नातकोत्तर से नीचे	1092	163	1255
4	तकनीकी	27	5	32
5	नॉन मैट्रिक व इससे नीचे	589	64	653
	योग ..	1951	322	2273

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 845 की सूची)

निर्णय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य जो इस समय प्राविधिक शिक्षा विभाग देख रहा है, नियोजन विभाग को सौंपा जाय । प्रशासनिक विभाग इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत सुझाव रखें ।

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 848 की सूची)

बीकानेर लिफ्ट कैनाल से सिंचित होने वाले क्षेत्र की नहरवार सी० सी० ए० की सूची

क्र०सं०	नहर का नाम	सी० सी० ए० एकड़
1.	सीधे मोघे आर०डी० 11000 से 27000	1600
2.	सीधे मोघे आर०डी० 63500	900
3.	फूलेजी माइनर आर०डी० 80,000	3443
4.	अरजनसर माइनर आर०डी० 1,32,000 एल	2000
5.	सीधे मोघे आर०डी० 1,85,000 आर	1650
6.	चारन डिस्ट्रीब्यूटरी आर०डी० 2,17,000 आर	10770
7.	मलकीसर डिस्ट्रीब्यूटरी आर०डी० 2,27,250 एल	28300
8.	मादेरा डिस्ट्रीब्यूटरी आर०डी० 2,27,250 आर	11436
9.	सीधे मोघे आर०डी० 2,45,000 से 3,15,000 एल एण्ड आर	14725
10.	देलाना डिस्ट्रीब्यूटरी आर०डी० 3,03,500	2600
11.	सीधे मोघे आर०डी० 3,53,000 एल	2200
12.	सीधे मोघे (वी०आर० बी०) आर०डी० 3,60,000 एल	2600
13.	सीधे मोघे आर० डी० 3,83,000 एल	1900
14.	सीधे मोघे आर०डी० 4,11,000 आर	1100
15.	सीधे मोघे आर०डी० 4,28,000 एल	1100
16.	सीधे मोघे आर० डी० 4,5,4000	1200
17.	जानसर माइनर आर०डी० 4,47,500	16290
18.	सीधे मोघे आर०डी० 4,63,000	550
19.	हुसनसर माइनर आर०डी० 4,69,500	1350
20.	नागासर माइनर आर०डी० 4,81,500 एल	2000
21.	बीकानेर माइनर आर०डी० 4,97,500	..
		1,26,814

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 27 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2			अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1.	अन्तिम	से	7	भगवती	भगवती देवी
2.	अन्तिम	से	6	भगवती	भगवती देवी
4.	ऊपर	से	17	कुट	कूट
4.	अन्तिम	से	10	जाते	जानते
6.	अन्तिम	से	2	चंकि	चूंकि
	अन्तिम	से	8	तृतिय	तृतीय
16.	अन्तिम	से	1	बांडी	बाडी
17.	ऊपर	से	14	यनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी
18.	ऊपर	से	11	मने	मैंने
21.	ऊपर	से	17	नी	नहीं
	ऊपर	से	19	यिा	किया
22.	अन्तिम	से	3	कर	करें
	अन्तिम	से	11	श्री पूनमचन्व विश्नोई	श्री पूनमचन्द विश्नोई
	अन्तिम	से	9	लाज	लाइज
25.	अन्तिम	से	3	कराय	कराये
30.	अन्तिम	से	6	टस्ट	टैस्ट
32.	अन्तिम	से	4	यदि हों	यदि हां
38.	अन्तिम	से	14	ए०डी०ओ०	एस०डी०ओ०
40.	ऊपर	से	13	वारगति	वीरगति
50.	अन्तिम	से	15	अवशिष्ठ	अवशिष्ट
54.	ऊपर	से	10	उपायक्ष	उपाध्यक्ष
58.	अन्तिम	से	5	श्री नत्थीसिंह	श्री नत्थासिंह
59.	अन्तिम	से	9	श्री नत्थीसिंह	श्री नत्थासिंह
61.	अन्तिम	से	11	श्री नत्थीसिंह	श्री नत्थासिंह
62.	ऊपर	से	6	श्री चन्दनमल बंद	श्री चन्दनमल वैद
70.	अन्तिम	से	1	त	अत:
71.	अन्तिम	से	7	स्ताव	प्रस्ताव
78.	अन्तिम	से	1	म	में

1	2		3	4
80.	अन्तिम	से 1	रख	रखें
85.	ऊपर	से 12	परसट	पर्सेन्ट
90.	अन्तिम	से 8	पाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
	अन्तिम	से 4	श्री गिरधारीलाल भार्गव	श्री गुमानमल लोढ़ा
92.	अन्तिम	से 12	निर्णय दिया गया।	निर्णय नहीं दिया गया
97.	अन्तिम	से 13	कर लिया	कर दिया
	अन्तिम	से 2	टू	टूमच
98.	ऊपर	से 5	दुकनों	दूकानों
	ऊपर	से 8	माननीग	माननीय
99.	ऊपर	से 8	बन्दे	बन्धे
101.	ऊपर	से 4	को	के
102.	अन्तिम	से 11	बीकानर	बीकानेर
103.	ऊपर	से 2	म	में
104.	ऊपर	से 13	स	इस
	अन्तिम	से 11	जसा	जैसा
105.	ऊपर	से 5	का	ऑफ
	ऊपर	से 7	ड	डे
106.	अन्तिम	से 5	करन	करने
108.	ऊपर	से 15	सत्याशसान	सत्रावसान
	ऊपर	से 20	म	में
	अन्तिम	से 12	मस्य मंत्री	मुख्य मंत्री
	अन्तिम	से 5	वेहर	व्हेअर
114.	ऊपर	से 7	पलट	पलटने
	ऊपर	से 15	जिम्मेवारी	जिम्मेदारी
	अन्तिम	से 16	वाउन्ड	वाउण्ड
117.	ऊपर	से 8	रजिट्रेशन	रजिस्ट्रेशन
	अन्तिम	से 11	केपिटेलिजम	केपिटेलिज्म
	,,	से 7	वाले आप	वाले तो आप
	,,	से 5	प्रोग्रेसिविजम	प्रोग्रेसिविज्म
118.	ऊपर	से 11	श्री पुनमचन्द विश्नोई	श्री पूनमचन्द विश्नोई
120.	,,	से 13	म	में
122.	,,	से 5	बंजठ	बंजर
130.	,,	से 4	मुआवज	मुआवजा
133.	,,	से 14	कछ	कुछ

1	2		3	4
134.	अन्तिम से	4	लायाबीलिटी	लायबीलिटी
135.	ऊपर से	6	एगाविटेन्ट	एफजाविटेन्ट
145.	,, से	9	लड	लैंड
147.	अन्तिम से	15	To	Two
	,, से	14	LanL	Land
148.	ऊपर से	3	कोड	करोड़
	अन्तिम से	1	य	यह
149.	,, से	7	क्षे	क्षेत्र
	,, से	4	पुरषार्थियों	पुरुषार्थियों
150.	ऊपर से	2	मरले	मुरब्बे
152.	,, से	4	एलाटमन्ट	एलॉटमेन्ट
154.	अन्तिम से	11	अहूजा	आहूजा
162.	ऊपर से	14, 16	श्री गुरूदयाल सिंह	श्री गुरुदयालसिंह
164.	अन्तिम से	4	फमिली	फैमिली
185.	अन्तिम से	9	प्रिमिसेसे	प्रामिसेस
190	ऊपर से	2	विशिष्ठजनों	विशिष्टजनों
	अन्तिम से	1	मिसचीफ	मिसचीव
191.	,, से	16	जब्त	जब्ब
195.	ऊपर से	6	ओवरड्रफ्ट	ओवरड्राफ्ट
	अन्तिम से	11	एन्क्रोचपेंदा	एन्क्रोचमेन्ट
200.	,,	6	में हुए	में छपे हुए
	,,	6	हुए	—
201.	ऊपर से	14	पहुंचा	पहुंच
	,,	15	ताजुब्ब	ताज्जुब
206.	ऊपर से	11	श्री केदारनथ	श्री केदारनाथ
211.	अन्तिम से	17	गृह मंत्री	राज्य मंत्री गृह
216.	ऊपर से	8	वगैरहा	वगैरह
218.	अन्तिम से	2	मध्यान्तर	म०प०
220.	,, से	11, 13	सीधे मोधे	सीधे मोथे
	,,	14	मादेरा	मावरा